द्वितीय माला, खण्ड ११ — अंक ७
१८ फरवरी, १९५८ (मंगलवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

सत्यमेव जयते

(खण्ड ११ में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में)

३ शिलिंग (विदेश में)

विषय सूची

(द्वितीय माला, खण्ड ११– अंक १ से १०––१० फरवरी से २१ फरवरी, १९५८)

अंक १–सोमवार, १० फरवरी १९५८	पृष्ठ
श्री आर० के० सिधवा का निधन	१
स्थगन प्रस्ताव––	
दिल्ली राज्य विद्युत् बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	१–२
दिल्ली के अध्यापकों द्वारा प्रस्तावित हड़ताल ...	२
जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तावितं असहयोग ...	२–३
राष्ट्रपति का अभिभाषण––सभा पटल पर रखा गया.	३–८
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	८–९
सभा पटल पर रखे गये पत्र	९–११
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––	
पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय	११–१३
रेलवे दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में वक्तव्य	१३–१५
दिल्ली के अध्यापकों की प्रस्तावित हड़ताल के सम्बन्ध में वक्तव्य ...	१५–१६
दैनिक संक्षेपिका	१७–२०
अंक २– मंगलवार, ११ फरवरी, १९५८	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या १ से ७ और ९ से १८	२१–४४
प्रश्नों के लिखित उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या ८ और १९ से ४९	४४–५७
अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ७५	५७–८६
श्री सोमना का निधन ...	८६–८७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	८७–८९
अनुपूरक अनुदानों की मांगों सम्बन्धी वक्तव्य	८९
कार्य मंत्रणा समिति––	
सत्रहवां प्रतिवेदन	८९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––	
भारत-पाकिस्तान नहरी पानी का विवाद	९०
तारांकित प्रश्नों के उत्तरों में शुद्धि ...	९०
अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण तथा अर्जन (संशोधन) विधेयक––	
विचार करने के लिये प्रस्ताव	९१–११८
खण्ड २ और १	११७–१८
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	११८
दण्ड विधि संशोधन विधेयक––	
विचार करने के लिये प्रस्ताव	११८–२५
दैनिक संक्षेपिका ...	१२६–३२

अंक ३—बुधवार, १२ फरवरी १९५८ **पृष्ठ**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ५० से ५२, ९५ और ५४ से ६४ १३३–५५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ६५ से ९४ और ९६ से ९८ १५५–६६
अतारांकित प्रश्न संख्या ७६ से ७९ और ८१ से १३० १६६–८८

स्थगन प्रस्ताव—

दिल्ली पालीटेक्निक के एक विद्यार्थी द्वारा आत्म-हत्या १८८–८९
मंत्रियों द्वारा तथ्यों में कथित फेर बदल १८९–९०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १९०–९१

भारतीय रेलवे अधिनियम, १८९० के बारे में याचिका ... १९१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
आंध्र प्रदेश से चावल का चोरी-छिपे व्यापार ... १९१

सभा का कार्य १९२

भारतीय विमान बल के एक विमान की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य १९३

तारांकित प्रश्न के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि १९३
कार्य मंत्रणा समिति—
सत्रहवां प्रतिवेदन १९४
दंड विधि संशोधन विधेयक—
विचार के लिये प्रताव १९४–२३१
खण्ड २ से ४ तथा १ ... ... २१७–२८
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव २२८–३१

भारतीय रक्षित वल (संशोधन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार के लिये प्रस्ताव ... २३१–३३

दैनिक संक्षेपिका २३४–३८

अंक ४—गुरुवार १३ फरवरी, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ९९ से १०१, १०३, १०४, १०६, १०७, १०९ से ११४ और ११६ से १२१ ... २३९–६१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या १०२, १०५ और १२२ से १२८ ... ... २६१–६५
अतारांकित प्रश्न संख्या १३१ से १३८, १४० से १८३ और १८५ से २०१ २६५–९०
सभा पटल पर रखे गये पत्र २९०–९२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
तेरहवां प्रतिवेदन २९३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना— पृष्ठ

दिल्ली में किरायेदारों का निष्कासन ... २९३–९४

विशेषाधिकार सम्बन्धी प्रश्न उठाने की सूचना के बारे में २९४–९६

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव २९६–३२५

दैनिक संक्षेपिका ३२६–३१

अंक ५–शुक्रवार, १४ फरवरी, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२९ से १४९ ३३३–५६

अल्पसूचना संख्या १ ३५६–५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५० से १८२ तक ३५९–७१

अतारांकित प्रश्न संख्या २०२ से २४३ ३७१–९०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३९०

राज्य सभा से सन्देश ३९०

भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया ... ३९०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

सागर में सेना और विद्यार्थियों के बीच झगड़े का समाचार ३९०–९१

सभा का कार्य ३९१

केन्द्रीय बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित ३९२

वणिक नौवहन विधेयक पुरःस्थापित ३९२

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव ३९२–४१५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

तेरहवां प्रतिवेदन ४१५

राष्ट्रीयकरण के प्रयोजन हेतु बैंकों के कार्यों का पुनर्विलोकन करने के लिये समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प ४१५–१६

पन्ना में हीरे की खानों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प ४१६–३४

विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता की जांच के सम्बन्ध में संकल्प ४३४–३७

दैनिक संक्षेपिका ४३८–४२

अंक ६–सोमवार, १७ फरवरी, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८३ से १९०, १९३ से १९६, १९८ से २०१ और २०४ से २०६ ... ... ४४३–६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९१, १९२, १९७, २०२, २०३ और २०७ से २३९ ४६५–७९

अतारांकित प्रश्न संख्या २४४ से २४७ तथा २४९ से ३१२ ... ४७९–५०९

स्थगन-प्रस्ताव के सम्बन्ध में—

दिल्ली पोलीटेक्निक के एक विद्यार्थी द्वारा आत्महत्या ५०

समितियों के लिये निर्वाचन—— पृष्ठ
१. भारतीय परिचर्या परिषद्, और ... ५०९
२. दिल्ली विकास प्राधिकार की मंत्रणा-परिषद् ५१०
रेलवे आय-व्ययक, १९५८-५९ उपस्थापित किया गया ५१०–२३
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव—जारी ५२३–५४
एक सदस्य की रिहाई ५२६
सभा का कार्य ५४४
कार्य मंत्रणा समिति—
अठारहवां प्रतिवेदन ५५४
दैनिक संक्षेपिका ... ५५५–५९

अंक ७—मंगलवार, १८ फरवरी, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४१, २४२, २४४, २४५, २४८—२५५, २५७, २५९—२६१, २६५, २६६, २४०, २६६-क और २६७ ... ... ५६१–८५
अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ ... ... ५८५–८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४३, २४६, २४७, २५६, २५८, २६२, २६३ और २६८ से २७९ ... ... ५८७–९३
अतारांकित प्रश्न संख्या ३१३ से ३१५ और ३१७ से ३५८ ... ... ५९४–६०८
सभा पटल पर रखे गये पत्र ६०९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
रूरकेला के इस्पात कारखाने में मजदूरों की हड़ताल ६०९–१०
तारांकित प्रश्न संख्या १३५ से अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि ... ६१०–११
दिल्ली पोलीटेक्निक के एक छात्र द्वारा आत्म-हत्या और अन्य विद्यार्थियों द्वारा हड़ताल के बारे में वक्तव्य ६११–१५
वित्त मंत्री के पद से त्यागपत्र देने के सम्बन्ध में श्री ति० त० कृष्णमाचारी द्वारा वक्तव्य ६१५–२०
कार्य मंत्रणा समिति—
अठारहवां प्रतिवेदन ६२०–२१
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव ... ६२१–३१,६४०–५२
भारतीय रक्षित बल (संशोधन) विधेयक—
विचार के लिये प्रस्ताव ६३१–३८
खण्ड २ और १ ... ... ६३६–३८
संशोधित रूप में पारित करने के लिए प्रस्ताव ६३८
अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५७-५८ ... ... ६३८–४०,६५२–५६
दैनिक संक्षेपिका ६५७–६०

अंक ८—बुधवार, १९ फरवरी, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २८० से २८५, २८८ से २९१, २९३, २९५ से २९८, ३१४, २९९, ३०१ ... ... ६६१–८५

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २८६, २९२, २९४, ३००, ३०२ से ३१३, ३१५ से ३२१ ६८५–९४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५९ से ३९० ... ... ६९४–७११

सभा पटल पर रखे गये पत्र ... ७११–१२

राज्य-सभा से सन्देश ७१२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

काश्मीर स्थित उड़ी में पांच पाकिस्तानी विध्वंसकारियों की गिरफ्तारी ... ७१२–१३

जीवन बीमा निगम के कार्यों के बारे में जांच आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव ७१३–४४

दैनिक संक्षेपिका ... ७४५–४८

अंक ९–गुरुवार, २० फरवरी, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३२२ से ३२५, ३२७ से ३३४, ३४९, ३३५ से ३३८, ३४० और ३४१ ... ... ७४९–७३

अल्पसूचना प्रश्न संख्या ३ ... ... ७७३–७५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३२६, ३३९, ३४२ से ३४८, ३५० से ३५२ और ३५४ से ३६९ ... ... ७७५–८५

अतारांकित प्रश्न संख्या ३९२ से ४४२ ... ७८५–८०२

आसनसोल क्षेत्र में खान दुर्घटना ... ८०२–०३

सभा पटल पर रखे गये पत्र ८०३

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

चौदहवां प्रतिवेदन ८०३

वायदे के सौदे (विनियमन) अधिनियम और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम के बारे में याचिका ८०३–०४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

दिल्ली में पटेल नगर तथा उसके निकट के क्षेत्रों से जहरीली गैस का फैलना ८०४

तारांकित प्रश्न संख्या ९९८ के उत्तर की शुद्धि ८०५

जीवन बीमा निगम के मामलों के बारे में जांच आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव ८०६–२९

एक सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण ... ८१२

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५७-५८ ... ... ८३०–३९

भारत-पाकिस्तान नहरी पानी विवाद के बारे में आधे घंटे की चर्चा ८३९–४४

राष्ट्रपति से सन्देश ८४४

दैनिक संक्षेपिका ८४५–४९

अंक १०–शुक्रवार, २१ फरवरी, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३७० से ३७२, ३७४ से ३७९, ३८१, ३८२, ३८४, ३८६ से ३८८, ३९०, ३९२ से ४०१, ४०३ और ४०२ ... ... ८५१–७५

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३७३, ३८०, ३८३, ३८६, ३६१, ४०४, ४०५ ८७६–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४३ से ४८१ ८७८–६४

सभा पटल पर रखा गया पत्र ८६४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों द्वारा असहयोग आन्दोलन ८६४–६६

जानकारी का प्रश्न ८६६

सभा का कार्य ... ८६७

अनर्हता निवारण विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन की उपस्थापना के लिये समय का बढ़ाया जाना ८६७

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १६५७-५८ ... ... ८६७–६२६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

चौदहवां प्रतिवेदन ६२६

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ६२६

वृद्धावस्था विवाह रोक विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ... ६२७

निर्धारित समय को बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव ६२७

स्त्रियों के साथ छेड़-छाड़ के लिये दण्ड सम्बन्धी विधेयक—वापिस लिया गया ६२७–३७

दैनिक संक्षेपिका ६३८–४१

नोट :— मौखिक उत्तर वाले प्रश्नों में किसी नाम पर अंकित यह × चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्नों को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

M108LS—(SIII)—160—12-6-58—GIPF.

लोक-सभा

मंगलवार, १८ फरवरी, १९५८

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

†**अध्यक्ष महोदय** : अब प्रश्नों के उत्तर दिये जायेंगे । श्री राधा रमण ।

†**श्री राधा रमण** : २४०

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री उपस्थित नहीं हैं । अगला प्रश्न ।

केन्द्रीय ईंधन गवेषणा संस्था, जियालगोड़ा

†*२४१. { **श्री स० च० सामन्त** :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह जानकारी हो :

(क) क्या केन्द्रीय ईंधन गवेषणा संस्था जियालगोड़ा, बिहार में 'कोयलीन' के उत्पादन के लिये कोई अग्रिम संयंत्र लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो योजना पर कुल कितना ख़र्च किया गया है;

(ग) कारखाने का मासिक उत्पादन कितना है;

(घ) 'कोयलीन' किस-किस प्रयोग में आती है; और

(ङ) आयात की जाने वाली कोयलीन का कुल मूल्य क्या है और देश में प्रत्येक वर्ष इसकी कितनी खपत होती है ?

†**श्री शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास)** : (क) अभी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

(घ) एक विवरण जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १९]**

†मूल अंग्रेजी में ।

(ङ) भारत में कोयले का आयात नहीं किया जाता इस लिये प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। कोयलीन की खपत भी नहीं होती क्योंकि न तो इसका उत्पादन होता है और न ही इसका आयात होता है।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या एक अग्रिम कारखाना खोलने की योजना के ब्योरे का परीक्षण करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई थी ?

†**श्री म० मो० दास** : जी हां; यह सच है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् के शासी निकाय में अग्रिम कारखाने की योजना का परीक्षण करने के लिये वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् के डायरेक्टर-जनरल प्रो० ठाकर के सभापतित्व में एक समिति नियुक्त की गई थी ?

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या उस समिति ने कोई सिफारिश की थी और यदि हां, तो वह क्या है ?

†**श्री म० मो० दास** : समिति ने कुछ चर्चा के बाद यह सोचा कि अधिक जानकारी की आवश्यकता थी। उन्होंने और जानकारी एकत्र करने के लिये निदेश दिये थे जिस पर बाद में विचार किया जायेगा।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या अग्रिम कारखाने पर होने वाले खर्च के बारे में समिति ने कोई प्राक्कलन तैयार किया था ?

†**श्री म० मो० दास** : अग्रिम कारखाने के लिये मोटे तौर पर प्राक्कलन तैयार किया गया था। कारखाने पर ८ लाख रुपये की लागत का अनुमान था और आवर्तक व्यय का प्राक्कलन १·५ लाख रुपये था।

†**श्री राधा रमण**: जानकारी प्राप्त करने के लिये मैं यह पूछना चाहता हूं कि विधि-कार्य मंत्री की अनुपस्थिति के कारण पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सका। क्या उनके आ जाने पर उसका उत्तर दिया जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उनके आ जाने पर प्रश्न का उत्तर अवश्य दिया जायेगा।

†**श्री त्यागी** : ऐसा कभी नहीं होता कि यदि मंत्री महोदय उपस्थित न हों तो प्रश्न को निलम्बित कर दिया जाये। साधारण प्रथा यह है कि यदि किसी मंत्री को कहीं रुकना पड़े तो वह किसी अन्य मंत्री को उत्तर देने के लिये कह देता है।

†**एक माननीय सदस्य** : उप मंत्री भी तो उत्तर दे सकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : दोनों अनुपस्थित हैं। सभा के ध्यान में यह बात आ गई है। अगला प्रश्न। श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा। वह उपस्थित नहीं हैं। श्री रामेश्वर टांटिया।

†**डा० राम सुभग सिंह** : अगला नाम मेरा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : आप के नाम से पहले श्री टांटिया का नाम है।

†**डा० राम सुभग सिंह** : कृपया आप ध्यान से पढ़ें।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री टांटिया का नाम बढ़ाया गया है।

†**डा० राम सुभग सिंह** : उसे आखिर में लिखा जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**अध्यक्ष महोदय** : हां, परन्तु मेरे पास जो सूची है उसके प्रारम्भ में ही उनका नाम बढ़ाया गया है। मैं इस बारे में जांच करूंगा। अच्छा तो मैं डा० राम सुभग सिंह और श्री टांटिया दोनों का नाम ले देता हूं ।

जापान से ऋण

\+

†*२४२. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री हेम राज :
श्री पद्म देव :
श्री झुनझुनवाला :
श्री सिद्धनंजप्पा :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री शोभा राम :
श्री हेम बरुआ :
श्री आसर :
श्री नौशीर भरूचा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जापान सरकार से १८०,००० लाख येन का ऋण मिलने की पेशकश हुई है ;

(ख) क्या उसे स्वीकार कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं; और

(घ) उसे किन प्रयोगों में लाया जायगा ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** :(क) से (घ). जापान से येन ऋण के बारे में ४ फरवरी, १९५८ को जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २०]**

† **डा० राम सुभग सिंह** : यह राशि भारत में कब पहुंचनी शुरू होगी ?

†**श्री ब० रा० भगत** : हम ने एक शिष्ट मंडल भेजा था जो ऋण प्राप्त करने में सफल रहा और ४ फरवरी को एक विज्ञप्ति जारी की गई। ऋण की शर्त यह है कि तीन वर्ष में समस्त राशि भारत को मिल जायेगी। परन्तु यह बताना कठिन है कि कब पहुंचनी शुरू होगी। सम्भव है कि शीघ्र ही आने लगे।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या इसका यह अर्थ है कि विज्ञप्ति के अतिरिक्त सरकार के पास और कोई जानकारी नहीं है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : माननीय सदस्य क्या जानकारी चाहते हैं? जो उपलब्ध है वह मैं दे सकता हूं ।

श्री रामेश्वर टांटिया उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या आपको मूल प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : जी हां ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अभी मैं आप को प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दुंगा । श्री त्यागी ।

†**श्री त्यागी** : सरकार ने इस वर्ष कितना ऋण लेकर खर्च करने का निश्चय किया है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : यह ऋण जापान से प्राप्त किया जा रहा है । सरकार द्वारा कुल ऋण खर्च करने के बारे में मुझे अलग पूर्व सूचना चाहिये ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : इस ऋण पर लिये जाने वाले ब्याज की दर विश्व बैंक तथा अन्य अभिकरणों की ब्याज दर से बहुत कम है । जापान में देश के भीतर जो ब्याज की दर है यह उस से भी कम है । इसे देखते हुए क्या सरकार भारत को दी गई इस रियायत के कारण जापान को व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य समझौते अथवा किसी अन्य व्यापार करार के अधीन कोई रियायत देगी ?

†**श्री ब० रा० भगत** : इस ऋण पर लिये जाने वाले ब्याज की दर विश्व बैंक की ब्याज दर से न तो अधिक है न ही कम । उसके बराबर ही है । यह करार की एक शर्त है । दूसरा प्रश्न इससे उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री हेम बरुआ** : यदि हमारी सरकार यह ऋण जापानी मुद्रा में न चुका सके तो क्या जापान सरकार उसे स्टर्लिंग पौंड में स्वीकार कर लेगी ?

†**श्री ब० रा० भगत**: येन ऋण येन मुद्रा में ही चुकाना होगा । जहां तक विदेशी मुद्रा का सम्बन्ध है, इसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता क्योंकि देना तो हमीं को हैं चाहे हम स्टर्लिंग में दें या येन में या अन्य किसी मुद्रा में ।

श्री रघुनाथ सिंह : वर्ल्ड बैंक ने हिन्दुस्तान को जो लोन दिया है वह चार से लेकर पांच परसेंट इंटिरेस्ट पर दिया है और रूस ने जो लोन दिया है वह ढाई परसेंट के हिसाब से दिया है । अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जो रेट आव इंटिरेस्ट होगा वह इंटरनैशनल बैंक के रेट आव इंटिरेस्ट के अनुसार होगा । मैं जानना चाहता हूं कि यह रेट आव इंटिरेस्ट चार-पांच परसेंट होगा या रूस के रेट आव इंटिरेस्ट के बराबर होगा, जोकि ढाई परसेंट है ?

श्री ब० रा० भगत: मैं ने यह कहा है कि बर्ल्ड बैंक का जो रेट आव इंटिरेस्ट है उसके अनुसार होगा । वर्ल्ड बैंक का जो रेट है वह पांच परसेंट नहीं, करीब करीब छः परसेंट है । वह बढ़ गया है । उसी के अनुसार इस लोन पर भी इंटिरेस्ट दिया जाएगा ।

श्री रघुनाथ सिंह : एक स्टेटमेंट दी गई है जिसमें यह कहा गया है कि रेट आव इंटिरेस्ट चार परसेंट और साढ़े पांच परसेंट है और उसी पर हम को उसने लोन दिया है । रूस ने जो लोन दिया है उस पर ढाई परसेंट के हिसाब से इंटिरेस्ट देना होगा । मैं जानना चाहता हूं कि जापान ने जो लोन दिया है, उस पर क्या रेट आव इंटिरेस्ट चार्ज किया जाएगा ?

श्री ब०रा० भगत : मैं ने यह कहा है कि पहले वर्ल्ड बैंक का जो रेट आव इंटिरेस्ट था वह चार-पांच परसेंट के करीब था । लेकिन अब जो इंटिरेस्ट वह चार्ज करता है वह करीब-करीब छः परसेंट है । जो एग्रीमेंट हमारा जापान के साथ हुआ है उसमें यह तय पाया गया है कि वर्ल्ड बैंक रेट आव इंटिरेस्ट के हिसाब से ही वह हमसे इंटिरेस्ट चार्ज करेगा । इसके अलावा और कोई दूसरी बात नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : विवरण में वस्तुओं की एक लम्बी सूची दी गई है। क्या इन्हें खरीदने के लिये कोई प्राथमिकता निर्धारित की गई है या कि एक ही बार में उनका व्ययादेश भेज दिया जायेगा ?

†**श्री ब० रा० भगत** : प्राथमिकतायें तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना द्वारा निर्धारित की जायेंगी। उनमें से अधिकतर पूंजीगत वस्तुयें ही हैं जो योजना को कार्यान्वित करने में प्रयुक्त होंगी।

†**डा० राम सुभग सिंह** : प्रश्न का भाग (घ) ऋण के प्रयोग के बारे में है। क्या इस ऋण में से कुछ राशि टेलीप्रिंटर खरीदने पर भी खर्च की जायेगी जो हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में समाचार प्रेषित कर सके ?

†**श्री ब० रा० भगत** : मुझे यह मालूम नहीं। सामान्य सूची में ट्रांसमीशन, बांध निर्माण, कोयला खान, रेलवे उपकरण, कास्टिक सोड़ा के कारखाने आदि की परियोजनायें शामिल हैं। मेरे ख्याल से टेलीप्रिंटर उसमें शामिल नहीं है।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या इस ऋण अथवा इसके कुछ अंश का प्रयोग भारत सरकार उन पूंजीगत वस्तुओं की खरीद के लिये करेगी जिसके बारे में वह वादा कर चुकी है और जिसके व्ययादेश भी भेजे जा चुके हैं और जो कि पहुंचने ही वाली हैं ?

†**श्री ब० रा० भगत** : व्ययादेश कहां भेजे गये थे ?

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी**: जापान में।

†**श्री ब० रा० भगत** : उसे इन परियोजनाओं के लिये जापानी माल खरीदने के लिये खर्च किया जायेगा। यह मालूम नहीं कि उसे उस माल पर खर्च किया जायेगा जिसके व्ययादेश भेजे जा चुके हैं। मैं यह बताने में असमर्थ हूं।

†**श्री दासप्पा** : यह देखते हुए कि हमें यह ऋण जापान से खरीदे जाने वाले माल पर खर्च करने के लिये दिया जाना है क्या सरकार तीन वर्ष की निश्चित अवधि में इस ऋण से फायदा उठाने के लिये सामान मंगवा सकेगी ?

†**श्री ब० रा० भगत** : हमारा इरादा तो यही है।

†**श्री तंगामणि** : क्या यह ऋण साधारण तौर पर दिया गया है या कि इस शर्त पर कि इसे जापानी मशीनें खरीदने पर खर्च किया जायेगा ?

†**श्री ब० रा० भगत** : यह ऋण बड़ा साधारण है। शर्त यह है कि हम जापानी मशीनें खरीदेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : विधि-कार्य मंत्री आ गये हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे भी दिखाई देता है कि विधि-कार्य मंत्री आ गये हैं। विधि-कार्य मंत्री कुछ समय प्रतीक्षा कर सकते हैं। अगला प्रश्न।

संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासनों के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता

†*२४४. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री २० दिसम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासनों के कर्मचारियों को भी वह ५ रुपये की अन्तरिम सहायता मिली है जो वेतन आयोग की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दी गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासनों के उन कर्मचारियों को ५ रुपये की अन्तरिम सहायता दी गई है जिन्हें केन्द्रीय सरकार की दरों के अनुसार महंगाई भत्ता दिया जाता है।

उन कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता नहीं दी गई है जिन्हें महंगाई भत्ता उनके पड़ोसी राज्यों में दिये जाने वाले महंगाई भत्ते की दर के अनुसार दिया जाता है।

†**श्री ले० अचौ सिंह** : क्या इससे यह समझा जाये कि संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों के कर्मचारी (५) रुपये की वह अन्तरिम सहायता पाने के अधिकारी नहीं होंगे जिसकी वेतन आयोग ने सिफारिश की है ।

†**श्री ब० रा० भगत** : मैंने कहा है कि इस सम्बन्ध में हमने वेतन आयोग से जो स्पष्टीकरण मांगा है उसके अनुसार यह अन्तरिम सहायता केवल उन्हीं व्यक्तियों को मिल सकेगी जिन्हें केन्द्रीय वेतन-क्रम और भत्ते मिलते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों में से कुछ ऐसे हैं जहां केन्द्रीय वेतन-क्रम लागू होते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जहां यह वेतन-क्रम लागू नहीं होते। वेतन आयोग के स्पष्टीकरण के अनुसार यह केवल वही राज्य क्षेत्र यह सहायता पाने के अधिकारी होंगे जिनमें केन्द्रीय वेतन-क्रम लागू होते हैं।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि यूनियन टैरिटेरीज़ में कौन-कौन-सी ऐसी स्टेट्स हैं जिनमें यह पे स्केल्स लागू होंगे और क्या उनमें दिल्ली भी शामिल है ?

श्री ब० रा० भगत : दिल्ली शामिल है।

श्री म० ला० द्विवेदी : और कौन-कौन हैं ?

अध्यक्ष महोदय : श्री तंगामणि ।

श्री म० ला० द्विवेदी : अध्यक्ष महोदय, अभी मिनिस्टर महोदय ने मेरे पूरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, प्रश्न का कुछ भाग उत्तर देने से रह गया है।

अध्यक्ष महोदय : यदि ऐसा हो तो वह पूरा कर सकते हैं।

श्री ब० रा० भगत : दिल्ली शामिल है। उसमें और दूसरे प्रदेश हैं जैसे मनीपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश, इन पर यह लागू नहीं होगा क्योंकि इनके जो पे स्केल्स हैं, जैसे मनीपुर में आसाम का स्केल होता है, त्रिपुरा में वेस्ट बंगाल का और हिमाचल प्रदेश में पंजाब का स्केल लागू होता है।

†**श्री तंगामणि** : उपमंत्री महोदय ने कहा है कि संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के केवल कुछ ही प्रतिशत कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता की यह सुविधा मिल सकेगी। कुल अर्मचारियों में से कितने प्रतिशत कर्मचारियों को यह सहायता मिल सकेगी––उनकी संख्या कितनी होगी, और यदि यह संख्या बताना सम्भव न हो तो उनकी प्रतिशत ही बता दीजिये ?

†**श्री ब० रा० भगत** : मैंने प्रतिशत की बात नहीं कही थी। मैंने कहा था कि मनीपुर, त्रिपुरा हिमाचल प्रदेश जैसे अपने पड़ोसी राज्यों के वेतन-क्रमों से शासित होने वाली कुछ राज्य-क्षेत्रों को वेतन आयोग द्वारा दी गई अन्तरिम सहायता में सम्मिलित नहीं किया जायेगा क्योंकि वेतन आयोग ने अपने स्पष्टीकरण में कहा था कि उन्होंने इन राज्य-क्षेत्रों के प्रश्न पर विचार नहीं किया था। लेकिन दिल्ली, अन्दमान और निकोबार द्वीप जैस केन्द्रीय वेतन-क्रमों स शासित होने वाले राज्य क्षेत्र इसे पाने के अधिकारी होंगे। अन्य राज्य-क्षत्रों के कर्मचारियों को, जिन में राज्यों के वेतन-क्रम लागू होते हैं, कुछ अन्तरिम सहायता देने के प्रश्न पर सरकार सक्रियता और शीघ्रतापूर्ण ढंग से विचार कर रही है। इस प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री जयपाल सिंह** : सरकार इस प्रकार का भेद-भाव क्यों करती है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं इस आक्षेप का खण्डन करता हूं। मैंने यह कहा था कि अपने स्पष्टीकरण में वेतन आयोग ने यह कहा था कि उनके सूत्र अथवा व्यवस्था के अनुसार यह उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जिनमें राज्यों के वेतन-क्रम लागू होते हैं। यह भेद-भाव नहीं है। जैसा मैंने कहा, हम उन राज्य-क्षेत्रों के कर्मचारियों को भी कुछ अन्तरिम सहायता प्रदान करने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं जिन पर यह लागू नहीं होगी।

पहाड़ी-क्षेत्र मंत्रालय[1]

+

†*२४५. { **डा० राम सुभग सिंह** :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वाजपेयी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, १९५७ के अंतिम सप्ताह में प्रधान मंत्री के आसाम के दौरे क समय रेवरेंड निकोलस राय के नेतृत्व में एक प्रति निधि मण्डल ने उन्हें एक ज्ञापन दिया था जिसमें वहां एक पृथक पहाड़ी-क्षेत्र मंत्रालय की मांग की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस ज्ञापन पर विचार कर अपने विचार उस प्रतिनिधि मण्डल को भेज दिये हैं; और

(ग) उनको क्या उत्तर भेजा गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां।

(ख) स्वायत्तशासी पहाड़ी जिलों के सम्बन्ध में कुछ अन्य अभ्यावेदन और भी आये हैं। यह सम्पूर्ण मामला विचाराधीन है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री हेम बरुआ** : रेवरेंड निकोलस राय द्वारा सुझाया गया यह मंत्रालय स्काटिश-मामलों के मंत्रालय की तरह ब्रिटिश नमूने के आधार पर होगा या द्वैध नमूने का मंत्रालय के भीतर मंत्रालय होगा ?

†**श्री दातार** : हमें ब्रिटिश शासन के दिनों में वापस लौटने की जरूरत नहीं है। हम संविधान द्वारा शासित होते हैं। इस सम्बन्ध में अनुसूची ६ को देखा जाना चाहिए।

†**श्री हेम बरुआ** : आदिम जाति इकाई को भी मंत्रालय के स्तर पर शामिल करने का काम रेवरेंड निकोलस राय द्वारा सुझाये गये नमूने के आधार पर किया गया है या वह बिल्कुल मौजूदा नमूने के अनुसार है ?

†**श्री दातार** : क्या मुझे यह बताना पड़गा कि यह प्रश्न कुछ संघों और व्यक्तियों से मिले अभ्यावेदनों से संबंधित है। उनपर विचार किया जा रहा है। माननीय सदस्य ने जो काल्पनिक प्रश्न पूछा है उसके बारे में मैं कुछ भी विशिष्ट जानकारी नहीं दूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[1] Hills Ministry.

अन्तर्राष्ट्रीय भूभौतिकीय वर्ष

†*२४८. { श्री पाणिग्रही :
श्री वाजपेयी :

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने भारत में अन्तर्राष्ट्रीय भूभौतिकीय वर्ष मनाने के सम्बन्ध में कोई विशेष राशि मंजूर की है ;

(ख) क्या देश में वैज्ञानिक गवेषणा करने वाली किसी संस्था को इस प्रयोजन के लिये कोई सहायता दी गई है ; और

(ग) उसका उपयोग किस ढंग से किया गया या किया जायेगा ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास)** : (क) से (ग) . लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है । **[देखिये परिशिष्ट २ अनुबन्ध संख्या २१]**

†**श्री पाणिग्रही** : अन्तर्राष्ट्रीय भूभौतिकीय वर्ष के दौरान में हमने विज्ञान के क्षेत्र में भारत में क्या विशेष सफलतायें हासिल की हैं ?

†**श्री म० मो० दास** : अन्तर्राष्ट्रीय भू-भौतिकीय वर्ष अभी जुलाई में ही शुरू हुआ है । यह १½ वर्ष तक चलेगा । अन्य देशों के वैज्ञानिकों—अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों—ने जो भी योजना बनायी है, उसके अनुसार हम उन बातों के सम्बन्ध में खोजबीन कर रहे हैं जो हमें आवंटित की गई हैं । इन खोजों के परिणाम विश्व के कुछ केन्द्रों को भेजे जायेंगे और वहां से वह प्रसारित कर दिये जायेंगे ।

†**श्री पाणिग्रही** : क्या उन न्यूट्रान मानीटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जिनका उपयोग गुलमर्ग और दार्जिलिंग में होना था ?

†**श्री म० मो० दास** : यदि ब्यौरे की यह सब बातें पूछनी हों, तो माननीय सदस्य मुझे पृथक पूर्व सूचना दें, मैं इनका उत्तर दे दूंगा ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मै जान सकता हूं कि इस भू-भौतिकी वर्ष के लिये कितने रुपये का प्रबन्ध किया गया है और कितना अब तक व्यय हो चुका है ?

†**श्री म० मो० दास** : यह खोज देश के विभिन्न वैज्ञानिक संगठनों द्वारा की जायेगी । व्यय इन्हीं संगठनों द्वारा उठाया जायेगा ; कुछ का खर्च केन्द्रीय सरकार देगी और कुछ का वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् देगी ।

दिल्ली विश्वविद्यालय

*२४९. { श्री भक्त दर्शन :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री २६ नवम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ४९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय की विज्ञान कक्षाओं में विद्यार्थियों की प्रवेश-संख्या बढ़ाने का जो प्रश्न् विचाराधीन था, उसके बारे में इस बीच क्या निर्णय किया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) इस समय विश्वविद्यालय की प्रत्येक विज्ञान कक्षा में अधिक से अधिक कितने विद्यार्थियों को प्रविष्ट किया जा सकता है; और

(ग) नये प्रस्ताव कार्यान्वित होने पर यह संख्या कितनी बढ़ जायगी ?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २२]**

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं, कि जुलाई, १९५७ में कितने छात्रों को बी० एस० सी० और एम० एस० सी० की कक्षाओं में प्रवेश नहीं मिल सका, जिसकी वजह से यह समस्या उठी है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : यद्यपि यह संख्या बहुत नहीं है, लेकिन यह सत्य है कि कई छात्रों को प्रवेश नहीं मिल पाया ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं न जान सकता हूं कि दिल्ली युनिवर्सिटी में इन संख्याओं को बढ़ाने के बारे में क्या केन्द्रीय सरकार से कोई विशेष अनुदान दिया जा रहा है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी, हां । यह केन्द्रीय विश्वविद्यालय है । इसका कुल खर्चा युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन उठाता है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मननीय मंत्री जी के ध्यान में यह आया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय की कक्षायें केवल दिल्ली के छात्रों के लिये ही नहीं खुली हुई हैं, बल्कि पड़ोस के उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों के बहुत-से छात्र भी यहां आते हैं। इसमें जो व्यवस्था की जा रही है वह कोई २० प्रतिशत प्रति वर्ष है। क्या इस बात का प्रयत्न किया जायेगा कि और अधिक छात्रों को बड़ी संख्या में लिया जा सके ।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति :** क्या मैं यह .....

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं काफी मौके दे चुका हूं। माननीय सदस्य को पहले खड़ा होना चाहिये था।

†**श्री ब० स० मूर्ति :** मैं खड़ा हो रहा था ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैंने देखा नहीं ।

विश्वविद्यालय के अध्यापक

†*२५०. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालयों के अध्यापकों का वेतन-क्रम बढ़ाने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अब तक कितनी राशि दी है ; और

(ख) विश्वविद्यालयों और राज्य-सरकारों से इस सम्बन्ध में किस सीमा तक सहयोग प्राप्त हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) २० २९, ९३४ रुपये १२ आने । लेकिन इस राशि में वह व्यय सम्मिलित नहीं है जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के वेतन-क्रमों का पुनरीक्षण करने में व्यय की गई थी, क्योंकि यह खण्ड अनुदानों का ही एक अंश है ।

(ख) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २३**]

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : विश्वविद्यालयों के अध्यापकों को यह जो बढ़े हुए पारिश्रमिक दिये जा रहे हैं क्या उन पर उन्हें भविष्य निधि सम्बन्धी सुविधा भी मिल सकेगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह प्रश्न अध्यापकों के वेतनों में वृद्धि के बारे में है । जैसा कि सभा को मालूम है, विश्वविद्यालयों के अध्यापकों का वेतन बढ़ाने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्व-विद्यालयों की सहायता कर रहा है । यह भविष्य निधि का प्रश्न नहीं उठता ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : विवरण से पता चलता है कि बम्बई सरकार और आंध्र प्रदेश की सरकार इस व्यय को बंटाने के लिये तैयार नहीं है । इसके लिये उन्होंने क्या कारण बताये हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जो विश्वविद्यालय वेतन नहीं बढ़ा सके हैं वह वही हैं जो अपने आप बराबर की राशि की व्यवस्था नहीं कर पाये हैं । यह अनुदान इसी आधार पर दिये जाते हैं कि वह भी कुछ राशि की व्यवस्था अपने आप कर लेंगे । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कुल खर्चे का ८० प्रतिशत भाग स्वयं उठाता है और आशा करता है कि शेष २० प्रतिशत भाग राज्य-सरकार अथवा सम्बन्धित विश्वविद्यालय खुद उठा लेगा । जो राज्य-सरकारें अथवा विश्वविद्यालय अपने हिस्से के २० प्रतिशत भाग की व्यवस्था करने में असमर्थ रहे हैं वही वेतन बढ़ा नहीं सके हैं ।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : सरकारी अथवा गैर-सरकारी कालेजों में काम करने वाले कालेज के अध्यापकों को समान दर पर वेतन दिलाने की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह प्रश्न केवल विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के बारे में है । इस समय मैं कालेज के अध्यापकों की बात नहीं कर रहा हूं ।

†**श्री तंगामणि** : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जिन बढ़े हुए वेतन क्रमों की सिफारिस की है क्या मद्रास और अन्नामलाई विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर, रीडरों और लेक्चररों को उसी के अनुसार वेतन दिया जा रहा है और क्या मद्रास और अन्नामलाई विश्वविद्यालय अपने हिस्से का बीस प्रतिशत अंश दे रहे हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यदि अलग-अलग सदस्य अलग-अलग विश्वविद्यालयों के बारे में जानना चाहते हैं तो तब मुझे सारी जानकारी पटल पर रखने में बड़ी खुशी होगी । मेरे ख्याल से यही ज्यादा अच्छा होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अच्छी बात है ।

†**श्री तंगामणि** : कुछ विश्वविद्यालयों के नाम तो इस विवरण में ही दिये हुए हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : देश में ३० विश्वविद्यालय हैं, एक पृथक् प्रश्न पूछ लिया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या इस २० प्रतिशत अंश को विश्वविद्यालय और राज्य-सरकार आप से बांट लेंगे ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इसका निश्चय विश्वविद्यालय ही करेंगे । जहां कहीं राज्यों के विश्व-विद्यालय हैं, स्वाभाविक है कि वहां पर धन की व्यवस्था राज्य-सरकार ही करती है । अन्य मामलों में अन्त में विश्वविद्यालयों को ही निश्चय करना पड़ता है ।

आय-कर जांच आयोग

†*२५१. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय पर कर (जांच आयोग) अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा तय किये गये आय-कर की पूरी राशि विभिन्न निर्धार्यों से वसूल की जा चुकी है ;

(ख) यदि नहीं, तो अब तक कुल कितनी राशि वसूल हुई है ;

(ग) कितनी राशि वसूल होनी बाकी है; और

(घ) शेष राशि के वसूल होने में देर होने की वजह क्या है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) १०·२१ करोड़ रुपये ।

(ग) ७·९३ करोड़ रुपये ।

(घ) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें कारण बता दिये गये हैं । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २४]**

†**श्री राम कृष्ण** : विवरण से पता चलता है कि यह निर्धार्य अपने समझौतों का पालन नहीं कर रहे हैं । उनके नाम क्या हैं ?

†**श्री ब० रा० भगत** : हम नाम नहीं बता सकते और न वह इस फाइल में ही हैं ।

†**श्री बि० दास गुप्त** : उन पर जो राशि अब भी बकाया है उसे वसूल करने के लिये क्या कार्य-वाही की गयी है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : उच्चतम न्यायालय के विभिन्न फैसलों के फलस्वरूप इस मामले में बड़ी ही जटिल कानूनी कठिनाइयां उठ खड़ी हुई थीं और कहीं जाकर १९५७ के जून में महान्यायवादी ने इस बात की पुष्टि की कि समझौते वाले जो मामले पूरे हो चुके हैं उनमें हम वसूली शुरू कर सकते हैं । उसके बाद से हम इन राशियों को वसूल करने के लिये काफ़ी सक्रियता से हर तरह के दबाव वाले तरीके अपना रहे हैं । काफी बड़ी राशि हम वसूल भी कर चुके हैं और शेष की वसूली चल रही है ।

इंडोनेशियाई वायुसेना के कर्मचारी

†*२५२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्डोनेशिया ने अपनी वायु सेना के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने में भारत की सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय वायु सेना ने इंडोनेशियाई वायु सेना के कर्मचारियों को क्या सुविधायें प्रदान की हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ग) क्या इन्डोनेशिया के विमान चालकों को प्रशिक्षण देने के लिये भारतीय प्रशिक्षक इंडोनेशिया को सौंप दिये गये हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). प्रशिक्षण और सामान के संभरण के विषय में इंडोनेशिया सरकार से हमारी मैत्रीपूर्ण व्यवस्थाएं हैं, ठीक वैसी ही जैसी अपनी सशस्त्र सेनाओं के सम्बन्ध में अन्य मित्र देशों से थीं । यदि सभा इस विषय में और भी ज्यादा जानकारी चाहे तो हमें इंडोनेशिया सरकार के प्रति शिष्टाचार के नाते उसे प्रकट करने से पहले उनकी रजामंदी प्राप्त करनी होगी ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या कुछ इंडोनेशियाई छात्रों को अध्ययन के लिये हमारी सैनिक अकादमी में भर्ती किया जा रहा है ?

†**सरदार मजीठिया** : जी, नहीं; उन्होंने इस प्रकार का प्रबन्ध करने के लिये नहीं कहा है लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि हमने उनके कुछ कर्मचारियों को भारतीय वायु सेना में प्रशिक्षित किया है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : उपमंत्री महोदय ने प्रश्न के उत्तर में बताया है कि इंडोनेशिया सरकार को कुछ अत्यावश्यक सामान दिया जा रहा है । क्या यह अत्यावश्यक सामान भारत में बना है ?

†**सरदार मजीठिया** : मैं इसी समय यों ही तो कुछ भी नहीं बता सकता । साथ ही, मैं कह चुका हूं कि यदि सभा और आगे जानकारी चाहे तो इस जानकारी को प्रचारित करने के लिये इंडोनेशिया सरकार की अनुमति ले लेना ही ठीक होगा ।

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या भारतीय वायु सेना में इंडोनेशियाइयों को प्रशिक्षण देने की इस योजना के अधीन हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट द्वारा बनाये गये प्रशिक्षण विमान उस देश को बेचे जायेंगे ?

†**सरदार मजीठिया** : यह बिल्कुल ही पृथक प्रश्न है । यह प्रश्न तो इससे उत्पन्न नहीं होगा ।

†**श्री जयपाल सिंह** : क्या यह सच नहीं है कि इस मैत्रीपूर्ण सहयोग का एक परिणाम यह भी हुआ है कि इंडोनेशिया में एच० टी०–२ विमानों की मांग बढ़ती जा रही है ?

†**सरदार मजीठिया** : जहां तक एच० टी०–२ विमानों का प्रश्न है, उसे हमने इंडोनेशिया में प्रदर्शित किया है लेकिन वहां उसकी बिक्री के विषय में और आगे कुछ भी प्रगति नहीं हुई है ।

†**श्री बीरेन राय** : क्या हम अपने कर्मचारियों को वहां भेजने के स्थान पर उनके कर्मचारियों को यहीं भारत में ही प्रशिक्षण देने का सिद्धांत नहीं स्वीकार कर सकते ?

†**सरदार मजीठिया** : हम यही तो कर रहे हैं । लेकिन ऐसे दो अफ़सर हैं जिन्हें हमने उनके अनुरोध पर उनकी सहायता के लिये इंडोनेशियाई वायु सेना में रख दिया है । इससे हमारा पारस्परिक लाभ होगा ।

†मूल अंग्रेजी में ।

जीवन बीमा निगम जांच आयोग का प्रतिवेदन

+

†*२५३. **श्री राम कृष्ण :**
श्री त्रि० कु० चौधरी :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हेडा :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री साधन गुप्त :
श्री जगदीश अवस्थी :
श्री दलजीत सिंह :
श्री स० म० बनर्जी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या मूंदड़ा-समूह के समवायों में अंशों की खरीद के सम्बन्ध में जीवन बीमा निगम के सौदों की जांच के लिये नियुक्त किये गये जांच आयोग ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो वह किन उपपत्तियों पर पहुंचा है ;

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या उस प्रतिवेदन की एक प्रति लोक-सभा पटल पर रखी जायगी ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क), (ख) और (घ) : जांच आयोग द्वारा दिये गये प्रतिवेदन की एक प्रति १३ फरवरी, १९५८ को लोक-सभा पटल पर रखी जा चुकी है ।

(ग) प्रतिवेदन विचाराधीन है ।

†**श्री राम कृष्ण** : क्या प्रधान सचिव श्री एच० एम० पटेल के खिलाफ़ कोई कार्यवाही की गई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य और वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : अभी किसी के खिलाफ़ कोई कार्यवाही नहीं की गई है । उस पर विचार किया जा रहा है ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : क्या मैं यह ....

†**अध्यक्ष महोदय** : कल इस विषय पर सदन में चर्चा होगी ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : यह स्पष्टीकरण मांगने की बात है । क्या जांच के समय महान्यायवादी भारत सरकार की हिदायतों के अनुसार कार्य कर रहे थे या अपने मन से कार्य कर रहे थे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : महान्यायवादी की सेवायें आयोग की अर्पित कर दी गयीं थीं । उन्हें कोई विशेष हिदायत नहीं दी गई थी और न कुछ बात सुझायी गई थी । इसलिये उन्होंने सम्भवत: स्थिति के बारे में अपनी समझ के अनुसार ही कार्य किया ।

†**श्री जयपाल सिंह** : सदन के नेता ने हमें बताया है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ़ कुछ भी कार्यवाही नहीं की गई । क्या यह ख़बर सच है कि श्री मूंदड़ा को आज सुबह ही गिरफ्तार कर लिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या वह भी भारत सरकार के पदाधिकारियों में शामिल हैं ? अब हमें अगला प्रश्न ले लेना चाहिए ।

†**श्री मोहम्मद इमाम** : जिन अफसरों को इसमें शामिल समझा गया है क्या उनके आचरण के सम्बन्ध में और भी आगे जांच की जायेगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस प्रश्न पर कल सभा में चर्चा की जाने वाली है । इसलिये मैं समझ नहीं पाता कि ऐसे अनुपूरक प्रश्नों का तुक क्या होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं और प्रश्न नहीं पूछने दूंगा । अब, अगला प्रश्न ।

†**श्री तंगामणि** : केवल जानकारी के लिये ····

†**अध्यक्ष महोदय** : कल सारी जानकारी दे दी जायगी ।

भारत की वैदेशिक ऋणिता

†*२५४. { **श्री रघुनाथ सिंह** :
श्री अनिरुद्ध सिंह :
श्री हेमराज :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर इस समय प्रत्येक देश का कितना-कितना ऋण है; और

(ख) विभिन्न श्रेणियों के ऋणों पर किस-किस दर से ब्याज दिया जाता है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ख) .लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २५]**

श्री रघुनाथ सिंह : स्टेटमेंट के देखने से ज़ाहिर होता है कि हमारी फारिन इंडेटेडनैस २४४ करोड़ रुपया है । आपने जो लोन लिया है वर्ल्ड बैंक से उसका रेट आव इंटरेस्ट ४ परसेंट से साढ़े पांच परसेंट तक है । यह लोन आपने रेलवे के वास्ते लिया, आयरन एण्ड स्टील के वास्ते लिया, ट्रांवे के वास्ते लिया । हम हर साल ८० करोड़ रुपया फ्रेट के रूप में फारिन शिपिंग कम्पनीज़ को देते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि आपने शिपिंग की उन्नति के वास्ते भी कोई लोन लिया ?

†**श्री ब० रा० भगत** : यह प्रश्न नौवहन के सम्बन्ध में नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न प्रत्येक देश से लिये गये ऋण के बारे में है । माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि उसमें से कितना नौवहन के लिये है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : मैंने विवरण दे दिया है ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य और वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : यदि माननीय सदस्य जानकारी चाहते हों तो हम उसे एकत्र कर सभा के सामने रख देंगे । जहां तक मौजूदा प्रश्न का सवाल है, यह स्पष्ट नहीं था कि यह बात पूछी जायगी ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : इस ऋण में से कितना सरकारी क्षेत्र को और कितना गैर-सरकारी क्षेत्र को मिला है ? क्या मंत्री यह स्पष्ट कर सकते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री ब० रा० भगत** : हम इसका हिसाब लगा देंगे। हमने विशिष्ट ऋणों के नाम दे दिये हैं लेकिन यह हिसाब नहीं लगाया है कि उसमें कितना गैर-सरकारी क्षेत्र को और कितना सरकारी क्षेत्र को मिला है।

†**श्री त्यागी** : क्या २२१ करोड़ रुपयों की राशि में वह ऋणिता भी शामिल है जो गैर-सरकारी क्षेत्र के आस्थगित भुगतान के आधार पर मशीनों आदि का आयात कर लेने के कारण हुई है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : इस विवरण में हमने सरकारी क्षेत्र के लिये आस्थगित भुगतान की राशि दे दी है जो २२·६१ करोड़ रुपये होती है। जहां तक गैर-सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है, हमारी जानकारी यह है कि आस्थगित भुगतान के आधार पर जो वास्तविक ऋणिता स्वीकार की गई है उसकी राशि लगभग ३९ करोड़ रुपये होती है।

†**श्री त्यागी** : क्या यह २२१ करोड़ रुपये की राशि में शामिल है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : जी, नहीं। हमने एक पाद-टिप्पण दे दिया है कि केवल सरकारी क्षेत्र के लिये किये गये आस्थगित भुगतान सम्बन्धी वादे दिये गये हैं। हम गैर-सरकारी क्षेत्र के बारे में प्रत्येक देश से सम्बन्धित आंकड़ों का ब्यौरा नहीं दे सके क्योंकि यह जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं थी।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : १९५८ के अन्त तक कुल कितने मूल्य के कितने ऋण की अदायगी होनी थी और इसकी अवधि कितनी बढ़ा दी गयी है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो ब्यौरे की बात है।

†**श्री ब० रा० भगत** : ब्यौरे की इन बातों के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

मद्य-निषेध

†*२५५. { **श्री संगण्णा** :+
श्री मोहम्मद इमाम :
श्री भक्त दर्शन :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे, जिसमें यह दिखाया गया हो कि :

(क) उन राज्यों के क्या नाम हैं जिन्होंने अब तक मद्य निषेध लागू किया है ;

(ख) क्या मद्य निषेध वाले क्षेत्रों में कोई मितव्ययता सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २६**]

†**श्री संगण्णा** : विवरण से यह पता चलता है कि कुछ राज्यों ने बिल्कुल ही मद्य-निषेध को लागू नहीं किया है। क्या मैं इसके कारण जान सकता हूं ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री दातार** : वे इसको लागू करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। कुछ राज्यों में समूचे राज्य में मद्य-निषेध है और कुछ में कुछ भागों में और वे भी जब कभी सम्भव हो सके, इसके विस्तार के बारे में विचार कर रहे हैं।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या मैं उन राज्यों के नाम जान सकता हूं जिन्होंने अभी मद्य-निषेध लागू नहीं किया है ?

†**श्री दातार** : यह जानकारी विवरण में दी हुई है।

†**श्री सोनावने** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का यह विचार है कि मद्य-निषेध की सफल कार्यान्विति के लिये भारत भर में पूर्ण मद्य-निषेध अति आवश्यक होगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो विचारधारा का प्रश्न है।

†**श्री तिम्मय्या** : क्या मैं जान सकता हूं कि १९५८ तक पूर्ण मद्य-निषेध लागू करने के बारे में श्रीमन्नारायण की सिफारिश का क्या हुआ ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : यह बात ध्यान में है।

श्री भक्त दर्शन : इस विवरण से ज्ञात होता है कि दिल्ली प्रान्त में मद्य-निषेध जारी नहीं किया गया है। क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि कुछ दिनों पहले होटलों में जो शराब बन्दी लगाई गई थी वह कुछ ढीला किया जा रहा है और यह अफवाह है कि पहली अप्रेल से इस सम्बन्ध में कुछ छूट दी जायेगी। क्या इस बारे में कोई स्पष्टीकरण किया जायेगा ?

पंडित गो० ब० पन्त : ढीलापन कहीं नहीं आया है। जहां तक अफवाहों का सम्बन्ध है उन्हें सुनने के लिये आदमियों को वक्त नहीं होना चाहिए।

†**श्री मोहम्मद इमाम** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बहुत से बड़े आदमियों और समितियों ने यह पता लगाया है कि मद्य-निषेध का राज्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तो क्या सरकार मद्य-निषेध को अन्य राज्यों में फैलाने से पहले मद्य-निषेध के लागू करने के फलस्वरूप हुए लाभ अथवा हानि के बारे में जांच करेगी ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : माननीय सदस्य द्वारा दिये गये सुझाव पर हम गौर करेंगे।

कई माननीय सदस्य उठे--

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

केरल में पोलीटेक्निक संस्थायें

†*२५७. { **श्री अ० क० गोपालन** :
श्री पुन्नूस :
श्री वारियर :

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केरल राज्य में गैर-सरकारी क्षेत्र में नयी पोलीटेक्निक संस्थाओं की स्थापना के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) उनकी स्थापना के बारे में क्या निर्णय किया जा चुका है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास)**: (क) तथा (ख). केन्द्रीय सरकार ने अब तक केरल राज्य में गैर-सरकारी क्षेत्र में चार गैर-सरकारी पोलीटेक्निक संस्थाओं की स्थापना का अनुमोदन किया है। इन संस्थाओं में से तीन अलगप्पानगर, कलादी और क्विलोन में स्थित हैं। चौथे के लिये राज्य सरकार के संकेत पर कलादी का अनुमोदन किया गया है। राज्य सरकार ने अब प्रस्ताव किया है कि पोलीटेक्निक संस्था त्रिप्रायर में स्थित हो।

अल्लप्पी में गैर-सरकारी क्षेत्र में पांचवीं पोलीटेक्निक संस्था की स्थापना के लिये विचार हो रहा है।

†**श्री पुन्नूस** : क्या मैं केरल राज्य में पोलीटेक्निक संस्थाओं को खोलने के लिये आये आवेदन-पत्रों की संख्या जान सकता हूं और उनमें से कितनों पर राज्य सरकार ने सिफारिश की है ?

†**श्री म० मो० दास** : अभी मेरे पास यह जानकारी नहीं है। यदि अलग सूचना दी जाये तो मैं इसका उत्तर दूंगा।

†**श्री वासुदेवन् नायर** : क्या मैं जान सकता हूं कि गैर-सरकारी क्षेत्र में इन पोलीटेक्निक संस्थाओं के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या सहायता दी जायेगी ?

†**श्री म० मो० दास** : जहां तक अलगप्पानगर का सम्बन्ध है, हम पूंजी व्यय का ६६ २/३ प्रतिशत देने को तैयार हैं और मेरा विचार है कि उसका कुछ अंश दिया भी जा चुका है। आवर्ती व्यय का भारवहन न्यास ही करेगा। जहां तक पंडलम्, क्विलोन, कलादी और त्रिप्रायर पोलीटेक्निक का सम्बन्ध है, हम पूंजी व्यय का ५० प्रतिशत देंगे और आवर्ती व्यय का २५ प्रतिशत भार वहन करेंगे। यह प्रश्न अभी विचाराधीन है।

†**श्री रंगा** : सरकार पोलीटेक्निक सरीखे मामले में भी गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र में क्यों भेदभाव करती है क्योंकि ये लाभ अर्जन करने वाली संस्थाएं नहीं हैं ? वे तो सब शिक्षण संस्थाएं हैं।

†**श्री म० मो० दास** : यह सच है कि वे सब शिक्षण संस्थाएं हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र का अभिप्राय है कि गैर-सरकारी न्यास पोलीटेक्निक की स्थापना के लिये रुपये प्रदान कर रहा है जब कि सरकारी क्षेत्र से प्रयोजन यह है कि राज्य सरकार इसके लिये प्रस्तुत है। अतः इसमें कुछ भेद अवश्य है। इस विषय में राज्य सरकार का भी कुछ उत्तरदायित्व है।

†**श्री पुन्नूस** : तीन संस्थाओं की स्थापना की गई है। इन पोलीटेक्निक में कुल कितने विद्यार्थी प्रशिक्षित किये जा सकते हैं ?

†**श्री म० मो० दास** : अभी केवल दो संस्थाएं ही कार्य कर रही हैं और मेरा विचार है कि प्रत्येक संस्था में १२० विद्यार्थी हैं। प्रत्येक पोलीटेक्निक में वार्षिक रूप से १२० विद्यार्थियों के प्रशिक्षण की गुंजाइश है।

बबीना में किसानों को प्रतिकर

†*२५९. **डा० सुशीला नायर** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ३० अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १३४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

---

†मूल अंग्रेजी में।

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है कि बबीना में किसानों को दिया जाने वाला प्रतिकर अपर्याप्त है ;

(ख) यदि हां, तो इस बात के लिये क्या प्रयत्न किया गया है अथवा करने का विचार है कि मध्य प्रदेश क्षेत्र की समीपवर्ती भूमि के लिये जो प्रतिकर दिया गया था वही बबीना के किसानों को भी दिया जाये; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). राज्य सरकार का अभ्यावेदन विचाराधीन है ।

†**डा० सुशीला नायर** : बबीना किसानों को प्रतिकर देने का प्रश्न दस वर्ष से भी अधिक पुराना है । क्या सरकार इस आशय का संकेत दे सकती है कि यह कब तक तय हो जायेगा ?

†**सरदार मजीठिया** : यह जटिल प्रश्न है क्योंकि भूमि के प्रश्न के साथ ही पेड़ों और कुंओं की संख्या और उस भूमि पर स्थित इमारतों के बारे में भी निर्णय करना है । इनके बारे में विवाद है । इसमें समय तो लगा है किन्तु यह निकट भविष्य में ही निर्णीत कर दिया जायेगा ।

†**डा० सुशीला नायर** : क्या यह सच है कि माननीय मंत्री ने जिन पेड़ों आदि का उल्लेख किया है सैनिक अधिकारियों ने इनका ठेका एक ऐसे ठेकेदार को दे दिया है जो स्थानीय जनता द्वारा इस नीलामी का प्रबल विरोध करने के परिणामस्वरूप अपने अधिकार का प्रयोग करने में असमर्थ है ?

†**सरदार मजीठिया** : उनकी निलामी इसलिये की गई कि वह भारत सरकार की सम्पत्ति थी । यह सच है कि स्थानीय जनता के हस्तक्षेप के कारण पेड़ों को खरीदने वाला ठेकेदार ठेके के अनुपालन में सफल नहीं हो रहा है । किन्तु यह विधि तथा व्यवस्था का प्रश्न है और मैं इस विषय में कुछ नहीं कर सकता हूं ।

†**डा० सुशीला नायर** : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ठेकेदार अपने अधिकारों का प्रयोग करने में असफल रहा है और इस विवाद में उसके भागीदार की हत्या कर दी गई है क्या सैनिक अधिकारी उसे रुपये लौटा देने के प्रश्न पर विचार करेंगे क्योंकि वह नीलामी में प्राप्त अधिकार का प्रयोग नहीं कर सका है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : ये सब सुझाव हैं ।

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : यह कुछ कठिन प्रश्न है । सभा के लिये यह याद रखना आवश्यक है कि मौजूदा विधि के अन्तर्गत इस भूमि का अधिग्रहण किया गया है । मध्य प्रदेश में कीमतों की तुलना की गई है । दो अलग-अलग अधिनियम हैं और इससे अधिक क्या हो सकता है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय ने जो प्रतिकर दिया है उसकी सिफारिश उत्तर प्रदेश के स्थानीय अधिकारियों ने की थी । इस मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए भारत सरकार ने अनुग्रहवश साढ़े तीन लाख रुपये की राशि उत्तर प्रदेश सरकार के सुपुर्द कर दी है । इस सबके होते हुए भी—अभ्यावेदन के देर से प्राप्त होने पर भी—भारत सरकार इस विषय पर विचार कर रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री रंगा** : इसको कितना समय हो गया जब उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को यह जानकारी दी थी कि प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित दरें अनुपयुक्त हैं और उनमें वृद्धि होनी चाहिये ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : जैसा पहले बताया गया है ये दरें प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा तय नहीं की गई हैं। ये उत्तर प्रदेश में प्रचलित तत्सम्बन्धी विधि के अनुसार निश्चित की गई हैं।

†**श्री रंगा** : मैंने समय के बारे में पूछा था और वह कुछ और ही उत्तर दे रहे हैं।

†**श्री नाथ पाई** : सदैव की तरह।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या इसमें काफी विलम्ब हुआ है।

†**सरदार मजीठिया** : जी, नहीं। इसमें विलम्ब नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल में ही पुनः अभ्यावेदन किया है कि दरों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। हम इसका अध्ययन कर रहे हैं।

केरल में वेट्टुवन समुदाय[1]

†*२६०. **श्री वासुदेवन् नायर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें केरल के मालाबार क्षेत्र के वेट्टुवन समुदाय से कोई अभ्यावेदन इस बारे में मिला है कि उन्हें भी अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल कर लिया जायें ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाई की है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) इस प्रकार के अभ्यावेदन मिले हैं।

(ख) उन्हें राज्य सरकार के पास भेज दिया गया था ताकि वह उस समय उन पर विचार करे जबकि उन जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के लिये, जो इस समय सूची में शामिल नहीं हैं परन्तु उन्हें अस्पृश्य माना जाता है, प्रस्थापनायें तैयार करके अन्तिम सूची तैयार की जा रही हो। अभी केरल सरकार से इस बारे में सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई। परन्तु जब तक सूची का पुनरीक्षण नहीं हो जाता तब तक राज्य सरकार मालाबार के वेट्टुवन समुदाय को भी वे रियायतें दे रही है जो अनुसूचित जातियों को दी जाती हैं।

†**श्री वासुदेवन् नायर** : क्या इसका यह अर्थ है कि केन्द्रीय सरकार का निर्णय राज्य सरकार के निर्णय पर आधारित होगा ?

†**श्रीमती आल्वा** : जी, हां; इस सभा में कोई संशोधनार्थ क्रियाकार प्रस्तुत करने से पूर्व हमें राज्य सरकार की सिफारिश प्राप्त करनी पड़ती है।

†**श्री कोडियान** : क्या अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किये जाने के लिये केरल के किसी अन्य समुदाय से भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ?

†**श्रीमती आल्वा** : मेरे पास और कोई जानकारी नहीं है।

†**श्री पुन्नूस** : क्या सरकार के पास इस बारे में कोई जानकारी है कि इस समुदाय में कितने लोग हैं और उनमें से साक्षर व्यक्तियों की संख्या कितने प्रतिशत है।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह इस समुदाय के लोगों की संख्या आदि जानना चाहते हैं।

†**श्रीमती आल्वा** : नहीं, हमारे पास इस विषय में कोई जानकारी नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[1] Vettuvan Community.

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : क्या सरकार को विदित है कि इस समुदाय को अस्पृश्य माना जाता था। यदि हां, तो पहले वाली केरल सरकार ने इसे १९५५ के अस्पृश्यता अपराध अधिनियम के अन्तर्गत लाने के लिये सिफारिश क्यों नहीं की ?

†**श्रीमती आल्वा** : भूतकाल के बारे में हम क्या कह सकते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

नागा एकक

†*२६१ **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है जिसमें यह मांग की गई हो कि केन्द्रीय प्रशासन के अधीन हाल ही में स्थापित किये गये नागा एकक में से दीमापुर क्षेत्र को, जिसमें अधिकतर कचारी लोग रहते हैं जिनकी सांस्कृतिक तथा सामाजिक परम्परायें नागा लोगों से बिल्कुल भिन्न हैं, संयुक्त उत्तर कचार और मिकिर पहाड़ी ज़िले में शामिल कर दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय दिया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां ।

(ख) दीमापुर क्षेत्र जो पहले नागा पहाड़ी जिले का अंग था, अब भी नागा एकक में शामिल किया गया है ।

†**श्रीमती मफीदा अहमद** : दीमापुर में नागा और गैर-नागा लोग कितने-कितने प्रतिशत हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : ठीक-ठीक प्रतिशत संख्या बताना तो सम्भव नहीं परन्तु दीमापुर क्षेत्र में गैर-नागा लोग नागाओं से अधिक हैं ?

†**श्री बसुमतारी** : क्या सरकार ने वर्तमान व्यवस्था में दीनापुर निवासियों की कठिनाइयों को महसूस किया है जिनका नागा लोगों से कोई मेल-जोल नहीं है ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : दीमापुर क्षेत्र भूतकाल में नागा पहाड़ियों का ही अंग था और अब भी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

†**श्री बसुमतारी** : क्या १९४७ से पूर्व यह क्षेत्र नागा पहाड़ियों में शामिल था ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मुझे निश्चित रूप से तो मालूम नहीं परन्तु मेरा ख्याल है कि यह नागा पहाड़ियों का ही अंग था ।

†**श्री बसुमतारी** : मुझे मालूम है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : तब माननीय सदस्य पूछ क्यों रहे हैं ?

†**श्री हेम बरुआ** : यह देखते हुए कि नृवंश विद्या तथा इतिहास की दृष्टि से दीमापुर क्षेत्र उत्तर कचार और मिकिर पहाड़ी जिले में शामिल होना चाहिए और इसके हस्तान्तरण के कारण लोगों में काफी असन्तोष फैला हुआ है, क्या सरकार ने हाल ही में नागा नेताओं के साथ इस क्षेत्र के बारे में बात-चीत की थी ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : हमने नागा नेताओं के साथ हाल ही में बनाये गए नागा एकक के विभिन्न भागों के बारे में अथवा इसके पुनर्गठन के बारे में कोई चर्चा नहीं की है।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

जीवन बीमा निगम

+

†*२६५. { **श्री मुरारका :**
श्री नथवानी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम ने १ सितम्बर, १९५६ से जो अंश खरीदे थे क्या उन पर कुछ दलाली दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो कितनी और किन-किन को ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) और (ख). ऐसा समझा जाता है कि निगम दलालों की मार्फत समवायों के जो अंश और ऋण-पत्र खरीदता है उनकी कीमत में दलाली भी शामिल रहती है। दी गई दलाली की राशि बताना सम्भव नहीं है क्यों कि दलाल इसे पृथक नहीं दिखाते।

†**श्री मुरारका :** दलालों की मार्फत कुल कितनी राशि के अंश खरीदे गये हैं और निगम ने सीधे कुल कितनी राशि के अंश खरीदे हैं ?

†**श्री ब० रा० भगत :** १ सितम्बर, १९५६ के बाद से निगम ने कुल ५१·८० करोड़ रुपयों की पूंजी लगायी है। हरिदास मूंदड़ा से खरीदे गये और कुछ अन्य मामलों में खरीदे गये अंशों को छोड़ कर, जिनमें निगम ने नये जारी किये गये अंशों और ऋण पत्रों का अभिगोपन किया था, शेष सभी दलालों की मार्फ़त खरीदे गये थे।

†**श्री मुरारका :** नये जारी किये गये अंशों का अभिगोपन करने में निगम ने यदि कुछ दलाली दी हो तो उसकी दर कितनी है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** इस सम्बन्ध में कुछ समय पूर्व एक प्रश्न पूछा गया था और मैंने जानकारी एकत्र की थी, उसे मैं लोक-सभा पटल पर रख दूंगा।

पुनर्वित्त निगम

†*२६६. **श्री विमल घोष :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वित्त निगम की स्थापना के सम्बन्ध में सभी प्रबन्ध पूरे हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो यह निगम कब से काम करना आरम्भ करेगा ; और

(ग) उसका गठन किस प्रकार का होगा और पूंजी संसाधन क्या होंगे ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) से (ग). यह मामला अभी विचाराधीन है।

†**श्री विमल घोष :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भूतपूर्व वित्त मंत्री ने कई महीने पहले इस निगम की स्थापना का आश्वासन पहले दिया था, अब कौन-सी कठिनाइयां इसकी स्थापना में बाधक बनी हुई हैं ?

†**श्री ब० रा० भगत :** दूसरा पक्ष अमरीका की सरकार है। यद्यपि हमने यहां ब्यौरे की बातों को अंतिम रूप प्रदान कर दिया है, लेकिन अमरीकी सरकार द्वारा अभी इन्हें अन्तिम रूप प्रदान किया जाना शेष है; और उनकी अनुमति मिलते ही निगम की स्थापना कर दी जायगी।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री विमल घोष** : क्या मैं इससे यह समझूं कि वित्त मंत्री ने जिस समय सभा को यह आश्वासन दिया था उससे पहले अमरीकी सरकार से ब्यौरे की इन बातों को उठाकर अंतिम रूप प्रदान नहीं किया गया था ?

†**श्री ब० रा० भगत** : मैंने प्रश्न सुना नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा में कानाफूसी से बड़ा शोर हो रहा है ।

†**श्री विमल घोष** : भूतपूर्व वित्त मंत्री ने जिस समय सभा को यह आश्वासन दिया था क्या उस समय अमरीका सरकार से यह मसला उठाकर कोई समझौता नहीं कर लिया गया था ?

†**श्री ब० रा० भगत** : भूतपूर्व वित्त मंत्री ने जो आश्वासन दिया था उसकी शब्दावली तो मुझे याद नहीं । लेकिन क्योंकि यह धन पी० एल० ४८० का है इसलिये इसका अमरीकी सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाना आवश्यक है । उनकी रजामन्दी भी जरूरी है । हम उनकी रजामन्दी पाने में सफल नहीं हुए हैं । उसमें कुछ देर हो गयी है । यही कारण है कि हम इस निगम को आरम्भ नहीं कर सके हैं ।

†**श्री विमल घोष** : इससे क्या मैं यह समझूं कि अब रजामन्दी मिल गई है और अब इसकी स्थापना में और आगे विलम्ब नहीं होगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या अब रजामन्दी मिल गई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य और वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : देर किसी और के कारण हुई है । माननीय सदस्यों को यह पूछने का अधिकार है कि विलम्ब कहीं हमारी ओर से तो नहीं हुआ है । लेकिन जो बात किसी और की ओर से हो रही हो उसकी गारंटी हम कैसे दे सकते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम प्रश्न संख्या २४० लेंगे ।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : मुझे इस बात का अत्यधिक खेद है कि मुझे थोड़ी देर हो गई ।

निर्वाचन याचिकाएं

†*२४०. **श्री राधा रमण** :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री वाजपेयी :
श्री ले० अचौ सिंह :

क्या **विधि** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें दिखाया गया हो कि :

(क) निर्वाचन न्यायाधिकरणों को लोक-सभा और राज्य-विधान सभाओं के बारे में कितनी कितनी निर्वाचन-याचिकायें प्राप्त हुई हैं;

(ख) कितनी निर्वाचन याचिकायें विचाराधीन हैं ;

(ग) लोक-सभा और राज्य-विधान सभाओं के कितने निर्वाचन अब तक अवैध घोषित किये जा चुके हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(घ) कितनी निर्वाचन याचिकाओं की अपील उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : (क) से (घ). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २७]**

†**श्री राधा रमण** : माननीय मंत्री द्वारा सभा-पटल पर रखे गये विवरण से यह मालूम होता है कि निर्वाचन आयोग को यह अच्छी प्रकार से ज्ञात नहीं है कि न्यायाधिकरण के आदेशों के विरुद्ध कितनी अपीलें की गयी थीं । क्या अपीलीय प्राधिकारी के लिये यह अनिवार्य नहीं है कि जब भी कोई अपील दायर हो, वह उसी समय उसके बारे में निर्वाचन आयोग को सूचित कर दे ?

†**श्री अ० कु० सेन** : यह एक विधि तथा प्रक्रिया का मामला है और अपीलकर्ता से यह कहा जायेगा कि वह अपने वकीलों से सलाह ले लें ।

†**श्री राधा रमण** : लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार न्यायाधिकरण को भेजी गई सभी अपीलों के बारे में ६ महीनों में निर्णय कर दिया जाना चाहिए । आपके पास ऐसी अपीलें हैं जो कि ६ मास से अधिक समय से अनिर्णीत पड़ी हुई हैं ?

†**श्री अ० कु० सेन** : उसके लिये एक पृथक प्रश्न पूछा जाये क्योंकि हमने अभी तक यह गणना नहीं की है कि कितनी अपीलें ६ मास से अधिक समय से पड़ी हुई हैं ।

श्री रघुनाथ सिंह : अभी तक ४० परसेंट केसिस का कोई फैसला नहीं हुआ है जबकि इस सदन में कहा गया था कि ६ महीने के अन्दर सब केसिस का फैसला ही जायेगा । मैं जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि इतनी देर हो रही है ।

†**श्री अ० कु० सेन** : किन्ही विशिष्ट मामलों के बारे में उत्तर देना बड़ा कठिन है । परन्तु स्थिति यह है कि कई मामले उच्चन्यायालय में ले जाये गये हैं और कुछ एक मामले उच्चतम न्यायालय में और वहां से उनके लिये रोधनादेश प्राप्त कर लिये गये हैं । ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि न्यायाधिकरण आगे कोई कार्यवाही नहीं कर सकता । हमें इस बात का सन्तोष है कि इस बार न्यायाधिकरणों ने अपनी ओर से पूरा-पूरा प्रयत्न किया है । उन मामलों के अतिरिक्त जहां कि रोधनादेश मिला हुआ है, अन्य मामलों में जो ६ महीने से कुछ अधिक समय लगा है, उसका कारण यही है कि वे अधिक उलझे हुए मामले हैं और उनकी गवाहियों पर समय लगना स्वाभाविक ही है ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : उच्चतम न्यायालय में न्यायाधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अथवा उसके पक्ष में कितनी लेख-याचिकायें विचाराधीन हैं ?

†**श्री अ० कु० सेन** : इस प्रश्न के लिये एक पृथक पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

†**श्री तंगामणि** : सभा-पटल पर रखे गये विवरण से ज्ञात होता है कि लोक-सभा के निर्वाचनों से सम्बन्ध रखने वाली ५७ याचिकाओं में से २८ और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों से सम्बन्ध रखने वाली ३९७ याचिकाओं में से १७६ अभी तक विचाराधीन हैं । क्या उनका कारण यह है कि उच्च-न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में वादकालीन आवेदनपत्र दायर हैं या कि वे याचिकायें वैसे ही पड़ी हुई हैं ?

श्री अ० कु० सेन : उनमें से बहुत-से मामलों का कारण यह है कि उनके सम्बन्ध में उच्च न्यायालयों में कार्यवाही चल रही है और वहां से रोधनादेश प्राप्त कर लिये गये हैं । परन्तु ऐसी याचिकाओं

†मूल अंग्रेजी में ।

की निश्चित संख्या बताना इस समय कठिन है। यदि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं तो इसके लिये वे एक अलग प्रश्न की पूर्व सूचना दें।

गन्दी बस्तियों की सफाई

†*२६६-क { श्री हेम बरुआ :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गन्दी बस्तियां की सफाई के काम में समन्वय उत्पन्न करने के लिए एक समिति स्थापित की गई है जिसके सभापति श्री अ० कु० सेन हैं ;

(ख) यदि हां, तो समिति के कार्य में अभी तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) वह समिति अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर देगी ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : (क) जी, हां।

(ख) गन्दी बस्तियों की सफाई के कार्य से सम्बन्ध रखने वाली विभिन्न बातों पर विचार करने के लिये समिति की अभी तक तीन बैठकें हो चुकी हैं ;

(ग) यथासम्भव शीघ्र।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या गन्दी बस्तियों की सफाई के कार्य को राज्य सरकारों के इसी कार्य से समन्वित करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्थापना है ?

†**श्री अ० कु० सेन** : इस सम्बन्ध में सभी अभिकरणों के काम का जिनमें राज्य सरकारों के काम भी सम्मिलित हैं, समन्वय करने का विचार है।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या वह समिति मद्रास, कलकत्ता, बम्बई तथा अन्य सभी शहरी क्षेत्रों में जायेगी ?

†**श्री अ० कु० सेन** : यदि आवश्यकता हुई तो अवश्य जायेगी।

कुंजरू समिति का प्रतिवेदन

†*२६७. { श्री राधा रमण :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री भक्त दर्शन :

क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित 'आंगल समिति' (इंग्लिश कमिटी) जिसके सभापति पंडित हृदयनाथ कुंजरू थे, द्वारा की गई सिफ़ारिशों को ९५८-५९ कहां तक कार्यान्वित किया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रतिवेदन को स्वीकार तो कर लिया है। परन्तु उन सिफ़ारिशों की कार्यान्विति के सम्बन्ध में अभी कुछ भी नहीं बताया जा सकता क्योंकि अभी दिसम्बर, १९५७ में ही तो वह प्रतिवेदन विश्वविद्यालयों तथा राज्य सरकारों को भेजा गया है ।

†**श्री राधा रमण** : उस प्रतिवेदन की कार्यान्विति के सम्बन्ध में सरकार अपना अन्तिम निर्णय कब तक कर लेगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ही यह समिति नियुक्त की थी। उसने इस समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिया है और उसने उस सम्बन्ध में कुछ नीति सम्बन्धी निर्णय भी कर लिये हैं। अब उसने यह प्रतिवेदन विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा राज्य सरकारों को भेजा है और उसके सम्बन्ध में उनके विचार पूछे हैं।

†**श्री राधा रमण** : क्या यह प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जायेगा ताकि सदस्य उसे पढ़ सकें ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं उसकी एक प्रति पुस्तकालय में रखवा दूंगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या इस प्रतिवेदन पर केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने अपनी अन्तिम बैठक में विचार किया था; और यदि हां, तो उसकी क्या सिफारिश है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जहां तक मुझे स्मरण है बोर्ड की बैठक में इस पर विचार नहीं किया गया था। इस बारे में मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता ।

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : नहीं, इसमें नहीं पेश की गयी है। वह यूनिवर्सिटियों और स्टेट गवर्नमेन्टों को भेजी गयी हैं और उनकी राय का इन्तज़ार किया जा रहा है ।

†**श्री राधा रमण** : क्या इस प्रतिवेदन के बारे में विभिन्न विश्वविद्यालयों से भी उनकी राय मांगी गयी है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जी, हां। यह प्रतिवेदन विभिन्न राज्य सरकारों तथा विश्वविद्यालयों के पास भेजी गयी है। उनकी राय यथासमय मालूम हो जायेगी।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

सामुदायिक विकास आन्दोलन के लिये प्रबन्ध योजना[1]

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या २.** { +**डा० राम सुभग सिंह** :
श्री अनिरुद्ध सिंह :
श्री संगण्णा :

क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सामुदायिक विकास आन्दोलन की प्रबन्ध योजना में कोई परिवर्तन करने की कोई प्रस्थापना है;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[1] Working Plan.

(ख) यदि हां, तो क्या-क्या परिवर्तन किये जायेंगे; और

(ग) पुनरीक्षित योजना कब से लागू होगी ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे)** : (क) जी, हां।

(ख) निम्नलिखित आधारभूत परिवर्तन करने की प्रस्थापना है :—

(१) जिला तथा उससे नीचे के स्तर पर लोक संस्थाओं को प्राधिकार सौंप देना।

(२) राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा सामुदायिक विकास के प्रक्रमों का एकल प्रावस्था कार्यक्रम में विलय।

(३) कार्यक्रम को तृतीय पंचवर्षीय योजना काल तक फैला देना।

(ग) उपरोक्त (ख) (१) पर १२-१-५८ को राष्ट्रीय विकास परिषद् की स्थायी समिति की बैठक में विचार किया गया था। विभिन्न राज्य अब अपनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार योजना को कार्यान्वित कर रहे हैं। जहां तक शेष कार्यक्रम का सम्बन्ध है, उसके बारे में प्रस्थापनायें राज्य सरकारों को भेज दी गयी हैं। यह सुझाव दिया गया है कि इस परिवर्तित कार्यक्रम को १-४-५८ से कार्यान्वित किया जाये।

†**डा० राम सुभग सिंह** : ऐसे कौन-से कारण थे जिनसे सामुदायिक विकास आन्दोलन की प्रबन्ध योजना में परिवर्तन करने पड़े हैं ?

†**श्री सु० कु० डे** : अब तक किये जा चुके कार्य में समन्वय लाने और प्रशिक्षित कर्मचारियों की कार्यकौशल हीनता की रोकथाम करने की दृष्टि से।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या यह सच है कि योजना की अच्छी प्रकार से कार्यान्विति के लिये सरकार ने राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया था कि वे गैर-सरकारी संस्थाओं से भी पूरा-पूरा सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न करें; और क्या राज्य सरकारों ने उस सुझाव को कार्यान्वित किया है; और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

†**श्री सु० कु० डे** : इस सम्बन्ध में पर्याप्त प्रगति हुई है।

†**श्री त्यागी** : क्या इस प्रस्थापित परिवर्तित योजना के अनुसार देश के विभिन्न जिला विकास निकायों के सभापति गैर-सरकारी व्यक्ति होंगे या कि जिला मैजिस्ट्रेट ?

†**श्री सु० कु० डे** : इसके बारे में राज्य सरकारें ही अपनी स्थानीय परिस्थितियों की दृष्टि से निर्णय करेंगी।

†**श्री कासलीवाल** : जहां तक मुझे स्मरण है, पहले स्थिति यह थी कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा के तीन-तीन खण्ड मिला कर एक-एक सामुदायिक विकास परियोजना बनायी जानी थी। क्या अब प्रत्येक राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड की एक सामुदायिक विकास परियोजना बना दी गयी है।

†**श्री सु० कु० डे** : वास्तविक उद्देश्य यह है कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक विकास इन दो अलग-अलग अवस्थाओं में रखने की अपेक्षा उन्हें मिला कर सामुदायिक विकास योजना के रूप में ही चलाया जाये।

†**श्री संगण्णा** : ग्रामदान आन्दोलन और सामुदायिक विकास परियोजना क्षेत्रों में अब किये गये परिवर्तनों में क्या आता है ?

†**श्री सु० कु० डे** : वह तो एक अलग प्रश्न है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानान चाहता हूं कि जो नई संशोधित योजना तैयार की गई है यह कब से लागू की जा रही है ? क्या यह तत्काल लागू की जा रही है या इसके लागू होने में कुछ समय लगेगा ?

†**श्री सु० कु० डे :** आशा है कि यह पहली अप्रैल को लागू की जायेगी ।

†**श्री अनिरुद्ध सिंह :** तो क्या इसका तात्पर्य यह है कि द्वितीय योजना की समाप्ति तक सम्पूर्ण देश को राष्ट्रीय विस्तार सेवा के अन्तर्गत लाने और कम से कम ४०-५० प्रतिशत क्षेत्र को सामुदायिक विकास खंड योजना के अन्तर्गत लाने का मूल लक्ष्य पूरा न हो सकेगा ?

†**श्री सु० कु० डे :** आशा है कि सम्पूर्ण देश में यह काम १९६१ के स्थान पर १९६३ तक पूरा हो जायेगा । इसलिये मूल योजना में कुछ परिवर्तन करने पड़े हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

प्रतिरक्षा मंत्रालय का विशेष पुनरीक्षण बोर्ड

†*२४३. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय ने सेना में स्थायी नियमित आयोग के बारे में सिफ़ारिशें करने के लिये मई, १९५७ में एक विशेष पुनरीक्षण बोर्ड की स्थापना की थी;

(ख) यदि हां, तो इसे किन परिस्थितियों में स्थापित किया गया था; और

(ग) उस बोर्ड के क्या कार्य हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैय्या) :** (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २८]**

मुद्रण-कला विभाग, दिल्ली

*२४६. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुद्रण-कला विभाग, दिल्ली पोलीटेक्निक के एक भाग के रूप में प्रारम्भ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस विभाग में कितने व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं; और

(ग) इसमें मुद्रण सम्बन्धी किन-किन बातों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना अबुल क़लाम आजाद) : (क) अभी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

उदयपुर और बांसवाड़ा में मैंगनीज के निक्षेप

*२४७. **श्री मोहन स्वरूप :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा हाल में उदयपुर और बांसवाड़ा क्षेत्रों में मैंगनीज के निक्षेपों का पता लगाया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) यदि हां, तो यह खनिज वहां किस मात्रा में प्राप्त होने का अनुमान है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में इन क्षेत्रों के अन्य भागों में और कोई सर्वेक्षण किया जा रहा है ?

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

भारत का राज्य बैंक

†*२५६. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इम्पीरियल बैंक आफ़ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के बाद भारत के राज्य बैंक की निक्षेप निधि बढ़ गयी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह वृद्धि पिछले वर्ष भी थी ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी, हां ।

(ख) १९५७ में भी यह निक्षेप बढ़े थे ।

निवेली उर्वरक कारखाना

†*२५८. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १३ नवम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ८६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निवेली लिगनाइट निगम द्वारा उर्वरक कारखाने की स्थापना के सम्बन्ध में मंजूर परियोजना की योजना को सरकार ने मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या संयंत्र तथा मशीनरी के सम्भरण के लिये आर्डर दे दिये गये हैं; और

(ग) उन पर कुल कितनी लागत आयेगी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, हां; परन्तु इस बात के अधीन रहते हुए कि कारखाने के लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में पर्याप्त उधार सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध हों ।

(ख) संयंत्र तथा मशीनरी के लिये टेन्डरों का प्रारूप तैयार किया जा रहा है और विदेशी मुद्रा उधार प्राप्त करने के बारे में भी उपाय खोजे जा रहे हैं। उनके बाद ही तो इनके बारे में आर्डर दिये जा सकेंगे ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सीमा-शुल्क प्रक्रिया तथा संघटन सम्बन्धी समिति

†*२६२. **श्री झुनझुनवाला** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क प्रक्रिया तथा संघटन सम्बन्धी समिति ने सरकार को कोई अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या-क्या सिफ़ारिशें की गयी हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) समिति ने कोई भी अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। पर हां, उस समिति ने कुछ सुधारों के बारे में सुझाव दिये हैं जिनके लिये प्रतिवेदन के लिये प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

राजभाषा आयोग का प्रतिवेदन

†*२६३. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज भाषा आयोग के प्रतिवेदन का किन्ही प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो वह उन प्रादेशिक भाषाओं में कब तक प्रकाशित हो जायेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) उसका हिन्दी अनुवाद तो पूरा हो चुका है। अन्य भाषाओं में अनुवाद करने का काम राज्य सरकारों को सौंपा गया था और वह अभी तक हो रहा है।

(ख) हिन्दी अनुवाद अब छप रहा है और आशा है कि वह लगभग दो महीनों में प्रकाशित हो जायेगा। जहां तक अन्य भाषाओं के अनुवाद का सम्बन्ध है, राज्य सरकारों से वे अनुवाद प्राप्त होते ही प्रकाशित कर दिये जायेंगे।

एच० टी० २ हवाई जहाज

†*२६८. **श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या एच० टी० २ हवाई जहाज़ को दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों में बेचने के सम्बन्ध में कोई सफलता मिली है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : अभी तक तो कोई सफ़लता नहीं मिली।

भारत को अमरीकी सहायता

†*२६९. **श्री राम कृष्ण :**
श्री मोहन स्वरूप :
श्री शोभा राम :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री ब० स० मूर्त्ति :
श्री जगदीश अवस्थी :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री नौशेर भरूचा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सरकार ने भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये सहायता देने सम्बन्धी योजना के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) यदि हां, तो उस योजना का रूप क्या है; और

(ग) उसके ब्योरे क्या हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) से (ग). जैसा कि एक प्रैस विज्ञप्ति में हाल ही में घोषित किया गया है अमरीकी सरकार २२५० लाख डालर उधार देने के एक कार्यक्रम पर विचार करने के लिये तैयार है। एक प्रतिनिधि मण्डल अब उन सभी परियोजनाओं के बारे में चर्चा कर रहा है, जिनमें यह रुपया लगया जायेगा ।

राष्ट्रीय रंगमंच[1]

†*२७०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय रंगमंच के निर्माण के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) यह निर्माण-कार्य लगभग कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) राष्ट्रीय रंगमंच के भवन के प्रारम्भिक डिजाइन तैयार हो गये हैं, और आशा है कि उन्हें शीघ्र ही मन्त्रि मण्डल के पास भेज दिया जायेगा ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि अभी से निर्माण-कार्य प्रारम्भ ही नहीं हुआ है ।

केन्द्रीय निर्देश पुस्तकालय

†*२७१. **श्री स० चं० सामन्त** :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में केन्द्रीय निर्देश पुस्तकालय की स्थापना में अभी तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इसके लिये प्रथम पंचवर्षीय योजना में निर्धारित राशि के अतिरिक्त और कितना खर्च आने की संभावना है;

(ग) पहले से ही स्थापित किये जा चुके राष्ट्रीय ग्रन्थ सूची केन्द्र पर कितना खर्च किया जा चुका है; और

(घ) उस पुस्तकालय के कब से कार्य प्रारम्भ कर देने की आशा है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (घ). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २६**]

इस्पात के कारखानों के प्राक्कलन

†*२७२. **श्री मुरारका** :
श्री नथवानी :
श्री बर्मन :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात के कारखानों के लिये प्राक्कलन तैयार करने के लिये परामर्शदाताओं को कुल कितनी फीस अदा की गयी है; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[1] National Theatre.

(ख) उसके लिये कितनी विदेशी मुद्रा चाहिये और उसमें से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हो चुकी है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३०**]

मूंदड़ा कांड

†*२७३. { **श्री मोहन स्वरूप** :
श्री विमल घोष :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री हरिदास मूंदड़ा तथा कुछ अन्य व्यक्तियों पर शेयर और उनके हस्तान्तरण का आरोप लगाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि इसी सिलसिले में ३० दिसम्बर, १९५७ को कानपुर व कलकत्ता में इन फर्मों की तलाशी ली गई थी जिसके फलस्वरूप पुलिस ने कुछ कागजात जब्त किये; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त): (क) तथा (ख). जी, हां। भारत सरकार के स्पेशल पुलिस ऐस्टेब्लिशमेंट ने श्री हरिदास मूंदड़ा और कुछ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मामले रजिस्टर किये हैं। उन पर धोखादेही तथा कुछ फर्मों के कुछ जाली शेयरों को बेचने के आरोप हैं। श्री हरिदास मूंदड़ा के कलकत्ता और कानपुर के मकानों की ३० दिसम्बर, १९५७ को तलाशी ली गई। उनके कलकत्ता स्थित कार्यालय तथा कुछ अन्य फर्मों की भी तलाशी ली गई। ये सब तलाशियां सम्बन्धित मजिस्ट्रेटों से प्राप्त वारंटों के अधीन ली गईं। बहुत से कागजात जब्त किये गये हैं।

(ग) इन मामलों को जांच समाप्त होने के बाद जल्दी से जल्दी न्यायालय में भेजने की सम्भावना है। जब्त किये गये कागजातों का इस समय विवरण देना जांच-पड़ताल और मुकदमे में हानिकारक होगा।

निवेली का तापीय बिजली घर

†*२७४. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री २१ नवम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ३६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २,५०,००० किलोवाट की शक्ति वाले निवेली के तापीय बिजलीघर का पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो वह पुनरीक्षित प्राक्कलन क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में असैनिक इंजीनियरिंग कार्य कब प्रारम्भ किये जायेंगे ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). निवेली के तापीय बिजलीघर की लागत का पुनरीक्षित प्राक्कलन और असैनिक इंजीनियरिंग कार्य के प्रारम्भ किये जाने की तिथि सोवियत विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किये जाने के बाद ही मालूम हो सकेगी। प्रतिवेदन आगामी सितम्बर के मध्य तक तैयार हो जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

माध्यमिक शिक्षा आयोग

†*२७५. { **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री कोडियान :

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार त्रि-लाभ योजना, शिक्षकों को नि:शुल्क डाक्टरी सहायता और उनके बच्चों को नि:शुल्क स्कूली शिक्षा देने के सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा की गई सिफ़ारिशों को कार्यान्वित करने का कोई विचार रखती है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : मामला विचाराधीन है ।

जिला न्यायालय की इमारत

†*२७६. **श्री राधा रमण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसहज़ारी में जिला न्यायालय की इमारत तैयार हो गयी है और उसका उपयोग किया जा रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसका कितना भाग अब काम में आ रहा है और सभी जिला न्यायालय कब तक वहां आ जायेंगे ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). न्यायालय की सारी इमारत अभी तक तैयार नहीं हुई है । जो भाग तैयार हो गये हैं वे तहसील पदाधिकारियों, राजस्व संस्थापन और दिल्ली नगर निगम निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा इस्तेमाल किये जा रहे हैं । विवादार्थियों के लिये शेड के अतिरिक्त शेष सारी इमारत संभवत: इस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पहले ही पूरी हो जायेगी और आशा है कि इमारत में फर्नीचर आदि लग जाने के शीघ्र ही बाद सभी ज़िला न्यायालय वहां आ जायेंगे ।

वैज्ञानिक असैनिक सेवा

†*२७७. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक असैनिक सेवा की स्थापना सम्बन्धी योजना के बारे में अन्तिम निर्णय हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या इसके बारे में राज्य सरकारों की राय का पता लगाया गया था ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद)**: (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) नहीं, श्रीमान् ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

निम्न तापमान प्रांगारण संयन्त्र[1] कोठागुडियम

†*२७८. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री २६ नवम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ५१३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसके पश्चात् कोठागुडियम में निम्न तापमान प्रांगारण संयंत्र लगाने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी स्थापना कब होगी और उत्पादन कब आरंभ होगा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) और (ख). कोठागुडियम में लगाया जाने वाला संयंत्र उस अल्पकालीन योजना का एक अंग है जो डा० जे० सी० घोष के सभापतित्व में नियुक्त की गई विशेष समिति द्वारा तैयार की गई और जिसके अनुसार घरों में इस्तेमाल होने वाला लगभग ८० लाख टन कोयला तैयार होगा और उपात्पादों का भी प्रयोग किया जायेगा। इस योजना को कार्यान्वित करना तो सम्भव है परन्तु अभी तक सरकार उसके लिये वित्तीय व्यवस्था और योजना को स्वीकृत नहीं कर सकी क्योंकि विदेशी विनिमय की कठिनाई तो है परन्तु रुपये के संसाधन उपलब्ध नहीं हैं ।

समवायों द्वारा अनिवार्य निक्षेप

†*२७९. **श्री मुरारका :**
श्री नथवानी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, १९५७ की समाप्ति तक संयुक्त स्कन्ध समवायों से सरकार अथवा रिज़र्व बैंक को कुल कितना अनिवार्य निक्षेप प्राप्त हुआ;

(ख) उपरोक्त अवधि के लिये आय कर पदाधिकारियों ने कुल कितनी राशि का निर्धारण किया जोकि अभी प्राप्त की जानी है; और

(ग) सरकार ने समवायों को कुल कितनी राशि वापस लेने अथवा जमा कराने से मुक्त करने की अनुमति दी ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) विभिन्न आय-कर आयुक्तों से एकत्र की गई जानकारी के अनुसार ३१ दिसम्बर, १९५७ तक कुल ३४८ लाख रुपये के निक्षेप प्राप्त हुए थे।

(ख) सम्बन्धित विधि के अन्तर्गत प्रत्येक समवाय को अपने आप लेखा करके निक्षेप देना होता है और आय-कर पदाधिकारी इसकी मांग नहीं करते। यदि वह निक्षेप उस राशि से कम हो जो कि आय-कर पदाधिकारी ने लेखा करके निर्धारित की है तो उस हालत में आय-कर पदाधिकारी समवाय को वह कमी पूरी करने के लिये कह सकता है। इस प्रकार आय-कर पदाधिकारी ने जो अतिरिक्त राशि की मांग की वह ३१ दिसम्बर, १९५७ तक ७५३ करोड़ रुपये थी।

(ग) दिसम्बर, १९५७ की समाप्ति तक आय-कर आयुक्तों और 'रेफ़री' बोर्ड ने १० करोड़ रुपये के निक्षेप देने से विमुक्तियों की स्वीकृति दी और २५ लाख रुपये वापस लेने की स्वीकृति दी।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

१. Low Temperature Carbonization Plant.

कानपुर के कारखाने

†३१३. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५-५६, १९५६-५७ और १९५७-५८ में दिसम्बर, १९५७ तक निम्नलिखित कारखानों में कुल कितने मूल्य की वस्तुओं का उत्पादन (सेवाओं और जनता के लिये) किया गया :—

(१) युद्ध सामान कारखाना, कानपुर;

(२) छोटे आग्नेय अस्त्र कारखाना, कानपुर;

(३) एच एण्ड एस फैक्टरी, कानपुर; और

(४) पैराशूट फैक्टरी, कानपुर ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : सेवाओं के लिये जो वस्तुयें तैयार की गईं उनका मूल्य बताना लोक हित में नहीं होगा । उल्लिखित वर्षों में साधारण जनता के लिये जो माल तैयार किया उसका मूल्य बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३१**] १९५६-५७ और १९५७-५८ के आंकड़े अस्थायी हैं ।

बकाया आय-कर

†३१४. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९५८ को उत्तर प्रदेश में कुल बकाया राशि कितनी थी; और

(ख) इस राशि को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) १५,६७,२५,००० रुपये (इसमें ई० पी० टी० और बी० पी० टी० की बकाया राशियां क्रमवार १,४०,६३,००० और २३,५४,००० रुपये भी शामिल हैं) ।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें बताया गया है कि सरकार ने बकाया आय-कर की वसूली के लिये क्या कार्यवाही की । [**देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३२**]

उड़ीसा में वसूल किया गया आय-कर

†३१५. **श्री पाणिग्रही** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२-५३ से १९५७-५८ तक वर्षवार उड़ीसा के प्रत्येक ज़िला में कुल कितना आय-कर वसूल किया गया; और

(ख) इस अवधि में विभिन्न आय वर्गों से कितनी राशि वसूल की गई ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) १९५२-५३ से १९५७-५८ तक वर्षवार उड़ीसा के प्रत्येक जिले में वसूल किये गये आय-कर का ब्योरा देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा है । [**देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३३**]

(ख) इस अवधि में उड़ीसा के विभिन्न आय वर्गों से वसूल किये गये आय-कर का ब्योरा विवरण 'ख' में दिया गया है । [**देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३३**]

केरल में केन्द्रीय पुलिस

†३१७. **श्री वें० प० नायर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७ में केरल राज्य में केन्द्रीय सरकार के कितने पुलिस पदाधिकारी ड्यूटी पर लगाये गये और केरल राज्य के वर्तमान क्षेत्र में १९५६ में कितने पदाधिकारी थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : विशेष पुलिस प्रतिष्ठान की मद्रास शाखा केरल और मद्रास दोनों राज्यों का काम सम्भालती है। १९५६ और १९५७ में पदाधिकारियों की स्वीकृत संख्या बताने वाला एक विवरण संलग्न है। [**देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३३ क**] संख्या में जो थोड़ी सी वृद्धि हुई है उसका कारण विशेष पुलिस प्रतिष्ठान का पुनर्गठन और शाखा का कार्यभार बढ़ जाना है।

प्रतिरक्षा मंत्रालय के लिये सामान

†३१८. { **श्री हो० ना० मुकर्जी :**
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह जानकारी हो कि गत पांच वित्तीय वर्षों में प्रतिरक्षा मंत्रालय के लिये विदेशों में और भारत में जो सामान खरीदा गया उसका कुल मूल्य क्या है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है जिसमें यह बताया गया है कि गत पांच वित्तीय वर्षों में विदेशों में और भारत में जो स्टोर खरीदे गये उनका अलग-अलग मूल्य क्या है। [**देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३४**]

विमानों का निर्माण

३१९. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विमान बनाने के लिये अपेक्षित सामग्री की खोज व विकास के हेतु क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) इस खोज व विकास के परिणामस्वरूप आयात की हुई सामग्री के उपयोग में कितनी कमी हुई है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) पिछले दस वर्षों में जबसे हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट (प्राइवेट) ने हवाई जहाज़ बनाने आरम्भ किये हैं, ऐसे सामान को देश में बनाने की ओर पग उठाये गये हैं कि जो वर्तमान साधनों जैसे कि अलुमिन्यम मिश्रित धातुओं, फौलाद, प्लाईवुड, स्प्रूस, कुछ बिजली के सामान, डोप और थिन्नर्स और रबड़ की चीजें, प्लास्टिक आदि से प्राप्त किये जाते हैं। परन्तु इस क्षेत्र में अधिक कार्य जो विशेष चीजों से सम्बन्ध रखता है, सम्पन्न होना बाकी है।

प्रतिरक्षा मंत्रालय के रिसर्च और डिवेलपमेन्ट विभाग के अधीन एक टैक्निकल डिवेलपमेन्ट और प्राडक्शन (एयर) डारेक्टोरेट स्थापित किया गया है जो सामान की शीघ्र उन्नति के कार्यक्रम में सम-उद्देश्य के लिये साथ देगा। आवश्यक तक्नीकी आंकड़े और सामान के ब्योरे सहित वर्ण, जो देश में बनाये जाने वाले भिन्न हवाई जहाजों के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं, प्राप्त कर लिये गये हैं। देश में ही प्राप्य आवश्यक सामान अथवा उनके स्थान पर प्रयोग हो सकने वाले सामान की उन्नति की सम्भावना की खोज के लिये, इनका अध्ययन हो रहा है। आवश्यक है कि इन सब विकासों के लिये साधन और समय चाहिये।

(ख) कमी उन्नतिशील है और मुख्यतः उस सामान की प्राप्यता पर निर्भर है जिसका आधार हमारे उद्योग की उन्नति है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये स्वैच्छिक अंशदान

†३२०. **श्री वि० च० शुक्ल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये जनता से नकदी और वस्तुओं के रूप में कुल कितना स्वैच्छिक अंशदान प्राप्त हुआ है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : वस्तुओं के रूप में प्राप्त हुए अंशदानों का कोई हिसाब नहीं रखा गया है क्योंकि सरकारी लेखा नकदी के रूप में रखा जाता है ।

नकद अंशदानों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है । सभी लेखा करने वाले प्राधिकारियों, मंत्रालयों और विभागों से यह जानकारी उपलब्ध करनी पड़ेगी । इस पर काफी खर्च होगा और समय लगेगा और उतना लाभ नहीं होगा ।

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये बस्तियां

†३२१. **श्री कुम्भार** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा राज्य में अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के लिये केन्द्रीय सरकार की वित्तीय सहायता से १९५५-५६, १९५६-५७, १९५७-५८ में कितनी बस्तियां बसाई गईं और उनमें कितनी झोपड़ियां और मकान हैं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : लोक-सभा में १३ फरवरी, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४० के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें यह बताया गया है कि राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त होते ही उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

सांस्कृतिक समझौते

†३२२. **श्री राम कृष्ण** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक-गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में अब तक किन-किन देशों के साथ सांस्कृतिक समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ख) जिन समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये हैं उनमें से प्रत्येक की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक-गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) १-४-१९५७ को रूमानिया के साथ एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे ।

(ख) समझौते में इन बातों की व्यवस्था की गई है :

(१) सांस्कृतिक, विज्ञान, शिक्षा, साहित्य तथा कला में सहयोग ।

(२) दोनों देशों की अकादेमियों, विश्वविद्यालयों, वैज्ञानिक तथा गवेषणा संस्थाओं में सम्पर्क स्थापित करना ।

(३) वैज्ञानिक, टैक्नीकल तथा औद्योगिक संस्थाओं में अध्ययन के लिये सामग्री का आदान-प्रदान, और

(४) पुस्तकालय सम्बन्धी, कला सम्बन्धी और खेल-कूद तथा पत्रकार संस्थाओं की एक दूसरे देश में यात्राओं की सुविधा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

अस्पृश्यता

†३२३. **श्री पांगरकर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में बम्बई सरकार को अस्पृश्यता निवारण के कार्य के लिये कुल कितनी राशि आवंटित की गई;

(ख) क्या भारत सरकार को बम्बई सरकार से कोई प्रतिवेदन मिला है जिसमें यह बताया गया है कि किन-किन मदों पर खर्च किया गया था;

(ग) यदि हां, तो उल्लिखित अवधि में राज्य में किन-किन गैर-सरकारी संस्थाओं को अनुदान दिये गये; और

(घ) यदि कोई अनुदान नहीं दिया गया तो इसके क्या कारण थे ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३५]**

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

(ग) और (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

बम्बई में प्राचीन स्मारकों का परिरक्षण

†३२४. **श्री पांगरकर :** क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक-गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औरंगाबाद में एल्लौरा और अजन्ता गुफाओं की रसायनों से मरम्मत करने के विषय में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) बम्बई में अब तक कितने प्राचीन स्मारकों की मरम्मत रासायनिक पदार्थों से की गई है; और

(ग) राज्य में इस सम्बन्ध में अब तक कितना व्यय किया गया है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक-गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** (क) कार्य की प्रगति का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है **[देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३६]**

(ख) १३ ।

(ग) लगभग ९०,००० रुपये ।

रत्नगिर में खुदाई

†३२५. **श्री बै० च० मलिक :** क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक-गवेषणा** मंत्री ८ अगस्त, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में जिला कटक के रत्नगिर स्थान पर पुरातत्वीय खुदाई का काम आरम्भ हो गया है; और

(ख) यदि हां तो अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक-गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) हां, श्रीमान् ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) खुदाई शुरू हुए अभी थोड़ा ही समय हुआ है इसलिये कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है ।

देहली पब्लिक लाइब्रेरी

†३२६. **श्री राधा रमण : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक-गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहली पब्लिक लाइब्रेरी के विस्तार के सम्बन्ध में सरकार किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना का स्वरूप क्या है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक-गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भूतपूर्व आज़ाद हिन्द फ़ौज के व्यक्तियों को रोज़गार

†३२७. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व आज़ाद हिन्द फ़ौज के लगभग २५,००० व्यक्ति अभी तक बेरोज़गार हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनको रोज़गार दिलाने के लिये क्या कार्यवाहियां की जा रही हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) तथा (ख). सरकार को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है कि भूतपूर्व आज़ाद हिन्द फ़ौज के कितने व्यक्ति अभी तक बेरोज़गार हैं। इस सम्बन्ध में २०-१२-५६ को लोक-सभा में पूछ गये तारांकित प्रश्न संख्या १४३२ के भाग (घ) तथा (ङ) के सम्बन्ध में दिये गये उत्तरों की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

लोक सेवा संघ आयोग के द्वारा भर्ती

†३२८. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें दिखाया गया हो कि :

(क) १९५७ में लोक सेवा संघ आयोग के द्वारा विभिन्न वर्गों के कितने अधिकारी भर्ती किये गये थे;

(ख) सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा इसी अवधि में विभिन्न वर्गों के कुल कितने अधिकारी प्रत्यक्ष रीति से भर्ती किये गये थे;

(ग) १९५७ में अथवा इससे पूर्व प्रत्यक्ष रीति से भर्ती किये गये अधिकारियों में से कितने अधिकारी १९५७ में लोक सेवा संघ आयोग के सामने पेश हुए थे;

(घ) इनमें से कितने अधिकारियों को लोक सेवा संघ आयोग ने अस्वीकार किया था; और

(ङ) क्या वे अस्वीकृत अधिकारी अभी भी अपने पदों पर काम कर रहे हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ङ). अपेक्षित जानकारी इस समय प्राप्य नहीं है। इसे एकत्रित किया जा रहा है और यथासम्भव शीघ्र ही इसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

राज्यों को सहायक अनुदान

†३२९. { **श्री पाणिग्रही :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम कृष्ण :

क्या **वित्त** मंत्री १३ नवम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अब तक राज्यों को सहायक अनुदानों के रूप में जो वित्तीय सहायता दी गई है क्या उन्होंने उसका पूर्णत: उपयोग किया है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली में आनरेरी मजिस्ट्रेट

†३३०. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली में आनरेरी मजिस्ट्रेटों की संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से कितने स्नातक हैं; और

(ग) उनकी नियुक्ति किस आधार पर की जाती है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) २७ ।

(ख) १३ ।

(ग) मुख्यायुक्त द्वारा किसी आनरेरी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति चुनाव समिति की सिफ़ारिश पर उन व्यक्तियों में से की जाती है जो स्वयं इस पद पर नियुक्त किया जाना चाहते हों अथवा जिनकी ओर से अन्य स्रोतों से, जिनमें समिति के सदस्य भी हैं, सिफारिशें प्राप्त हों, लेकिन शर्त यह है कि :—

(१) उनकी आयु ३० वर्ष से कम न हो और ६० वर्ष से अधिक न हो;

(२) उन्होंने इंटरमीडियेट अथवा हायर सैकण्डरी परीक्षा के बराबर की अथवा उससे उच्च कोई परीक्षा पास की हो;

(३) शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से वह ठीक हों, उनकी विख्याति अच्छी हो और वे वित्तीय मामलों में संपाशित न हों ।

चुनाव समिति में निम्न व्यक्ति हैं :—

(१) दिल्ली के ज़िला तथा सत्र न्यायाधीश;

(२) दिल्ली के ज़िला दण्डाधिकारी; तथा

(३) दिल्ली प्रशासन के गृह-सचिव ।

संगीत नाटक अकादमी

†३३१. **श्री हेम बरुआ** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा इंडियन पीपल्स थियेटर संस्था को उनके दिल्ली में हुए हाल ही के समारोह के लिये कितनी वित्तीय सहायता दी गई थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**शिक्षा और वैज्ञानिक-गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : ५०० रुपये ।

चण्डीगढ़ में विकास योजनाएं

†३३२. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने चण्डीगढ़ में विविध विकास योजनाओं के लिये चालू वर्ष के ऋण आवंटन का उपयोग करने के सम्बन्ध में संघ सरकार से अनुमति देने की प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाहियां की गई हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) तथा (ख). राज्य सरकर ने चण्डीगढ़ राजधानी परियोजना सम्बन्धी विविध विकास योजनाओं के लिये चालू वर्ष के १०० लाख रुपये के आवंटन का उपयोग करने के सम्बन्ध में अनुमति मांगी थी । इसे स्वीकार कर लिया गया है ।

कला क्रय समिति

†३३३. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक-गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ में कला क्रय समिति द्वारा कितनी रकम खर्च की गई थी; और

(ख) खरीदी गई वस्तुओं का ब्योरा तथा दाम क्या हैं ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक-गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) २,८८,६८८ रुपये ७८ नये पैसे ।

(ख) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३७**]

अखिल भारतीय शोधन सम्मेलन[१]

†३३४. **श्री हडा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, १९५७ में त्रिवेन्द्रम में हुए अखिल भारतीय शोधन सम्मेलन द्वारा मुख्य रूप से अल्पावधि कारावास के सम्बन्ध में क्या सिफ़ारिशें की गई थीं; और

(ख) उनके सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) दिसम्बर, १९५७ में त्रिवेन्द्रम में हुए अखिल भारतीय शोधन सम्मेलन के अधिकारियों से भारत सरकार को सिफारिशों की कोई प्रामाणिक प्रति प्राप्त नहीं हुई है । तथापि एक विवरण संलग्न है जिसमें अल्पावधि कारावास के सम्बन्ध में उन संकल्पों की एक प्रति दी गई है जिनके सम्बन्ध में कहा जाता है कि वे सम्मेलन में स्वीकार किये गये थे । [**देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३८**]

(ख) सम्मेलन के अधिकारियों से सिफ़ारिशों की एक प्रमाणीकृत प्रति प्राप्त होने पर प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

मेंगनीज तथा अभ्रक का उत्पादन

†३३५. **श्री मधुसूदन राव** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ में भारत में मेंगनीज़, अयस्क तथा अभ्रक का उत्पादन कितना था;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

१. All India Correctional Conference.

(ख) १९५७ में इनकी कितनी मात्रा निर्यात की गई थी; और

(ग) उनसे अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि कितनी है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है जिस में जानकारी दी गई है । [**देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३९**]

नौसेना के नाविक

†३३६. { **श्री वारियर** :
श्री पुन्नूस :
श्री अ० क० गोपालन : .

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौसेना के नाविकों को वर्दी भत्ता तथा 'किट' भत्ता दिया जाता है; और

(ख) क्या नाविकों के सम्बन्ध में निवृत्त वेतन के संराशिदान की व्यवस्था है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) नौसेना के नाविकों को भर्ती के समय वेतन श्रेणियों के अनुसार वर्दियां जारी की जाती हैं । इसके बाद उन्हें निम्न रूप से 'किट' भत्ता दिया जाता है :—

पैटी आफ़िसर व चीफ़ पैटी आफ़िसर	१३·५० रुपये प्रति मास
अन्य नाविक	१२·५० रुपये प्रति मास

'किट' भत्ते में न केवल वर्दियों के संधारण बल्कि उनका प्रतिस्थापन भी शामिल है ।

(ख) वर्तमान विनियमों के अधीन नाविकों को अपने निवृत्ति वेतन के सभी भाग को राशिकृत करने की इजाजत नहीं है । निवृत्ति वेतन के इस प्रकार के संराशिदान की इजाजत देने के लिये विनियमों में संशोधन करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

हिमाचल प्रदेश में सहकारी आन्दोलन

†३३७. **श्री वाजपेयी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) हिमाचल प्रदेश में सहकारी आन्दोलन की क्रियान्विति की जांच करने के लिये जो समिति नियुक्त की गई थी क्या उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब का कारण क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) समिति से अभी तक कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) समिति के प्रथम सभापति ने स्वास्थ्य की बिना पर त्याग पत्र दिया था । दिसम्बर, १९५६ में उनका उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था परन्तु अगस्त, १९५७ से पहिले समिति की कोई बैठक नहीं हुई थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

साइकिलों की चोरियां

†३३८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दिखाया गया हो कि १९५७-५८ में दिल्ली में साइकिलों की कुल कितनी चोरियां हुई थीं और कितने साइकिल बरामद किये गये थे तथा यह भी बताने की कृपा की जाये कि :

(क) पिछले वर्ष (मास बार) के आंकड़ों की तुलना में ये आंकड़े कैसे बैठते हैं; और

(ख) इस प्रकार की चोरियों को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाहियां करने का प्रस्ताव है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है। [**देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४०**]

(ख) (१) साइकिलों की पड़ताल करने के सम्बन्ध में प्रत्येक पुलिस स्टेशन के साथ एक विशिष्ट कर्मचारीवृन्द जोड़ा गया है ।

(२) बैंक, डाक-घर, कालिज आदि जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर, जहां अत्याधिक संख्या में साइकिल रखे जाते हैं, सादे कपड़ों में सिपाही तैनात किये जाते हैं।

(३) सिनेमा स्लाइडों आदि के द्वारा जनता को बार-बार यहचेतावनी दी जाती है कि वे साइकिल चोरों से खदरवार रहें और साइकिलों को ताला लगा कर रखें ।

(४) महत्वपूर्ण स्थानों पर साइकिलों की अचानक जांच पड़ताल की जाती है।

दैवी प्रकोपों में सहायता

३३९. { **डा० राम सुभग सिंह** :
श्री बै० च० मलिक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दैवी प्रकोपों (श्रेणीवार) में सहायता-कार्यों के लिये १९५७-५८ में अब तक केन्द्र द्वारा किन-किन राज्यों को कितनी-कितनी धनराशि दी गई;

(ख) ऋण तथा अनुदान के रूप में अलग-अलग कितनी धनराशि दी गई; और

(ग) कितनी सहायता वस्तुओं के रूप में दी गई ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री व० रा० भगत)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें मांगी गयी सूचना दी गयी है। [**देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४१**]

(ग) वित्त मंत्रालय ने वस्तुओं के रूप में कोई सहायता नहीं दी ।

प्राथमिक स्कूलों के अध्यापक

†३४०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक-गवेषणा** मंत्री लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें दिखाया गया हो कि :

(क) प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों का वेतन बढ़ाने के लिये राज्यों को राजकीय सहायता देने के सम्बन्ध में कन्द्रीय सरकार की योजना के अधीन जिन राज्यों ने १९५८-५९ के लिये अब तक प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं उनके नाम क्या हैं; और

(ख) इस प्रयोजन के लिये यदि किसी रकम की मंजूरी दी गई है तो प्रत्येक राज्य के सम्बन्ध में राशि कितनी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**शिक्षा और वैज्ञानिक-गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) तथा (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४२**]

पुलिस के इंसपैक्टर जनरलों का सम्मेलन

†३४१. { **श्री अ० क० गोपालन** :
श्री वाजपेयी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में विभिन्न राज्यों की पुलिस के इंसपैक्टर-जनरलों का एक सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो किन समस्याओं पर विचार किया गया था; और

(ग) निर्णय क्या किये गये थे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां।

(ख) सम्मेलन में पुलिस से सम्बन्धित सामान्य समस्याओं पर विचार किया गया था।

(ग) कोई औपचारिक निर्णय नहीं किये गये थे।

हिमाचल प्रदेश में स्कूल

३४२. **श्री पद्म देव** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक-गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में जिन स्कूलों को लोअर मिडिल से मिडिल स्कूल बनाया गया है उनमें अब तक आवश्यक कर्मचारियों की व्यवस्था नहीं की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४३**]

अनुसूचित जातियों का कल्याण

३४३. **श्री पद्म देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये इस समय कितनी संस्थायें चलाई जा रही हैं;

(ख) इन संस्थाओं में किस प्रकार का कार्य किया जा रहा है;

(ग) इन संस्थाओं से अनुसूचित जातियों के कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंच रहा है; और

(घ) १९५७-५८ में अब तक सरकार द्वारा इन संस्थाओं पर कुल कितना व्यय किया गया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) तथा (ख). चमड़ा कमाने और चमड़े का सामान, जैसे जूते, सूटकेस, पेटियां आदि बनाने का प्रशिक्षण देन के लिये हिमाचल प्रदेश प्रशासन द्वारा सात प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र चलाये जा रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ग) ३० ।

(घ) ३१ दिसम्बर, १९५७ तक १६,४७३ रुपये ।

पंजाब का आय-कर विभाग

†३४४. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य के आय-कर विभाग के काम कर रहे अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से कितने व्यक्ति घोषित पदों पर नियुक्त हैं;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों के लिये रक्षित सभी रिक्तताओं की उनके द्वारा पूर्ति हो चुकी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसका कारण क्या है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) ५१ ।

(ख) २ ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) अनुसूचित जातियों में से उपयुक्त उमीदवारों के सम्बन्ध में कमी है ।

उज्जैन में मिली पुरातत्व वस्तुयें

†३४५. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक-गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उज्जैन में पुरातत्व विभाग ने खुदाई का जो कार्य किया है क्या उसमें उसे लकड़ी की कुछ वस्तुयें मिली हैं जिनमें कहा जाता है कि १,५०० वर्ष पुराना अनाज है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के अनाज की कितनी मात्रा मिली है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक-गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) तथा (ख). उज्जैन में अब तक की खुदाई में लकड़ी के १८ गठ्ठे मिले हैं जो नदी की ओर मिट्टी के आकार के ऊपरी भाग में सम्भवतः इसलिये गड़े हुए थे कि बाढ़ द्वारा भूमि के कटाव के विरुद्ध आकार की सुरक्षा की जा सके । परन्तु किसी प्रकार का कोई खाद्य पदार्थ नहीं मिला है ।

मनीपुर में निकल के निक्षेप

†३४६. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के एक दल ने हाल ही में मनीपुर में उखरूल सब-डिवीज़न के ननगौ गांव में निकल के निक्षेपों का पता लगाया है जिनमें निकल की अत्यधिक मात्रा है; और

(ख) यदि हां, तो खनिज की प्राक्कलित मात्रा कितनी है और इसकी किस्म कैसी है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) तथा (ख). जी, नहीं । भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के दो अधिकारी निकट भविष्य में इस क्षेत्र की विस्तृत छान-बीन करेंगे । जांच का कार्य पूरा होने पर ही निक्षेपों की मात्रा तथा क़िस्म मालूम होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

त्रिपुरा में आग लगने की घटनायें

†३४७. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) जनवरी, १९५८ के महीने में त्रिपुरा में आग लगाने की कितनी घटनायें हुई थीं;

(ख) इनका कारण क्या था; और

(ग) इस प्रकार की घटनाओं को फिर न होने से रोकने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) सात ।

(ख) तथा (ग). मामलों की जांच की जा रही है और जांच का परिणाम मालूम होने पर अपेक्षित अग्रेतर निरोधक कार्यवाहियां की जायेंगी ।

भारतीय प्रशासन सेवा में आपात भर्ती

†३४८. **श्री मानवेन्द्र शाह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, १९५६ में भारतीय प्रशासन सेवा की आपात भर्ती के अवसर पर कितने सैनिक अधिकारियों ने भाग लिया था;

(ख) १९५६-५७ में उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण में असैनिक नियुक्तियों के लिए कितने सैनिक अधिकारियों ने आवेदित किया था; और

(ग) उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) में सैनिक अधिकारियों द्वारा असैनिक पदों के अधिमान के लिए मुख्य कारण क्या दिये गये थे ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) १९५ ।

(ख) नौसेना के प्रशासन १९ अधिकारियों तथा वायु सेना के १५१ अधिकारियों ने १९५६-५७ में भारतीय सीमा प्रशासन सेवा में भर्ती के लिये आवेदित किया था । स्थल सेना के अधिकारियों के सम्बन्ध में यह निर्णय किया गया था कि उनसे नये आवेदन पत्र न मांगे जायें परन्तु जिन्होंने १९५३ में उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण प्रशासन सेवा में भर्ती के लिये आवेदित किया था उनमें से ५४६ अधिकारियों के नाम विचार किये जाने के लिये भेजे गये थे ।

(ग) इन अधिकरियों से भारतीय प्रशासन सेवा आपात भर्ती अथवा उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण में असैनिक नियुक्तियों के लिये आवेदित करने के कारण बताने के लिये नहीं कहा गया था ।

राजस्थान में अनुसूचित आदिम जातियां

†३४९. **श्री शोभा राम** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७-५८ में अब तक राजस्थान में अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा जो राशि दी गई थी उसमें से कितनी रकम खर्च की गई है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्य होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

पत्तनों का बन्द करना

†३५०. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल ही में जिन पत्तनों को विदेशी व्यापार के प्रयोजनों के लिये बन्द किया गया है उदके नाम क्या हैं ।

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : विदेशी व्यापार के प्रयोजनों के लिये जुलाई, १९५७ से निम्न पत्तन बन्द किये गये हैं :—

गोधा ।
ढोलैरा ।
काम्बे ।
टनकारी ।
कांद्री ।
दहेज ।
ब्रोच ।
भगवा ।
सूरत ।
मटवाड ।
बुल्सार ।
उमारसाड़ी ।
नावसारी ।
बिल्लीमोरा ।
बेयत ।
माधवपुर ।

राज्य-गृह

†३५१. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २० दिसम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १४०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा कितने राज्य-गृह तथा जिला संरक्षण केन्द्र स्थापित किये गये हैं; और

(ख) वे कहां स्थित हैं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) तथा (ख). अमृतसर, फरीदकोट तथा करनाल में भी तीन राज्य-गृह और सोनीपत (जिला रोहतक) तथा जालन्धर में दो जिला संरक्षण केन्द्र स्थापित किये गये हैं ।

विदेशी विनियोजन

†३५२. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७ तथा १९५७-५८ में अब तक भारत में कारबार शुरू करने के लिये जिन विदेशी सार्थों के प्रार्थना-पत्रि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किये गये हैं उनके नाम क्या हैं;

(ख) इन विदेशी सार्थों के द्वारा कुल कितनी विदेशी पूंजी विनियोजित की गई है; और

(ग) इन सार्थों को यदि किसी निबन्धन के अधीन भारत में कारबार शुरू करने की इजाजत दी गई है तो वे निबन्धन क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

पंजाब को लोहे की चादरों का सम्भरण

†३५३. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६ से १९५८ में अब तक वर्षवार पंजाब राज्य को कुल कितनी लोहे की चादरें आवंटित की गई हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : आवंटन वर्ग-वार नहीं किये जाते हैं ।

ब्रिटेन में सामग्री का क्रय

†३५४. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा १९५७ में सामग्री के क्रय के सम्बन्ध में ब्रिटेन में जो आर्डर दिये गये थे उनकी कुल कीमत कितनी थी ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** १९५७ में सामग्री के क्रय के लिये ब्रिटेन में जो आर्डर दिये गये थे उनकी कुल कीमत लगभग १२३ करोड़ रुपये थी ।

पोस्त की काश्त

†३५५. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय भारत में राज्य-वार, कुल कितने एकड़ भूमि पर पोस्त की काश्त की जाती है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :

राज्य का नाम		१९५७-५८ की अफ़ीम की खेती की ऋतु में क्षेत्र में पोस्त की काश्त की गई
		एकड़
उत्तर प्रदेश		१८,१२५
मध्य प्रदेश	...	२९,३७५
राजस्थान	...	१८,१२५
	जोड़	६५,६२५

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण

†३५६. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में केन्द्र द्वारा शुरू की गई योजनाओं के अधीन पंजाब के बमारिया क्षेत्र की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों, अन्य पिछड़े हुए वर्गों तथा भूतपूर्व जरायमपेशा आदिम जातियों के कल्याण के लिये कितनी रकम मंजूर की गई है;

(ख) उपरोक्त राशि का उपयोग किन मदों के लिये किया गया है;

(ग) कितनी रकम व्यपगत हो गई थी अथवा लौटाई गई थी;

(घ) इसका कारण क्या था;

†मूल अंग्रेजी में ।

(ङ) क्या इस बात की ओर पंजाब सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसका कारण क्या है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) से (च). पंजाब के बमारिया क्षेत्र से अभिप्रेत कौन-सा क्षेत्र है यह स्पष्ट नहीं है। यदि माननीय सदस्य इस बात को कृपया और स्पष्ट कर दें तो पंजाब सरकार से पूछताछ की जायेगी।

नेपाल को सहायता

†३५७. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने नेपाल सरकार को जिन परियोजनाओं के लिये वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता देना स्वीकार किया है उनके नाम क्या हैं।

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : भारत सरकार ने नेपाल की पंचवर्षीय योजना की क्रियान्विति में नेपाल सरकार की सहायता करना स्वीकार किया है। योजना में सम्मिलित किये जाने के लिये परियोजनाओं पर अभी नेपाल सरकार विचार कर रही है। परियोजनाओं के निम्न वर्गों के लिये भारत की सहायता पेश की जा रही है :

(१) सामुदायिक विकास परियोजनायें।

(२) लघु सिंचाई परियोजनायें।

(३) जल व्यवस्था सम्बन्धी परियोजनायें

(४) पन बिजली परियोजनायें।

(५) मार्ग परियोजनायें।

(६) रेलवे परियोजनायें।

(७) हवाई पटरियां।

(८) एक इंजीनियरिंग स्कूल की स्थापना

(९) शिक्षा सम्बन्धी परियोजनायें।

(१०) वनों का सुधार।

(११) भूकरमापन तथा भूतत्वीय सर्वेक्षणों का कार्य करना।

(१२) दूर संचार।

(१३) सहकारी समितियों के विकास।

(१४) प्रशासनिक संस्थायें।

चुनाव याचिकाएं

†३५८. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय आम चुनावों से सम्बन्धित चुनाव याचिकाओं को निबटाने के सम्बन्ध में सरकार ने अब तक कुल कितनी रकम खर्च की है ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : दिसम्बर, १९५७ के अन्त तक लगभग १,७५,००० रुपये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचनों का प्रबन्ध करना तथा निर्वाचन याचिकाओं का निबटाया जाना) नियमों में संशोधन

†**विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस)** मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ की धारा १६९ की उपधारा (३) के अन्तर्गत लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचनों का प्रबन्ध करना तथा निर्वाचन याचिकाओं का निबटाया जाना) नियम १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ३१ दिसम्बर, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ४१६३ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल-टी ५३२/५८**]

लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचनों का प्रबन्ध करना तथा निर्वाचन याचिकाओं का निबटाया जाना) नियमों में संशोधन

†**श्री हजारनवीस** : मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ की धारा १६९ की उपधारा (३) के अन्तर्गत लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचनों का प्रबन्ध करना तथा निर्वाचन याचिकाओं का निबटाया जाना) नियम १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ९ नवम्बर, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओर० ३५९५ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० ५३२/५८**]

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमों में संशोधन

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** मैं केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, १९४४ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ८ फरवरी, १९५८ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ४५६ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल ०टी० ५३३/५८**]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

रूरकेला के इस्पात कारखाने में मजदूरों की हड़ताल

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर इस्पात, खान और ईंधन मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उस के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें:—

"रूरकेला में निर्माण-कार्य में लगे ३,००० मजदूरों द्वारा हड़ताल।"

†**इस्पात, खान तथा ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** रूरकेला के निर्माण कार्य में लगे हुए श्रमिकों की उड़ताल बन्द हो चुकी है और १० फरवरी १९५८ से वहां कार्य आरम्भ हो चुका है। यह विवाद श्रमिकों और ठेकेदारों के बीच था और इस कारण इस विषय से राज्य सरकार का सम्बन्ध था। तो भी इस के सम्बन्ध में तथ्य निम्नलिखित हैं :—

रूरकेला में कार्य के विभिन्न भागों के लिये कई ठेकेदार हैं। २३ जनवरी १९५८ के रोलिंग-मिल के क्षेत्र में असैनिक इंजीनियरिंग कार्य के मुख्य ठेकेदार को रूरकेला मजदूर सभा की ओर से हड़ताल की सूचना मिली थी। कुछ मांगों का उल्लेख करते हुये सूचना में यह कहा गया था कि उन मांगों को पूरा न किया गया तो मजदूर ३० जनवरी की प्रातः को हड़ताल कर देंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[सरदार स्वर्ण सिंह]

मुख्य मांग यह थी कि जिस पद्धति को सभा 'उपठेकेदारों की पद्धति' का नाम देती है, उसे समाप्त कर देना चाहिये। दूसरी मांगें सब श्रमिकों के लिये आवास की व्यवस्था, अतिरिक्त समय कार्य करने के लिये दुगनी मजूरी देने, वेतन सहित त्यौहारों की छुटिटयों और स्थायी आदेशों के प्रकाशन के सम्बन्ध में हैं।

२७ जनवरी, १९५८ को मुख्य ठेकेदारों ने मजदूरो को आश्वासन दिया था कि उन की मांगों पर विचार किया जायेगा। इस पर भी ३० जनवरी को लगभग ४,००० मजदूरों ने हड़ताल कर दी। ठेकेदार संघ के नेताओं से मिले किन्तु समझौते के प्रयत्न असफल हो गये। १ फरवरी को लगभग १,५०० मजदूर काम पर आये किन्तु अन्य हड़तालियों के हड़ताल करने के कारण वे काम न कर सके। १ और २ फरवरी को किये गये समझौते के प्रयत्न असफल रहे। यद्यपि कुछ मजदूर ४ फरवरी को बाद दुपहर काम आरम्भ करना चाहते थे किन्तु फिर हड़तालियों ने धरना दे दिया। पुलिस ने १३ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। ६ फरवरी को कुछ कार्य आरम्भ हो गया और १० फरवरी को हड़ताल पूर्णतः समाप्त हो गई।

३ फरवरी को जल सम्भरण कार्य के एक और ठेकेदार के मजदूरों ने इस कारण हड़ताल कर दी कि ऐसे ७० अस्थायी श्रमिकों की छंटनी कर दी गई थी जो अतिरिक्त हो गये थे। यद्यपि हिन्दुस्तान इस्पात प्राइवेट लिमिटिड ने उन ७० लोगों को अपने पास नौकर रख लेने का आश्वासन दे दिया था किन्तु हड़ताल ५ फरवरी मध्यान्ह पश्चात् को अन्तिम फैसला होने तक रही। समझौते के अनुसार यह निश्चय किया गया कि २९ श्रमिकों को ठेकेदार पुनः काम पर लगा लेंगे और जब तक वे शेष मजदूरों को काम पर नहीं लगा सकेंगे वे मजदूर हिन्दुस्तान इस्पात प्राइवेट लिमिटिड के पास नौकर रहेंगे। एक विशेष मामले के रूप में ठेकेदार ने हड़ताल के दिनों के लिये भी वेतन देना मंजूर कर लिया।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर): इस वक्तव्य के लिये सूचना ७ फरवरी को दी गई थी और हड़ताल १० फरवरी को समाप्त हुई थी। किन्तु इस वक्तव्य में देने के लिये १० दिन का समय लग गया। यह नहीं होना चाहिये था।

†**अध्यक्ष महोदय**: ध्यान दिलाने की सूचना सचिवालय को दी जाती है और उन पर विचार करने में मुझे भी कुछ समय लगता है। फिर मैं सम्बन्धित मंत्रालय से सलाह कर के समय निश्चित करता हूं। उन्हें भी सूचना एकत्रित करनी होती है। फिर जितनी जल्दी हो सकता है वक्तव्य दे दिया जाता है।

तारांकित प्रश्न संख्या १३५ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य और वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: श्रीमान्, मैं ने १४ फरवरी, १९५८ को श्री रामेश्वर टांटिया और १२ अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये मंगला बांध के सम्बन्ध में तारांकित प्रश्न संख्या १३५ का उत्तर दिया था। मैं ने उत्तर में बताया था कि हमने पत्रों में ये समाचार देखे हैं कि मंगला बांध के निर्माण के लिये पाकिस्तान ने इंग्लैंड की एक सार्थ के साथ करार किया है और उसके निर्माण कार्य में एक अमरीकन इंजीनियरिंग सार्थ भी भाग ले रहा है। मैंने इस विषय में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का सुरक्षा परिषद् के प्रधान के नाम पत्र की एक प्रति सभा पटल पर रखी थी। श्री रंगा ने एक अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि क्या भारत सरकार ने इस विषय में इंग्लैंड और अमरीका की सरकारों से पूछताछ की है अथवा उन्हें अभ्यावेदन

---

†मूल अंग्रेजी में।

भेजा है। उसके उत्तर में मैंने कहा था कि "जहां तक मुझे ज्ञात है हमने सिवाय सुरक्षा परिषद् के और किसी को अभ्यावेदन नहीं भेजा है।" यह उत्तर ठीक नहीं है। हमने वस्तुतः दिल्ली में इंग्लैंड और अमरीका के प्रतिनिधियों को सूचना दी थी कि हमारे स्थायी प्रतिनिधि मंगला बांध के निर्माण के सम्बन्ध में पाकिस्तान द्वारा किये गये करारों के बारे में सुरक्षा परिषद् को अभ्यावेदन भेज रहे हैं और उन्हें यह भी बताया गया था कि भारत सरकार को यह जान कर बहुत खेद हुआ है कि सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्य देशों के इंजीनियरिंग साथों के ऐसे करार किये हैं जिन की कार्यान्विति, १७ जनवरी, १९४८ के सुरक्षा परिषद् के संकल्प, १३ अगस्त १९४८ और ५ जनवरी १९४९ के भारत और पाकिस्तान के लिये संयुक्त राष्ट्र आयोग के संकल्पों और संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा भारत के प्रधान मंत्री को सुरक्षा परिषद् की ओर से दिये गये आश्वासनों का सर्वथा उल्लंघन करना है।

दिल्ली पालिटेक्नीक के एक छात्र द्वारा आत्महत्या और विद्यार्थियों द्वारा हड़ताल

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास)** : दिल्ली पालिटेकनीक का एक छात्र, श्री हरचरण सिंह चक्कल, जिस ने ८ फरवरी, १९५८ को संस्था के आलनट होस्टल में आत्महत्या की थी, १९५३ में इस संस्था में इंजीनियरिंग की डिग्री के लिये दाखिल हुआ था। प्रथम वर्ष की परीक्षा में वह सब विषयों में उत्तीर्ण हुआ था। दूसरे वर्ष की परीक्षा में वह एक विषय में अनुत्तीर्ण हुआ और फिर कम्पार्टमेंट परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। तीसरे वर्ष की परीक्षा में वह दो विषयों में उत्तीर्ण हुआ और फिर कम्पार्टमेंट में उत्तीर्ण हो गया। १९५७ में डिग्री की अन्तिम विश्वविद्यालय की परीक्षा में वह तीन पत्रों प्रयोगात्मक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया। विश्वविद्यालय के विनियमों के अनुसार उसे पालिटेकनीक में एक वर्ष और अध्ययन करने के बाद परीक्षा देने की आवश्यकता थी। ऐसा प्रतीत होता है कि बार-बार अनुत्तीर्ण होने के कारण उसका दिमाग खराब हो गया था।

अगस्त-सितम्बर १९५७ में श्री चक्कल ने प्रिंसिपल को शिकायत की थी कि परीक्षक उस के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं। प्रिंसिपल को इस बात पर आश्चर्य हुआ और उसने श्री चक्कल को समझाया कि उसे इस प्रकार के विचार मन में नहीं लाने चाहियें। उसने उसे यह भी कहा कि यदि वह गम्भीरता से इस विषय को लेना चाहता है तो उसे लिखकर अभ्यावेदन देना चाहिये। प्रिंसिपल ने श्री चक्कल को शान्त किया और यह सांत्वना दी कि यदि वह परिश्रम करेगा तो अगली परीक्षा में अवश्य पास हो जायेगा।

नवम्बर १९५७ में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिकी विभाग के हीन होने के नाते प्रिंसिपल को श्री चक्कल की ओर से दो अभ्यावेदन मिले जिन में प्रार्थना की गई थी कि उन्हें पालिटेकनीक में कक्षाओं में उपस्थित होने और सत्रीय अभिलेख प्रस्तुत करने से विमुक्त कर दिया जाये। किन्तु विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार यह आवश्यक है कि जो इंजीनियरिंग की अन्तिम परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाये उसे पुनः परीक्षा में बैठने के लिये सारा वर्ष संस्था में अध्ययन करना पड़ता है प्रिंसिपल ने ये अभ्यावेदन विश्वविद्यालय को भेजे और विश्वविद्यालय ने श्री चक्कल को सूचना दी कि विनियमों के अनुसार विमुक्ति नहीं दी जा सकती।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री म० मो० दास]

७ फरवरी, १९५८ को जब प्रिंसिपल सिंदरी में प्राविधिक संस्थाओं के प्रिंसिपलों की सन्था में गया हुआ था पालिटकनीक सन्था को पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना की ओर से एक टेलीफोन मिला कि संस्था के एक विद्यार्थी को नई दिल्ली में चलती बस से छलांग लगाते हुये चोटें आई हैं। इस संदेश में यह भी बताया गया कि वह विद्यार्थी पुलिस थाने में है और वह अपना नाम नहीं बताता। रजिस्ट्रार ने तुरन्त कुछ कर्मचारियों को थाने भेजा। उन्होंने बताया कि वह श्री हरिचरण चक्कल है। पुलिस ने बताया कि न तो वह पुलिस हस्पताल में जाने के लिये तैयार है और न ही पालिटेकनीक के होस्टल में। चोटें मामूली ही थीं। श्री चक्कल को अनुरोध कर के होस्टल ले जाया गया। उसने पुलिस को यह वक्तव्य दिया कि उस दुर्घटना के लिये कोई अपराधी नहीं है और उसे उपचार अथवा पुलिस के डाक्टर की सहायता की आवश्यकता नहीं।

होस्टल के डाक्टर ने श्री चक्कल को देखा और एक इंजेक्शन दिया तथा उसे मानसिक शान्ति के लिये कुछ गोलियां भी दीं। उसने देखा कि लड़के के दिमाग में कुछ गड़बड़ है। श्री चक्कल के माता पिता को तार दिया गया जिस में इस घटना का उल्लेख करते हुये उन्हें दिल्ली आने के लिये कहा गया। उसके दिमाग की स्थिति के बारे डाक्टर की उक्त राय के कारण सावधानी के तौर पर उसकी खिड़की बन्द कर दी गई और उसके कुछ होस्टल के मित्रों को उसकी देख रेख रखने के लिये कहा गया। ८ फरवरी की प्रातः को होस्टल के उप-अधीक्षक ने कुछ छात्रों से प्रार्थना की कि वे श्री चक्कल की निरन्तर देख-भाल करें। क्योंकि कक्षाएं १० बजे आरम्भ हो जाती हैं। अतः उसने होस्टल में श्री चक्कल के कमरे के समीप के कमरे में नौकर की व्यवस्था कर दी। उसने ११ बजे श्री चक्कल को देखा उसकी स्थिति ठीक थी। १२ बजे वह डाक्टर से मिला और जिस ने सुझाव दिया कि जब श्री चक्कल के माता-पिता भेजे गये तार के उत्तर में आ जाएं, उस दिन उन के आने की आशा थी, तो उन्हें कहा जाये कि वे उसे मानसिक रोगों के विशेषज्ञ डाक्टर को दिखाएं और उस का उपचार करवाएं। लगभग १–३० बजे कुछ छात्रों ने उसे बताया कि उसने उनके साथ भोजन खाया है और शान्त तथा खुश दिखाई देता था। २–४५ बजे वह श्री चक्कल के कमरे में गया और उसे सोये हुए पाया। कुछ छात्र भी उस का ध्यान रख रहे थे।

८ फरवरी, १९५८ के ३–१५ बजे सायं जब स्थिति सर्वथा शान्त थी, उप-अधीक्षक को अकस्मात कुछ शोर सुनाई दिया और उसने कुछ छात्रों को भागते हुये देखा। एक छात्र ने बताया कि श्री चक्कल ने होस्टल की छत से छलांग लगा दी थी। उपाधीक्षक तुरन्त बाहर गया और उसने देखा कि श्री चक्कल सड़क पर पड़ा है और उसके सिर से खून बह रहा है। वह तथा एक ओर छात्र श्री चक्कल को एक पुलिस की गाड़ी में इरविन हस्पताल ले गये। हस्पताल के प्राधिकारियों ने तुरन्त उसे देखा परन्तु ४·२५ बजे सायं श्री चक्कल की मत्यु हो गई।

यह पता लगा है कि कुछ छात्रों ने श्री चक्कल को ३.१५ सायं हंसते हुये अपने कमरे से बाहर आते और पेशाबघर की ओर जाते देखा था। तभी वह बिना किसी को संदेह हुये सीढ़ियों पर चढ़ गया और वहां से छलांग लगा दी।

उसके सम्बन्धियों को ७ बजे सांय एक एक्सप्रेस तार भेजा गया और होस्टल में एक शोक सभा की गई जिस में कुछ अध्यापक भी सम्मिलित हुये।

श्री चक्कल ९ फरवरी, १९५८ को भी नहीं पहुंचे। अतः उसके भाई को जिस के बारे में पता था कि वह श्री चक्कल के गांव से तीन मील की दूरी पर रहता है एक एक्सप्रेस तार भेजा गया। जिस पुलिस थाने के क्षेत्राधिकार में वह गांव था वहां फोन करने का प्रयत्न किया गया किन्तु फोन

न किया जा सका । फिर अधीक्षक ने सुझाव दिया कि एक छात्र को जो उसके गांव और सम्बन्धियों को जानता था भेजा जाये । उस छात्र को ९ फरवरी को १ बजे मध्यान्ह पश्चात् की गाड़ी से भेज दिया गया । वह सम्बन्धियों को १० फरवरी को अपने साथ ले आया ।

९ फरवरी को पुलिस द्वारा शव परीक्षा के पश्चात् शव को बाद दुपहर पालिटेकनीक में ले जाया गया और १० फरवरी को उसके सम्बन्धियों के आने तक उसे वहां ही रखा गया और तत्पश्चात् उसका दाह संस्कार किया गया । प्रिंसिपल और कर्मचारिवृंद छात्रों सहित मातमी जलूस में शामिल हुए और चिता को जलाने तक वहां रहे **[अन्तर्बाधाएं]** क्या मैं इस वक्तव्य को सभा-पटल पर रख दूं ?

अध्यक्ष महोदय : इस लम्बे वक्तव्य को पढ़ने की जरूरत नहीं । आप इसे सभा-पटल पर रख दें ।

(वक्तव्य का सभा-पलट पर रखा गया अंश)

चिता जलने के पश्चात् कुछ विद्यार्थियों को टाइप किये हुए शपथपत्र बांटते हुये देखा गया। तब छात्रों ने शपथ ली ।

११ फरवरी, १९५८ को कुछ छात्र कक्षाओं से अनुपस्थित रहे और उन्होंने दूसरों को आने से रोका । ऐसा उन्होंने बिना कारण और औचित्य के ही किया । उसके बाद से सभी छात्र हड़ताल पर हैं और जलूस निकालते रहते हैं । यह भी पता लगा है कि उन्होंने कुछ अनुचित काम भी किये हैं ।

१३ फरवरी, १९५८ को दिल्ली टेकनीक विद्यार्थी कार्य समिति के कन्वीनर की ओर से एक ज्ञापन मिला है जिस में निम्नलिखित मांगें की गई हैं:—

(१) इस आत्महत्या के कारणों की सार्वजनिक जांच ।

(२) दिल्ली पालिटेक्नीक की शिक्षा-सम्बन्धी तथा प्रशासनिक व्यवस्था की सार्वजनिक जांच ।

(३) प्रिंसिपल एस० सी० सेन को इस पद से हटाना ।

(४) अन्तिम वर्ष के छात्रों के लिये भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा देने की व्यवस्था करना । सत्रीय अभिलेख को किसी को उत्पीड़ित करने के लिये न प्रयोग करना ।

(५) सिविल इंजीनियरिंग कोर्स (डिग्री और सर्टिफिकेट के लिये) आरम्भ करने के निश्चय को कार्यान्वित करना ।

(६) ललित कलाओं को दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करना ।

(७) जुलाई १९५८ में नेशनल सर्टीफिकेट कोर्स (इंजीनियरिंग) के छात्रों के लिये नेशनल डिप्लोमा (अंश कालिक कोर्स) आरम्भ करना ।

(८) दूसरे विश्वविद्यालयों की तरह सितम्बर मास में प्रविधिक शिक्षा की अखिल-भारतीय परिषद् की कम्पार्टमेंटल परीक्षाएं करना ।

(९) पालिटेकनिक के अन्य पाठ्यक्रमों में प्रविधिक हायर सेकेंडरी स्कूल और इंजीनियरिंग पूर्व के छात्रों के लिये काफी जगहें रखना ।

(१०) श्री हरिचरण सिंह चक्कल का स्मारक बनाना ।

ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि छात्रों ने एक मत होकर यह संकल्प किया है कि जब तक उपरोक्त मांगें पूरी नहीं होतीं वे हड़ताल जारी रखेंगे ।

[श्री म० मो० दास]

पुलिस के मामले की जांच की है और उस के प्रतिवेदन में बताया गया है कि "इस में छात्र ने परीक्षाओं में निरन्तर असफलता से हताश होकर आत्म हत्या की है।" अतः सरकार इस मामले की सार्वजनिक जांच की आवश्यकता नहीं समझती।

जहां तक पालिटेकनिक की शिक्षा-सम्बन्धी तथा प्रशासनिक व्यवस्था का सम्बन्ध है उन का संचालन दिल्ली विश्वविद्यालय और प्रविधिक शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद् के नियमों और विनियमों के अन्तर्गत होता है। अतः इस मामले की सार्वजनिक जांच का प्रश्न पैदा नहीं होता। पालिटेकनिक के पुनर्गठन और विकास और संस्था के प्रशासन तथा अन्य कार्यों हेतु एक शासक निकाय स्थापित करने की प्रस्थापनाएं तैयार हो चुकी हैं। इस सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय किया जायेगा।

पालिटेकनीक से प्रिंसिपल एस० सी० सन को हटाने की मांग को सरकार उचित नहीं समझती।

जहां तक अन्तिम वर्ष के छात्रों को भूतपूर्व छात्रों के रूप में परीक्षा देने का अधिकार देने का प्रश्न है यह मामला विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों के अन्तर्गत आता है। छात्रों की प्रार्थना को विचार के लिये विश्वविद्यालय को भेजा जायेगा। छात्रों की यह शंका कि सत्रीय अभिलेख उत्पीड़न के लिये प्रयोग किये जायेंगे निराधार और अनुचित है। श्री चक्कल के अपने अभिलेख भी बहुत अच्छे थे और वह विश्वविद्यालय की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ था।

सरकार ने पहले ही यह निश्चय किया है और अगले सेशन में डिग्री और सर्टीफिकेट के इंजीनियरिंग कोर्स आरम्भ किये जायेंगे।

पालिटेकनिक के कला विभाग को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने के विषय पर विश्वविद्यालय से परामर्श किया जायेगा। अभी तक विश्वविद्यालय ने कला विभाग नहीं खोला।

नेशनल प्रमाणपत्र धारियों के लिये १९५८-५९ के सेशन के लिये नेशनल डिप्लोमा कोर्स (अंश कालिक) आरम्भ करने की व्यवस्था की जा रही है।

प्रविधिक शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद् की कम्पार्टमेंटल परीक्षाएं सितम्बर में करने के प्रश्न पर परिषद् से पूछना होगा।

दिल्ली पालिटेकनीक एक अखिल भारतीय संस्था है। अतः विशेष वर्ग के छात्रों के लिये जगहें रक्षित नहीं रखी जा सकतीं। तो भी संस्था क अन्य कसों में प्रवेश के लिए प्रविधिक हाई स्कूलों और इंजीनियरिंग पूर्व कोर्सों के छात्रों को सदा अधिमान दिया जाता है।

सरकार श्री चक्कल के लिये स्मारक बनाने के लिये सहमत नहीं।

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री और वैज्ञानिक गवेषणा तथा प्रविधिक शिक्षा के सचिव छात्रों के प्रतिनिधियों को कई बार मिले हैं और उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा और यदि वे कक्षाओं में उपस्थित होने लगे तो उन्हें उत्पीड़ित नहीं किया जायेगा। बार-बार हड़ताल बन्द करने के परामर्श पर भी उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और हड़ताल जारी है।

१५ फरवरी को छात्रों ने प्रिंसिपल को रक्त से हस्ताक्षरित एक अभ्यावेदन भेजा था और यह प्रार्थना की थी कि पदत्याग कर दें। उस रात वे मशालें लेकर एक जलूस के रूप में उसके घर पर भी गये थे।

सरकार को इस पर बहुत शोक है कि पालिटेकनीक के एक छात्र ने परीक्षाओं में अपनी असफलताओं से हताश होकर आत्महत्या कर ली है। सरकार छात्रों की सभी उचित शिकायतों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने और उन्हें यथा सम्भव दूर करने के लिये तैयार है किन्तु वह छात्रों की कार्यवाही पर खेद प्रकट करती है और आशा करती है कि वे विवेक से काम लेंगे और अपना अध्ययन आरम्भ कर देंगे।

वित्त मंत्री के पद से त्यागपत्र देने के सम्बन्ध में श्री ति० त० कृष्णमाचारी द्वारा वक्तव्य

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** (मद्रास-दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, मैं आप का बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे यह वक्तव्य देने का अवसर दिया। आमतौर पर त्यागपत्र देने वाले मंत्री अपने त्याग पत्र का, जिसका कारण प्रायः अपने सहयोगियों या सरकार की नीतियों से मतभेद होता है, औचित्य सिद्ध करने के लिये वक्तव्य दिया करता है। मेरा त्यागपत्र उस ढंग का नहीं है। मेरा न तो अपने प्रधान मंत्री से मतभेद है और न अपने सहयोगियों से। मैं अपने प्रधान मंत्री के प्रति इस बात के लिये आभारी हूं कि उन्होंने मेरे त्यागपत्र को स्वीकार करते हुए अपने पत्र में इस बात को स्पष्ट कर दिया था।

मुख्यतः मैं यह वक्तव्य जीवन बीमा निगम की पूंजी के विनियोग के सम्बन्ध में जांच आयोग द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के सम्बन्ध में, जहां तक कि उससे मेरी प्रतिष्ठा, ख्याति और चरित्र का सम्बन्ध है, दे रहा हूं। मैं स्वयं अपने सम्बन्ध में उतना चिन्तित नहीं हूं क्योंकि भविष में मेरे चरित्र पर इन लांछनों से कोई असर पड़ने की सम्भावना नहीं है। किन्तु मुझे एक कर्त्तव्य का पालन करना है और वह है भारत सरकार की प्रतिष्ठा की रक्षा।

अध्यक्ष महोदय, जांच आयोग मैंने १७ जनवरी, १९५८ को नियुक्त किया था और मैंने इस बात का अनुमोदन किया था कि महान्यायवादी आयोग की सहायता करेगा। इस आयोग के निर्देश पद का संविदा भी मैंने ही तैयार किया था और आयुक्त तथा महान्यायवादी के सुझाव द्वारा मैंने उसमें रूपभेद करना भी स्वीकार कर लिया था।

मैं जीवन बीमा निगम के अधिकारियों या वित्त मंत्रालय के मुख्य सचिव के आचरण के सम्बन्ध में आयोग के विषयों के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता। प्रतिवेदन के अन्तिम भाग में दिये गये उन सिद्धान्तों के बारे में भी मैं कुछ नहीं कहना चाहता, जिन्हें लागू करने का सुझाव आयोग ने दिया है। इस सम्बन्ध में तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि किसी भी मंत्री के लिये यह सिद्धान्त स्वीकार करना असम्भव है कि उसे, इस बारे में कोई भी सफाई देने का अवसर पाये बिना कि उसके मातहत अधिकारियों के काम उसकी नीति को प्रतिबिम्बित नहीं करते या उन्होंने इसकी इच्छाओं और निर्देशों के विरुद्ध कार्य किया है, अपने मातहतों के कामों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेनी चाहिये। मैं केवल उन्हीं निष्कर्षों के बारे में कहूंगा जो मेरे सम्बन्ध में हैं और जो दो प्रकार के हैं।

इस मामले में एक मेरी सीधी जिम्मेदारी है और एक मेरी वैधानिक जिम्मेदारी है। इस मामले में मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी तीन आधारों पर ठहराई गई है। एक, कि कोई भी सचिव मंत्री की सहमति के बिना इस ढंग का कोई असाधारण सौदा नहीं कर सकता; दूसरा, कलकत्ते में इस सौदे

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

के बारे में पहले से ही जरूर अन्दर-अन्दर कुछ फैसला हो गया होगा जिस में मंत्री भी शामिल होंगे और तीसरा, बाद में मंत्री ने इस सौदे की कोई निन्दा नहीं की जिसका अर्थ यह था कि या तो मंत्री की अनुमति पहले ले ली गयी थी या बाद में ले ली गई।

जहां तक पहले आधार का प्रश्न है न तो मुख्य सचिव ने और ने भट्टाचार्य ने ही--क्योंकि इनके सिवाय और किसी को इसकी जानकारी नहीं थी— यह कहा कि इस सौदे के बारे में मेरी कोई निश्चित सहमति मांगी गयी या मैंने दी। इन दोनों गवाहों ने सिर्फ इतना ही कहा है कि मेरे सामने दो अंशों जैसप— और रिचर्डसन एण्ड क्रुड्स के नामों का जिक्र किया गया था। परन्तु जैसा कि बाद में मालूम हुआ सौदा ६ अंशों के साथ किया गया जिन में से कुछ तो निश्चित ही उस कोटि के नहीं थे जिनका मुझ से जिक्र किया गया था।

मुख्य सचिव और श्री भट्टाचार्य की गवाही से यह भी बिलकुल स्पष्ट हो गया है कि जब इस मामले का मुझ से जिक्र हुआ तो मैंने यही कहा था कि यदि जीवन बीमा निगम ये अंश खरीदे तो मुझे हर्ज नजर नहीं आता या मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु साथ ही मैंने सतर्कता बरतने को भी कहा। इन गवाहों ने इन अंशों की कीमत का मेरे आगे जिक्र तक होने की बात भी नहीं कही है। ऐसी दशा में मुझे यह समझ में नहीं आता कि मुख्य सचिव ने यह अर्थ कैसे निकाल लिया कि इस सारे सौदे के लिये मेरी पर्याप्त सहमति लेली गई थी। जब मेरे सामने जीवन बीमा निगम को इन दो संस्थाओं के अंशों की बिक्री के प्रस्ताव का जिक्र किया गया तो मेरे लिये यह मानने का कोई कारण न था कि जीवन बीमा निगम ये अंश खरीदते हुए ऐसी साधारण बातों का भी पालन नहीं करेगा जैसे · बाजार भाव पर खरीद, विनियोग समिति से मंत्रणा और बीमा अधिनियम की धारा २७ क का पालन। खास तौर पर जब मैंने पहले से ही सावधानी बरतने की चेतावनी दे दी थी तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि इन बातों को ध्यान में रखे बिना अंश खरीदे जायेंगे। आयोग के सामने दी गयी गवाही से इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं मिलता।

जहां तक दूसरे आधार का ताल्लुक है, कलकत्ते में पहले से ही इस सौदे के बारे में समझौता होने की बात यह सिद्ध करने के लिये भले ही कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों न हो कि श्री मूंदड़ा बम्बई में बिना किसी पूर्व प्रयत्न के सीधे मुख्य सचिव से मिले परन्तु आयोग के सम्मुख एक भी गवाह ने यह संकेत तक नहीं दिया कि कलकत्ते में मेरे और रिजर्व बैंक के गवर्नर, राज्य बैंक के अध्यक्ष या मुख्य सचिव के बीच संयुक्त रूप से या अलग-अलग कोई भी बातचीत हुई। वास्तव में, मुख्य सचिव तो मुख्य सचिव, श्री मूंदड़ा ने भी इस बात से इनकार किया कि इस सौदे के बारे में पहले कोई मंत्रणा हुई थी।

तीसरे आधार के सम्बन्ध में, यानी इस सम्बन्ध में कि मैंने बाद में इस सौदे को गलत नहीं बताया, मेरा निवेदन है कि यदि हम इस युक्ति को स्वीकार कर लें तो यह सार्वजनिक जीवन और प्रशासन में एक अत्यन्त खतरनाक और गलत सिद्धान्त का समावेश करना होगा। मैं यह समझ नहीं सका कि जब मुझे इस सौदे के महीनों बाद तक भी उसके सम्भावित अनौचित्य का पता नहीं चला तो मैं जीवन बीमा निगम द्वारा इन अंशों की खरीद के कार्य को गलत कैसे बता सकता था। इसके अलावा किसी काम को गलत बताना सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है। किसी सरकारी काम की निन्दा जांच के बाद ही की जाती है और इस मामले में, अगर जरूरत हो तो, यह निन्दा आयोग के प्रतिवेदन के बाद ही हो सकती है। परन्तु खैर, मैं इस सिद्धान्त पर विस्तार में नहीं जाना चाहता।

क्योंकि यह भी कहा गया है कि इस सौदे में मेरी सीधी जिम्मेवारी है और कि १४ सितम्बर और २९ नवम्बर को लोक-सभा में इस सम्बन्ध में प्रश्नों के उत्तर देते हुए और १६ नवम्बर को

हुए वाद-विवाद में भी मैंने यह स्वीकार नहीं किया कि मैं इन सौदों के बारे में जानता हूं। अतः मैं तथ्यों का, जिस रूप में कि मैं उन्हें जानता हूं, बयान करना चाहता हूं। मैंने कई, १९५७ के तीसरे सप्ताह तक यानी १९५७-५८ के अपने आय-व्ययक प्रस्ताव पेश करने के बाद तक, जीवन बीमा निगम की पूंजी विनियोग नीति में कोई सीधा हिस्सा नहीं लिया। उस समय अंशों के बाजार की जो हालत थी और जो निवेदन मुझ से किये गये उन्हें देखते हुये मैंने मुख्य वित्त सचिव से कहा कि जीवन बीमा निगम इंडियन आयरन, टाटा आयरन एण्ड स्टील और एसोशियेटेड सीमेंट फैक्टरी के सामान्य अंश खरीद सकता है। यह बात मुख्य सचिव द्वारा २१ मई, १९५७ को निगम के उपाध्यक्ष श्री वैद्यनाथन को लिखे गये एक पत्र में दर्ज भी है।

यह मैं पहले ही कह चुका हूं कि बम्बई में जून, १९५७ में घटी घटनाओं के सम्बन्ध में आयोग के सामने दिये गये बयानों से यह सिद्ध नहीं होता कि मेरी जो सहमति समझ ली गई वह सारे सौदे के बारे में थी। इसके बाद १२ जुलाई, १९५७ को श्री कामत द्वारा मुझे लिखे गये पत्र का नम्बर आता है, जिस में उन्होंने मुझे जीवन बीमा निगम द्वारा खरीदे गये इस्पात और सीमेंट के अंशों की सूची दी थी। यह पत्र मुझे मुख्य वित्त सचिव के कहने से भेजी गई जिन्होंने श्री कामत से कहा था कि मुझे (वित्त मंत्री की) इस्पात और सीमेंट अंशों के बारे में सूचना भेजी जाये। इसलिये स्वभवतः इस सूची में जून में खरीदे गये सभी मूंदड़ा अंशों की सूचना नहीं हो सकती। यह पत्र बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें जो तथ्य दिये गये थे, सिर्फ उन्हीं की मुझे जानकारी थी।

अब मैं ४ सितम्बर के लोक-सभा के प्रश्न पर आता हूं। मुझे भय है कि मुख्य सचिव के वकील श्री मुन्शी ने संसद के प्रश्नों की जो प्रक्रिया आयोग के सामने बताई है, वह वास्तविक व्यवहार से, कम से कम जिस रूप में मैं उसे जानता हूं, भिन्न है। एक मंत्री को अपने अन्य कामों के अलावा दोनों सदनों में एक सप्ताह में एक सौ से अधिक प्रश्नों को निबटाना पड़ता है। उसके सामने जो उत्तर तैयार करके रखे जाते है, उनकी इतनी बारीक छानबीन नहीं हो सकती। जैसा कि मुंशी ने कहा है। उत्तर असन्तोषजनक होने और ठीक ढंग से प्रस्तुत न होने पर ही मंत्री उनकी फाईल देखता है। मैंने अपने कार्यकाल में जिन हजारों प्रश्नों के उत्तर दिये उनमें बहुत थोड़े ही ऐसे होंगे जिन में मुझे सम्बद्ध फाइलें देखनी पड़ी होंगी।

४ सितम्बर के इस प्रश्न का जहां तक ताल्लुक है, यह एक तारांकित प्रश्न था जिसका उत्तर मौखिक दिया जाना था और जिस पर पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते थे। किन्तु वास्तव में इस पर पूरक प्रश्न पूछे नहीं गये क्यों प्रश्नोत्तर काल की सीमा के भीतर इस प्रश्न का नम्बर आया ही नहीं। किन्तु यह बात आयोग के सामने रखी ही नहीं गई इसीलिये उसने इस प्रश्न पर दिया गया उत्तर संदिग्ध या अस्पष्ट ठहरा दिया जब कि वास्तव में वह पूछे गये प्रश्न का सही उत्तर था।

अब मैं २९ नवम्बर के प्रश्न को लेता हूं जिसका पूरा उत्तर दिया गया था। इसके बारे में आयोग ने कहा है कि १६ जुलाई का श्री कामत का पत्र वित्त मंत्रालय के सामने मौजूद होने पर भी मेरा यह कहना और भी दुर्भाग्यिपूर्ण था कि जीवन बीमा निगम की विनियोग नीति का दिग्दर्शन विनियोग समिति करती है जब कि उस पत्र से ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता था। जब मैं आयोग के सामने पेश हुआ तो मुझ से खास तौर से पूछा गया था कि क्या मैंने १६ जुलाई का पत्र देखा था, जिसका उत्तर मैंने "नहीं" में दिया। यह २२ जनवरी, १९५८ की बात है। वास्तव में मैंने यह पत्र पहली बार तब पढ़ा जब कि वह आयोग के सामने प्रदर्शित वस्तुओं के साथ फरवरी में वापस मंत्रालय को भेजा गया। मुझे आयोग के सामने यह कहने का अवसर ही नहीं मिला कि सिर्फ इस कारण कि श्री कामत द्वारा संयुक्त सचिव को भेजा गया कोई पत्र मंत्रालय में मौजूद था, यह कहना सही नहीं कि मुझे लोक-सभा में प्रश्न का उत्तर उसके आधार पर ही देना चाहिये था।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

सरकारी नीतियां जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित नहीं होतीं । चूंकि मुझे १६ जुलाई के पत्र की कतई जानकारी नहीं थी अतः यह नहीं कहा जा सकता कि मैंने जानबूझ कर सदन के सामने यह बात नहीं बताई कि विनियोग समिति से इस बात के सम्बन्ध में मंत्रणा नहीं की गयी ।

किन्तु लोक-सभा में दूसरे प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैंने कलकत्ते का एक समाचार पढ़ा था कि रिचर्डसन एण्ड क्रुड्रस तथा जैसप्स की स्थिति कुछ कठिन हो गई है। मैंने मुख्य सचिव से पूछा था कि इस सम्बन्ध में क्या किया जा सकता है। १७ सितम्बर को मैं विदेश चला गया और अक्टूबर के अन्त में दिल्ली लौटा और फिर अपने निर्वाचन क्षेत्र को चला गया जहां से मैं नवम्बर के प्रथम सप्ताह में दिल्ली लौटा । उस समय श्री मूंदड़ा की उन संस्थाओं की स्थिति गम्भीर थी जिन से बीमा निगम ने पैसा लगाया तथा राज्य बैंक की भी जिन में दिलचस्पी थी ।

तब मुझे इस मामले में हाथ डालना पड़ा । और बीमा निगम तथा राज्य बैंक के हितों के संरक्षण के लिये कदम उठाने पड़े । फिर भी मुझे २१ से २५ जून के बीच हुई अंशों की खरीद के बारे में उन तथ्यों का पता नहीं था जो बाद में प्रकट हुये । मुख्य सचिव से मैं इस बारे में पूरी बातचीत नहीं कर सका क्योंकि वह २२ नवम्बर से दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह तक बाहर थे । मैंने संविधान अधिकारियों से १६ दिसम्बर को संसद में होने वाले वाद-विवाद के लिये आवश्यक जानकारी मांगी और उस सूचना से ही मुझे मालूम हुआ कि जून में हुई खरीद के सम्बन्ध में विनियोग समिति से सलाह नहीं ली गई थी । संसद में वाद-विवाद के दौरान में मुझे मालूम हुआ कि बी० आई० सी० ने एक साल लाभांश घोषित नहीं किया है तथा दूसरे साल भी उसने केवल नाममात्र के लिये लाभांश घोषित किया है और ओस्लर की भी स्थिति काफी खराब है ।

श्री मूंदड़ा की संस्थाओं के जिन अंशों की खरीद जीवन बीमा निगम ने अप्रैल में की उसका पता मुझे तब तक नहीं था जब तक कि आयोग ने जांच शुरू नहीं की । तब मैंने समवाय निधि विभाग के संयुक्त सचिव श्री आयंगार से जो कि विनियोग समिति के सदस्य भी थे, पूछा कि समय-समय पर यह सब क्या हुआ है । तभी मुझे श्री पारिख की टिप्पणी का भी पता लगा तभी मुझे पता लगा कि निगम ने विनियोग समिति के परामर्श के बिना ही २५ अप्रैल को जैसप्स के अंश खरीदे थे ।

लेकिन उस समय भी मुझे यह पता नहीं था कि जैसप्स के ५०,००० अंशों की खरीद सीधे मूंदड़ा से की गई है । मुझे यह पता था कि इन अंशों की खरीद दिल्ली से टेलीफोन पर मुख्य सचिव का आदेश मिलने पर श्री वैद्यनाथन ने की । यदि ये तथ्य मुझे मालूम होते तो मेरे उत्तर भिन्न होते । मुझे यह ज्ञात था कि २१ जून से २५ जून के बीच हुआ सौदा इतनी जल्दी से किया गया अथवा यह कि श्री मूंदड़ा ने उधार मांगा था या कुछ ऋण पत्र देने की बात कही थी ।

४ सितम्बर, और २९ नवम्बर, १९५७ को संसद् में प्रश्नों के मैंने जो उत्तर दिये तथा १६ दिसम्बर को वाद-विवाद का जो उत्तर दिया वह उपरोक्त जानकारी के आधार पर ही था । अतः यह कल्पना जो बनाई गयी है कि श्री कामत ने १६ जुलाई को श्री कौल को जो पत्र भेजा था उसकी मुझे जानकारी थी, गलत सिद्ध होती है । मुख्य सचिव, जिन्हें इन सौदों की पूरी जानकारी थी, २२ दिसम्बर तक भारत नहीं लौटे थे । इस लिये जून में जो सौदे हुए उनके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी और मैंने संसद् में जो कुछ बताया उससे अधिक नहीं बता सकता था ।

जांच जिस ढंग से हुई उसमें प्रक्रिया सम्बन्धी कुछ-कुछ त्रुटि थी और यदि शायद उचित प्रक्रिया अपनाई जाती तो जो तथ्य मेरे विरुद्ध निकाले गये हैं वह शायद न निकलते । यदि मुझे दोबारा

इस बात का स्पष्टीकरण करने के लिये बुलाया जाता जिस से मेरे बयान तथा अन्य गवाहों के बयान में जो अन्तर थे उनका स्पष्टीकरण हो जाता। इसके अलावा शुरू में आयोग इस सिद्धान्त को लेकर चला कि इस मामले में कोई पक्ष नहीं है पर बाद में आयुक्त ने बताया कि इस जांच में ३ पक्ष हैं। एक तो बीमा निगम जिस के वकील श्री सचिन चौधरी थे, दूसरे वित्त मंत्रालय के मुख्य सचिव जिन के वकील श्री मुंशी थे और तीसरे वित्त मंत्री जिन का कोई वकील नहीं था। आगे चलकर आयुक्त ने यह बताया कि महान्यायवादी समूची सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जब महान्यायवादी से पूछा गया कि क्या उन्हें वित्त मंत्री की ओर से कुछ कहना है तो उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ नहीं कहना है। ऐसी स्थिति में मैं इस निर्णय पर पहुंचता हूं कि मेरे विरुद्ध जो निष्कर्ष निकाले गये वे वास्तविक साक्ष्यों के आधार पर नहीं हैं केवल अनुमानों के आधार पर है। अब सभा यह निर्णय करे कि क्या सम्बद्ध अधिकारियों ने सरकार की निश्चित नीति के अनुसार कार्य किया है और यह भी कि क्या बीमा निगम द्वारा किये गये सौदों के लिये स्पष्ट अनुमति प्राप्त कर ली गई थी। मैंने जो कुछ बताया है उससे आप समझ सकते हैं कि तथ्यों के बारे में मुझे कहां तक पता था और मेरी जिम्मेवारी कहां तक है। मेरा निवेदन है कि तथ्यों की दृष्टि से मैं उत्तरदायी नहीं हूं।

मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यहां पर इस प्रकार का वक्तव्य देते हुये मुझे कोई प्रसन्नता नहीं हो रही है। जिन अधिकारियों के साथ मैंने काम किया है उनको नीचा दिखाने का आरोप मुझ पर कभी भी नहीं लगाया गया। मैं जानता हूं कि असैनिक सेवा के पदाधिकारी किस तरह गुमनाम बन कर काम करते हैं और उसका श्रेय या बदनामी बाद में मंत्रियों पर थोपी जाती है। हमारे देश की प्रशासनिक सेवा में अनेक योग्य व निष्ठावान पदाधिकारी हैं। सभा के सदस्य ध्यान रखें कि इस तरह की जांच की शुरूआत हो जाने के बाद सम्बद्ध अधिकारियों को गुमनाम रखना असम्भव हो जायेगा। इसके अलावा, यह सिद्धान्त कभी भी नहीं रहा कि चाहे जो बात हो उसकी जिम्मेदारी मंत्री को भी स्वीकार करनी चाहिये। इस सम्बन्ध में ब्रिटिश लोक सभा में २० जुलाई, १९५४ को हुई चर्चा को देखना उपयोगी सिद्ध होगा। वह चर्चा मंत्रियों को दायित्व तथा प्रशासनिक सेवा व मंत्रियों के परस्पर सम्बन्ध के बार में थी। मुझे इस बात से संतोष मिलेगा कि मुझ पर कोई ऐसा आरोप न लगाया जाये कि अपने दायित्व से——संवैधानिक या अन्य प्रकार के अपने दायित्व से——बचने के लिये अपने मुख्य सचिव की आड़ लेने का प्रयत्न कर रहा हूं। मैं यह भी बता दूं कि एक मंत्री को अपना दायित्व निभाने के फलस्वरूप त्याग-पत्र देना या उस का स्वीकार किया जाना आवश्यक नहीं है। आपको याद होगा कि श्री पटेल के वकील, श्री मुंशी पहले केन्द्र में एक मंत्री थे। उनके मन्त्रित्व-काल में उनके विभाग के कुछ अधिकारियों पर मुकदमे भी चले थे। लेकिन, उस समय श्री मुंशी ने एक मंत्री ने संवैधानिक दायित्व अपने ऊपर मानकर कोई कार्यवाही नहीं की, त्याग-पत्र नहीं दिया था। यही कारण है कि मैंने प्रधान मंत्री के नाम अपने पत्र में वह वास्तविक कारण विस्तार से बताया है कि जिस के आधार पर मैंने विवश होकर उनसे अपना त्याग-पत्र स्वीकार करने को लिया आग्रह किया था।

मैं फिर से यह दोहराना चाहता हूं कि यह धारणा निराधार है कि मैंने जानबूझ कर सभा से कोई सूचना छिपाई है। इसमें कोई सचाई नहीं है। यदि मुझे वे तथ्य मालूम होते तो मैं अवश्य ही सभा के सामने रख देता। यदि वैसा होता तो बाद में भी मैं सभा के सदस्यों को गुमराह करने की अपनी भूल को स्वीकार कर लेता, क्षमा-याचना कर लेता और मामला वहीं खतम भी हो जाता। मैंने प्रधान मंत्री के नाम अपने पत्र में पहले भी कहा था कि यदि मुझे उस समय यह तथ्य मालूम होते और यदि प्रधान सचिव उस समय——१६ दिसम्बर, १९५७ के वाद-विवाद के समय—— परामर्श के लिये यहां मिल पाते, तो मैं इनमें से कई तथ्य उसी समय सभा को बता देता, हालांकि पूरे तथ्य फिर भी नहीं

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

बता सकता था। मैं सभा को यह तो बता ही देता कि प्रधान सचिव ने सरकार की नीति को कुछ गलत समझा था और यह भी कि बम्बई में २१ और २५ जून, १९५७ के बीच यह सौदा किस ढंग से किया गया था ।

यहां एक मित्र ने मुझे एक सुझाव यह दिया है कि मेरे ऊपर सरकार की आर्थिक नीतियों का विशेष रूप में दायित्व रहा है इस लिये मैं उनके बारे में भी कुछ कहूं। मैं इस अवसर को उस के लिये ठीक नहीं समझता । लेकिन यह बात भी सही है कि इस जांच के कारण अब जनता में सरकार की आर्थिक नीतियों के बारे में काफी गरमा-गरमी और बहसें उठ खड़ी हुई हैं । यह भी कहा जा रहा है कि सरकार चोर-दरवाजे से परोक्ष रूप में राष्ट्रीयकरण करने का प्रयत्न कर रही है। सरकारी क्षेत्र और उसके सरकारी नियंत्रण का मखौल बनाया जा रहा है। यह सोच बैठना भी गलत होगा कि एसे प्रचार का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, विशेषकर ऐसे समय में जब कि सरकारी नीति यह है कि सरकारी क्षेत्र का अधिकाधिक प्रयोजनपूर्ण विस्तार किया जाये ।

मैं यह नहीं कहता कि सरकारी क्षेत्र पर कोई कलंक ही नहीं है, कि इस शिशु की देह पर कोई कीचड़ ही नहीं लगा है। लेकिन, मैं इस बात से आगाह अवश्य कर देना चाहता हुं कि सरकारी क्षेत्र को उस कलंक को, शिशु की देह के उस कीचड़ को धोकर साफ तो करना ही चाहिये, पर कहीं ऐसा न हो कि आप धोवन के उस गन्दे, कीचड़ भरे पानी के साथ ही शिशु को भी बाहर फेंक दें, सरकारी क्षेत्र का ही खात्मा कर दें ।

हमारी आर्थिक प्रणाली का एक और भी पहलू है, जो अब सामने आ रहा है। वह यह कि पिछले दो-तीन वर्षों की सरकारी नीति कुछ ऐसी रही है कि एक बहुत ही शक्तिशाली क्षेत्र सरकार से प्रसन्न नहीं है। सरकार इससे बेखबर नहीं है। यह क्षेत्र ऐसे अवसरों की ताक में रहता है कि कब वह सरकार से बदला निकाल सके, उसको नीचा दिखा सके और उसे अपनी नीति त्यागने पर विवश कर सके। इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कुछ शक्तिशाली हित करते हैं। और, इस संघर्ष में उन्होंने पहली जीति हासिल भी कर ली है। चीता जब आदमी के मांस का स्वाद ले लेता है, तो वह नर-भक्षक बन जाता है, और आदमी का शिकार बनाने की टोह में ही रहने लगता है। मैं इस चीते का पहला शिकार बना हूं और इसीलिये मैं सरकार की आर्थिक नीति की सफलता चाहने वाले सभी लोगों को चेतावनी दे रहा हूं : सावधान ! नर-भक्षक छूटा हुआ घूम रहा है।

मैं इस महती सदन में १५ वर्ष पूर्व आया था। उस समय की सरकार का अकेले विरोध करना हास्यास्पद लगता था। मैं इस सदन में १५ वर्षों तक निरन्तर कार्य करता रहा हूं। देश के इतिहास में यह पन्द्रह वर्ष बड़े महत्व के रहे हैं। इस काल में बड़ी घटनायें हुई हैं। उनमें मेरा भी एक छोटा सा, बहुत ही महत्वपूर्ण सा हाथ रहा है। इसे छोड़ने हुए खेद होना स्वाभाविक ही है। लेकिन, मेरा खेद नैराश्यपूर्ण नहीं है। मैं इस सदन को इस भावना के साथ छोड़ रहा हूं कि मैंने कुछ तो हाथ बंटाया ही है, कुछ तो किया ही है। मैं उन सब का आभारी हूं जिन के साथ कार्य करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था।

कार्य-मंत्रणा समिति

अठारहवां प्रतिवेदन

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यानारायण सिंह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य-मंत्रणा समिति के अठारहवें प्रतिवेदन से, जो १७ फरवरी, १९५८ को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य-मंत्रणा समिति की अठारहवीं प्रतिवेदन से, जो १६ फरवरी, १९५८ को सभा में उपस्थित किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब सभा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव के सम्बन्ध में चर्चा जारी रखेगी। आज साढ़े तीन बजे प्रधान मंत्री वाद-विवाद का उत्तर देंगे। उसके बाद संशोधनों और प्रस्ताव पर मतदान होगा।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

†**श्री बर्मन** (कूच बिहार-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

कई विशेषज्ञों ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना की सफलता के सम्बन्ध में शंकायें प्रकट की थीं। गत वर्ष के अभिभाषण में इस तथ्य का और विदेशी मुद्रा आदि के देशव्यापी संकट का उल्लेख भी किया गया था। इस अभिभाषण में यह आशा संजोई गई है कि द्वितीय योजना में कोई बड़ी कतर-ब्यौंत नहीं करनी पड़ेगी।

देश का भविष्य योजना की सफलता पर ही निर्भर है। सरकार प्रथम पंचवर्षीय योजना को लक्ष्य से भी अधिक पूरी कर चुकी है। अब इन दो वर्षों में द्वितीय योजना की पूर्त्ति की दिशा में भी बड़ी-बड़ी सम्भावनायें पैदा हो गई हैं।

खाद्यान्नों और उपभोग-वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि के कारण कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनमें असंतोष है। लेकिन, अभिभाषण में आह्वान किया गया है कि जनता को भविष्य के लिये त्याग करने के लिये तैयार रहना चाहिये।

हम स्वतन्त्रता के इन दस वर्षों में भी कम वेतन भोगी इन सरकारी कर्मचारियों की दशा सुधारने के लिये कुछ भी नहीं कर पाये हैं। खाद्य उत्पादन करने वाले कृषकों की दशा में भी कोई सुधार नहीं हो सका है। उनको दिन में एक बार भी भरपेट भोजन नहीं मिलता।

हमें अपनी कठिनाइयों की गुहार मचाते समय यह भी याद रखना चाहिये कि कम वेतन भोगी कर्मचारियों की दशा से भी अधिक बुरी दशा करोड़ों किसानों की है। वे अभी चुप हैं, लेकिन दूसरों को अपनी मांगें बुलन्द करते देखकर वे अधिक दिन तक चुप नहीं बनें रहेंगे।

इसलिये, मैं अभिभाषण में किये गये त्याग के आवाहन का स्वागत करता हूं। सरकार को कम वेतन भोगी कर्मचारियों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये, क्योंकि मुद्रास्फीति का सबसे अधिक प्रभाव उन पर ही पड़ा है।

सरकार की सब से बड़ी सफलता यही है कि उसने विदेशी मुद्रा के संकट पर पार पा लिया है। संसार के अन्य कई देश हमारी द्वितीय पंच वर्षीय योजना की पूर्त्ति में सहायता देने को तैयार हो गये हैं। हम उनके कृतज्ञ हैं। इस सफलता का मूल कारण है—हमारी वैदेशिक नीति। सभी देशों से मैत्री रखने की हमारी नीति ही हमारी इस सफलता की जड़ में है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री बर्मन]

हमारा देश शांति का पक्षधर है। हमने पंचशील का नारा बुलन्द किया है। और, अब दोनों गुटों के देश हमारी नीति और हमारी निष्ठा का लोहा मानने लगे हैं। मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति की सरकार की यही दो सबसे बड़ी सफलतायें हैं।

†**श्री ब्रजेश्वर प्रसाद** (गया): अभिभाषण में बड़े-बड़े राष्ट्रों के 'शिखर' सम्मेलन का अनुमोदन किया है। मेरा ख्याल है कि इस सम्मेलन में केवल रूस और अमरीका शामिल होंगे। मेरा विचार है कि 'शिखर' सम्मेलन से पहले अमरीका को कुछ समस्याओं का हल करना चाहिये। फारमोसा, ओकिनावा और पश्चिमी इरियन की समस्याओं का तो अकेला अमरीका ही हल कर सकता है।

पश्चिमी एशिया की समस्याओं का हल तो स्वयं अमरीका ही कर सकता है। जब तक ये समस्यायें सुलझाई नहीं जायेंगी तब तक वहां शांति नहीं रह सकती। इसलिये, 'शिखर' सम्मेलन करने से पहले अमरीका को इनका हल कर लेना चाहिये।

रूस और अमरीका के बीच यदि कोई राजनीतिक समझौता हो जायेगा, तो शायद दक्षिण पूर्व एशिया की समस्यायें और भी पेचीदा बन सकती हैं। अमरीका ने अमरीका और पश्चिमी यूरोप का एकीकरण करके एक राजनीतिक इकाई बना लिया है।रूस ने पूर्वी यूरोप को एकीकृत कर लिया है। इस प्रकार संसार की श्वेत जातियां एक राजनीतिक इकाई में एकीकृत हो सकती हैं। यदि रूस और अमरीका मिल जायें। इसीलिये, हमें तब तक 'शिखर' सम्मेलन का विरोध करना चाहिये, जब तक कि उसमें भारत और चीन के प्रतिनिधियों को नहीं बुलाया जाता।

रूस और अमरीका के मिलने से संसार में श्वेत जातियों का अधिनाकत्व स्थापित हो जायेगा और अफ्रीका तथा एशिया की अश्वेत जातियों की स्थिति को खतरा पैदा हो जायेगा। फिर कभी भी अफ्रीका और एशिया एक राजनीतिक इकाई में एकीकृत नहीं हो सकेंगे।

रूस और अमरीका की एक राजनतिक इकाई बनने पर, अफ्रीका और एशिया का औद्योगीकरण रुक हो जायेगा।

उस स्थिति में अश्वेत जातियां मेहनतकश बन कर ही रह जायेंगी। अफ्रीका और एशिया की अश्वेत जातियों के लिये रूस से मिलना अत्यन्त आवश्यक है।

रूस के अफ्रीका और एशिया से मिलने पर, कम्युनिज्म का रूप भी बदल जायेगा।

रूस को अमरीका से नहीं मिलने देना चाहिये। रूस की यह द्विविधा सदा से रही है कि वह पश्चिमी श्वेत जातियों के देशों से मिले या पूर्वी अश्वेत जातियों के देशों से। इसलिये हमें रूस के साथ फेडरल संघ बनाना चाहिये।

रूसियों और भारतीयों के बीच काफी समानतायें हैं। कम्युनिज्म बुद्ध धर्म का ही एक राजनीतिक स्वरूप है।

इसलिये रूस, चीन और भारत का एक फेडरल संघ बनाने का प्रयास करना चाहिये।

†**श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** (इटावा): उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण को अगर सरकार के ग्रामोफोन का रिकार्ड या तका कहा जाये तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। जिस भाषण में जनता की भावनाओं और आकरांक्षाओं का प्रदर्शन न हो, जिस भाषण में मानव-जीवन की समस्याओं की धारा न बहे, जिस भाषण में जनता की समस्याओं का हल, जिन्दगी की जरूरियात की प्राप्ति न हो, इस प्रकार के भाषण को दरिद्र देश के प्रतिनिधि कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते और न इस प्रकार का भाषण कभी भी बधाई का पात्र हो सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

श्रीमान्, मानव-जीवन की चार प्रमुख समस्यायें हैं। उन चार समस्याओं में से एक को भी हल करने की या उस दिशा में कदम उठाने की कोशिश नहीं की गयी है। वे हमारी समस्यायें हैं, खाद्य, वस्त्र, आवास और शिक्षा । रोटी, कपड़ा, मकान और सब से अन्त में शिक्षा आती है। इन चारों समस्याओं में से एक को भी अगर हल करने की कोशिश की गयी होती, तब भी बधाई के लिये सोचा जा सकता था।

सर्व प्रथम हम खाद्य को लें। आज सारे मुल्क में सर्वत्र खाद्य संकट उत्पन्न हो रहा है। आज सारा देश भूख की ज्वाला में घू-घू करके जल रहा है और हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले तो आज अकाल के गाल में बैठे हुये हैं। उत्तर प्रदेश से अगर हम पूर्व की ओर बढ़ें तो बिहार, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में भी यही हालत है। आज उन इलाकों में ऐसे बहुत से लोग हैं जो पत्ती खा कर के और आम की गुठली खा-खा करके अपनी जिन्दगी व्यतीत कर रहे हैं। जब मुल्क में ऐसी हालत है, भुखमरी की इतनी भयानक समस्या है, इस भयानक समस्या को सुलझाने की तरफ राष्ट्रपति के भाषण में कोई भी जिक्र नहीं है और न सरकार का उस समस्या को हल करने का ऐसा कोई सुझाव है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस तरफ कदम उठाये और एक सीमा निर्धारित की जाये, यह तै किया जाये कि कितने दिनों के अन्दर इस खाद्य संकट को हल किया जायेगा । हमें अफसोस इस बात का है कि हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय खुद बनारस में गये, पूर्वी जिलों की स्थिति से उनका परिचय कराया गया, लेकिन उन लोगों के प्रति, उन परिवारों या परिवारों के सदस्यों के प्रति जिन की अन्न के अभाव में मृत्युयें हुई, उन मरने वाले लोगों के प्रति एक भी हमदर्दी का शब्द उस भाषण में नहीं कहा गया है।

हां, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिये एक बात की तरफ ध्यान दिलाया गया है। योजना आखिर है किसके लिये १ योजना की सफलता की क्या कसौटी होनी चाहिये इस पर गौर करना है। अगर जनता की समृद्धि बढ़ती है तो योजना सफल कही जा सकती है लेकिन आज तो शासक पार्टी की सफलता ही जनता की समृद्धि और पंचवर्षीय योजना की सफलता समझी जा रही है। जिस देश में जनता भूख से तड़प-तड़प कर मर रही हो जिस देश में करोड़ों लोग फुटपाथ पर जीवन बिताते हों, क्या वहां यह कहा जा सकता है कि पंच वर्षीय योजना सफल हो रही है ? आज इस सरकार की दृष्टि में मानव मूल्यों का कोई स्थान नहीं है। श्रीमान् मैं आपके द्वारा भारतीय गणतन्त्र के प्रधान-मंत्री और उनकी सरकार से यह देरियाफ्त करना चाहता हूं कि अन्न उत्पादन के लिये उन्होंने क्या कदम उठाये हैं ? और क्या नये कदम उठाने जा रहे हैं। मेरा और सोशलिस्ट पार्टी का यह ख्याल है कि जब तक हम इस मुल्क के अन्दर जो खेती है उसकी सिंचाई की ठीक से व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक गल्ले की पैदावार बढ़ ही नहीं सकती । २९ करोड़ एकड़ जमीन में से सिर्फ देश में ६ करोड़ एकड़ जमीन की सिंचाई का इन्तजाम है, २३ करोड़ जमीन की अभी तक सिंचाई की व्यवस्था नहीं की गयी है। अलबत्ता बड़े-बड़े डैम और बांध और बनाये जा रहे हैं लेकिन उन बांधों के बन जाने के बावजूद भी हमारी जो प्रमुख समस्या है अन्न उत्पादन की, पूरी नहीं हो सकती ! अगर सरकार ने छोटे-छोटे बांध, तालाब और कुंवे खोद कर अन्न उत्पादन बढ़ाने की तरफ सोचा होता तो अलबत्ता गल्ले की पैदावार बढ़ी होती और अगर अब तक यह काम नहीं किया गया है तो मैं सरकार से यह कहूंगा, सरकार को यह सुझाव दूंगा कि उन इलाकों में जहां बिजली का इन्तजाम नहीं है, जहां बांध नहीं हैं, वहां पर गांव के लोगों को थोड़ी बहुत इमदाद दे कर कुंवें खुदवाएं तो ज्यादा बेहतर हो। वैसे तो कम्युनिटी प्रोजेक्ट (सामुदायिक परियोजना) पर देश का करोड़ों रुपया बहाया जा रहा है लेकिन उसका अधिक भाग तनख्वाहों पर, मोटर जीपों पर खर्च हो रहा है । अगर तरकारी भी खरीदी जाती है तो दो तीन रुपये का पेट्रोल जला दिया जाता है। जो धन इस तरह कम्युनिटी प्रोजेक्ट पर खर्च किया जा रहा है अगर उसको गांव के लोगों को सीधी इमदाद के तौर पर दिया जाता तो समझता मैं हूं कि

[श्री अर्जुन सिंह भदौरिया]

अब तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना में काफी सफलता मिली होती । मेरा तो सुझाव है कि अन्न उत्पादन के लिये कुंवें खोदे जायें । हमारे मुल्क में ८१ करोड़ एकड़ जमीन है । उसमें कुछ ऐसी भी जमीन है जिसको तोड़ा जा सकता है । अगले दो-चार वर्षों में अगर आप भूमि-सेना का निर्माण करके दस-बारह करोड़ एकड़ जमीन भी तोड़ सकें, तो जो हम एक अरब-सवा अरब रुपये विदेशों से अन्न मंगाने पर खर्च करते हैं उससे हमको मुक्ति मिलेगी । हमको अन्न के लिये दूसरे मुल्कों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा । हम अपने आप में स्वावलम्बी होंगे । लेकिन इसके पहले कुछ रुपया विदेशों में खर्च करने के बजाय भूमि सेना पर खर्च किया जाये । जिस तरह से बाहरी हमले की हिफाजत के लिये फौज रहती है, जिस तरह देश के अन्दर सुरक्षा के लिये पुलिस रहती है इसी तरह से गवर्नमेंट लेविल (सरकारी स्तर) पर अन्न उत्पादन के लिये हम लेंड-आर्मी (भूमि सेना) का निर्माण करें, उनको अच्छी तनख्वाह दें, उनको खाने-पीने के लिये लिये दें और उनके हाथ में फावड़ा और कुदाल दें, तो यह बहुत मुमकिन है कि अगले दो-चार वर्षों के अन्दर हम अपनी समस्या को बहुत कुछ हल करने में समर्थ हो सकते हैं ।

भ्रष्टाचार, यह शब्द कुछ आजकल शासनतंत्र का परिचालक कहा जा सकता है । सही स्थिति यह है कि भारत का कोई प्रान्त, शासन व्यवस्था का कोई भाग, केन्द्रीय तथा प्रान्तीय कोई विभाग भ्रष्टाचार से रहित तो किसी भी दशा में नहीं है । अपवाद की बात दूसरी है । भ्रष्टाचार शब्द स्वयं में एक व्यापक अर्थ रखता है और इसका जितना व्यापक अर्थ है उतना ही व्यापक इसका उपयोग भी हो रहा है । इसकी व्यापकता का यदि अभाव है तो केवल राष्ट्रपति के अभिभाषण में ।

भ्रष्टाचार कुछ तो नोटिस में आता है । आज हमारे माननीय मंत्री श्री टी० टी० के० ने अपना-चलता हुआ एक आखिरी भाषण दिया । कल भी एक पंजाब के माननीय सदस्य ने यह बताया था कि ऐसे मुल्क के अन्दर बहुत से गोलमाल हैं जिनकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं जाता है । उन्होंने डालमिया साहब के कुछ हिस्सों के सम्बन्ध में सदन का ध्यान आकर्षित किया था । मैं आपके मारफत सरकार को यह बताना चाहता हूं कि जीप स्कैंडल (गोलमाल) की बाबत आज देश में हर पढ़े-लिखे आदमी के दिमाग में बात है ।

* * *

मैंने एक साल १८-११-१९५७ को किया । मैं सरकार से यह जानकारी हासिल करना चाहता था, या सरकार को इस बात से अवगत कराना चाहता था कि जो वाइकाऊंट अयरक्राफ्ट (विमान) इंग्लैंड से दस खरीदे जा रहे हैं, जिनका मूल्य लगभग चार-पांच करोड़ है, एक अयर क्रेश (विमान दुर्घटना) हुआ । लेकिन उसका कोई जवाब नहीं । मैं सदन और सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता था कि अगर १४ मार्च को मैनेचैस्टर में उतरते समय वाईकाउन्ट को जो एक्सीडेंट (दुर्घटना) हुआ, उसकी वजह कोई खराबी थी और सरकार की तरफ से जो दस हवाई जहाज फौजी काम के लिये जा रहे हैं, वे उसी क़िस्म के हैं, तो सरकार को उन्हें खरीदने के से पहले— आर्डर देने से पहले—जांच-पड़ताल करनी चाहिये । इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया गया ।

इस तरह से, ६ दिसम्बर, १९५७ को मैंने यह सवाल पूछा था कि सरकार को इलाहाबाद की दिनांक ५-१२-१९५७ की विमान दुर्घटना की जानकारी है या नहीं । इसका भी कोई उत्तर नहीं दिया गया । क्या सरकार के लिय यह खेदजनक नहीं है ? इस तरह के प्रश्न सरकार को गलत रास्ते से हटाने के लिये या यूं कहिए कि उस के दिमाग में जो बात नहीं आ सकती है, वह डालने की कोशिश करने के लिये किये जाते हैं, लेकिन उन का कोई उत्तर नहीं

* * * अध्यक्ष के आदेश द्वारा निकाले गये ।

दिया जाता है। मैं समझता हूं कि यह कोई व्यक्तिगत या किसी सदस्य का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह तो सारे सदन का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय खत्म हो चुका है, अब वह अपना भाषण खत्म कर दें। दस मिनट से ज्यादा मिलना कठिन है।

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : मैं सिर्फ एक मिनट और ले कर केवल कामनवेल्थ (राष्ट्र-मंडल) के सिलसिले में कुछ अर्ज करना चास्ता है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह लम्बा सवाल है, उसको बजट डिबेट (आय-व्ययक सम्बन्धी चर्चा) के लिये रहने दीजिए।

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : तो मैं काश्मीर के प्रश्न पर कह कर समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य खत्म कर दें।

श्री शोभा राम (अलवर) : मैं केवल भूमि-सुधारों के प्रश्न को ही लूंगा। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों दोनों ने ही खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया है। लेकिन, यह तब तक सम्भव नहीं है, जब तक कि कृषकों को अपनी कृषि के बारे में अधिक सुरक्षा महसूस न हो।

हमारे देश में भूमि की समस्या के चार पहलू हैं : बिचौलियों को हटाना, भूधारणाधिकार की सुरक्षा, लगान का विनियमन और जोतों की सीमा निर्धारित करना। सरकार ने बिचौलियों के उन्मूलन के लिये तो कदम उठाये हैं। लेकिन जहां तक भूधारणाधिकार की सुरक्षा की बात है, दिल्ली और उत्तर प्रदेश को छोड़कर अन्य किसी भी राज्य में कृषकों को पूरी सुरक्षा नहीं दी गई है। राजस्थान, पंजाब, बम्बई और हैदराबाद में कृषकों को केवल आंशिक सुरक्षा प्रदान की गई है। लेकिन आसाम, उड़ीसा, कच्छ इत्यादि राज्यों में तो कृषकों को कोई भी सुरक्षा नहीं है। इन राज्यों में कृषकों को एक घन्टे के नोटिस पर ही बेदखल किया जा सकता है।

आम चुनावों के समय कांग्रेस दल ने जनता को वचन दिया था कि जमीन जोतने वालों को ही मिलेगी। लेकिन, आश्चर्य की बात है कि स्वतंत्रता के गत दस वर्षों के बाद भी आधे राज्यों में कृषकों को भूधारणाधिकार की सुरक्षा नहीं है। इसके बिना, खाद्य-उत्पादन में वृद्धि नहीं की जा सकती।

दूसरी बात यह कि राज्य सरकारों ने अभी तक लगान को विनियमित करने की समस्या पर ध्यान ही नहीं दिया है। बम्बई और राजस्थान में कृषकों को सकल उत्पाद का १/६ भाग, अर्थात् भू-राजस्व का ६ या ७ गुना देना पड़ता है। यह गम्भीर अन्याय है।

कुछ राज्यों में सकल उत्पाद का एक-तिहाई देना पड़ता है। बिहार में उसे ७/२० और मद्रास तथा मालाबार में ६० प्रतिशत देना पड़ता है। जनता इस अन्याय को भूल नहीं सकती। ऐसा शोषण रहते हुए, हम किस प्रकार कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकेंगे ?

मैं पिछले छै:-सात वर्षों से सुन रहा हूं कि जोतों की सीमा निर्धारित की जाने वाली है। ये सीमायें दो प्रकार की हैं—भविष्य में किस सीमा तक भूमि अर्जित की जा सकेगी और अभी इस समय कितनी जोत रखी जा सकती है। अधिकांश राज्यों ने भविष्य की जोतों की सीमा निर्धारित की है। लेकिन, वर्तमान जोतों की सीमा निर्धारित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।

सीमा की कैद से उन कई फार्मों को मुक्त रखा गया है, जिनका प्रबन्ध सुचारू रूप से किया जा रहा है और जिन पर बहुत भारी राशि विनियोजित की गई है। इन की परिभाषा यह दी गई है : "जिनको तोड़ने से उत्पादन में कमी होने की सम्भावना हो।"

[श्री शोभा राम]

यह गलत है। हमारे देश में ४० प्रतिशत खेतिहर मज़दूर बेरोजगार रहते हैं या पूरे समय तक काम नहीं पाते। यदि उन्हें भूमि दी जाये, तो वे अधिक मेहनत और खादों के बल पर उत्पादन बढ़ाने में योग दे सकते हैं। तब ऐसे फार्मों को तोड़ने से उत्पादन में कमी नहीं होगी। इस विमुक्ति को हटा देना चाहिये। यह एक भ्रामक व्यवस्था है। मुझे पुर्ण विश्वास है कि छोटी-छोटी जोतों से कुल उत्पादन में वृद्धि ही होगी। सरकार को भूमि-सुधारों को प्राथमिकता देनी चाहिये।

मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

ज्ञानी गु० सिं० मुसाफिर (अमृतसर) : डिप्टी स्पीकर साहब, राष्ट्रपति जी ने दोनों हाउसों के सामने जो भाषण दिया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं उन मेम्बरान से इत्तिफ़ाक (सहमत) नहीं करता, जो कि बड़ी बेबाकी (बेहिचक) से यह कह देते हैं कि इस भाषण में कुछ नहीं है। राष्ट्रपति ने तो अपने भाषण में कुछ इशारे देने हैं और कुछ महदूद से अलफ़ाज़ (थोड़े से शब्द) कहने हैं। ज्यादा तफ़सील या डीटेल (ब्यौरे) में वे नहीं जा सकते। मगर हमारे देश की जो बुनियादी बातें हैं, जिन की वजह से देश में खुशहाली हो सकती है, उन की तरफ़ उन्होंने खास तवज्जह दिलाई है। मसलन उन्होंने इस ख्याल का इज़हार किया है कि देश में ज्यादा अनाज पैदा करने के लिए ऐसे ज़राय (तरीके) अख्तियार किए जायेंगे, जिनसे अनाज की पैदाइश बढ़े। इसके बाद उन्होंने इंडस्ट्री (उद्योग) के ज़रूरी सवाल के मुताल्लिक भी कहा है। किसी देश की इक्तसादी (अर्थ-व्यवस्था) हालत को ठीक करने के लिये ये दो ही चीज़ें हैं और इन की तरफ़ राष्ट्रति जी ने ध्यान दिया है। इसके मुताल्लिक मैं कुछ ज्यादा बात नहीं कहना चाहता हूं। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आपकी वसातत (द्वारा) से मैं सिर्फ़ इतनी ही बात कहना चाहता हूं कि ज्यादा अनाज पैदा करना और अपने देश की इंडस्ट्री को तरक्की देना ज्यादातर इस बात पर निर्भर है कि जो कार्यकर्ता हैं—जो काम करने वाले हैं—उनकी हौसला-अफ़ज़ाई (उत्साहित) की जाए। जो मज़दूर और किसन इस सिलसिले में काम करते हैं, उनकी तरफ़ ज्यादा तवज्जह (ध्यान) दी जाए। मैंने दूसरे मुल्कों में देखा है कि वहां इस बात का बड़ा ही ध्यान रखा जाता है।

इस दफ़ा गोहाटी कांग्रेस के सैशन (सत्र) से वापस आते हुए जब मैंने सिन्दरी का कारखाना देखा, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। उस में जो और काम हो रहा है, सो तो हो ही रहा है, मगर वहां का हास्पिटल देख कर मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतनी खूबसूरती के साथ उसका काम चलाया जाता है। मौजूदा ज़माने में मुख्तलिफ़ बीमारियों के सिलसिले में जो-जो इंस्ट्रूमेंट्स (आले) इस्तेमाल किये जाते हैं, वे उस हास्पिटल में मौजूद हैं। उस कारखाने में काम करने वाले आठ-दस हज़ार लोगों के इलाज के लिये वहां निहायत ही अच्छा इन्तज़ाम है। सफ़ाई के लिहाज़ से और हर एक लिहाज़ से उसका मैयार (मानदण्ड) बहुत ऊंचा है। मुझे यह देख कर खुशी हुई कि हमारा यह हास्पिटल वाकई दूसरे मुल्कों का मुकाबला कर सकता है। गवर्नमेंट की तरफ़ से और भी जो बड़े-बड़े काम चलाये जाते हैं, अगर वहां भी इस तरह की सुविधायें दी जायें, तो वहां काम करने वालों की बड़ी होसला-अफ़ज़ाई होगी और हमारी प्राडक्शन (उत्पादन) बढ़ेगी।

इसके बाद, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आपकी वसातत से मैं एक बुनियादी मसले की तरफ़ इस हाउस की तवजह दिलाना चाहता हूं और वह है लैंगवेज (भाषा) का मसला। राष्ट्रपति जी ने दो-चार शब्द इसके सम्बन्ध में कह हैं और उन्होंने यह उम्मीद ज़ाहिर की है कि आफ़िशियल लेंग्वेज कमीशन (राजभाषा आयोग) की रिपोर्ट पर विचार करने के लिये जो पार्लियामेंट की एक कमेटी बनी हुई है, वह ज़रूर किसी अच्छे नतीजे पर पहुंचेगी। मैं भी उस कमेटी का एक मेम्बर हूं। मेरा भी यह ख्याल है कि वह कमेटी किसी अच्छे नतीजे पर पहुंचेगी। मगर इस सिलसिले में एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूं। शुरू से ही—जब आज़ादी मिलने के बाद हमारे देश की कांस्टीच्युएन्ट असेम्बली

(संविधान-सभा) बनाई गई, तो इस बात को महसूस किया गया कि हमारे देश में जो कुछ भी खराबियां हुईं, वे कम्यनल (साम्प्रदायिक) लड़ाई-झगड़ों की वजह से ही हुईं। आज़ादी की लड़ाई में भी अगर हमें ज्यादा मुसीबत उठानी पड़ा, तो उस की भी वजह यह थी कि हमारे देशवासियों में पूरी हिन्दुस्तानियत नहीं थी, बल्कि कम्यूनिज्म का ख्याल भी कभी न कभी उन पर गालिब आ जाता था। इस सिलसिले में मुझे एक शायर का एक बड़ा खूबसूरत शेर याद आता है —

अगर कश्ती हो तूफ़ां में तो काम आती हैं तदबीरें,
मगर कश्ती में तूफ़ा हो तो 'मिट जाती हैं तकदीरें।

यानी अगर हमारे आपस में ही झगड़े हों, तो इस में ज़रूर तकलीफ़ होती है, इसमें मुसीबत होती है और हमारी जो दुख की दास्तान है, वह हमेशा लम्बी हो जाती है। बुनियादी तौर पर यह सोचा गया है कि हमारी सैकुलर (धर्मनिरपेक्ष) स्टेट में जब तक मुश्तर्का इन्तखाबात रायज (सम्मिलित निर्वाचन जारी) नहीं किये जाते और इस उसूल का खात्मा नहीं कर दिया जाता कि हिन्दू-हिन्दू को वोट दे, सिख-सिख को वोट दे और मुसलमान-मुसलमान को वोट दे, उस वक्त तक हमारे देश की यकजहती (एकता) नहीं बन सकती और हमारा देश एक नहीं हो सकता। इस लिए पहले कम्यूनिज्म के इस ज़हर को विधान से काटा गया। लेकिन इस के बाद भी जो लोग कम्यूनल नुक्ता-ए-ख्याल (दृष्टिकोण) से और कम्यूनल दृष्टिकोण से सोचने वाले थे, उन्होंने कोई न कोई रास्ता लड़ाई और झगड़े का फिर पैदा कर लिया। सूबों की नई हदबन्दी को एक ऐसी कम्यूनल शक्ल दे दी गई, जिससे उन लोगों के हाथ में इलैक्शन लड़ने के लिये और किसी न किसी तरह से अपनी लीडरशिप (नेतृत्व) कायम करने के लिये कोई मसाला आ जाये।

हाउस के एक माननीय मेम्बर ने पंजाब का रेफ़रेंस (उल्लेख) देते हुये कहा है कि वहां प्रेज़िडेंट्स रूल (राष्ट्रपति द्वारा शासन) कर देना चाहिये। उन्होंने वहां कुछ बहनों की बेइज्ज़ती का भी चर्चा किया। डिप्टी स्पीकर साहब, आप की वसातत से मैं साफ तौर पर यह बात कह देता हूं कि मुझे किसी बात में पकड़ नहीं है। मगर एक बात साफ़ है कि पंजाब की जो गवर्नमेंट इस वक्त है, वह उसी बात को इम्पलेमेंट (कार्यान्वित) करने की कोशिश कर रही है, जो कि इस हाउस के मेम्बरान ने यहां बैठ कर पास की है। आज रिजनल फार्मूले (प्रादेशिक सूत्र) को चलाने के लिए या लैंगुएज के मुताल्लिक जो फैसल पार्लियामेंट में हुए हैं या यहां जो फैसले हाई लेवेल पर गवर्नमेंट आफ इंडिया ने किये हैं, उनको अमली जामा पहनाने की जब कोशिश की जाती है तो फिर हमारे सामने वही कम्युनल झगड़ा, कम्यूनल फिज़ा (वातावरण), बनाने की कोशिश की जाती है। मुझे अफसोस है कुछ वाकयात पर जो कि पंजाब में घटित हुये हैं। फिरोज़पुर में जो वाक्या (घटना) हुआ है, उसका मुझे बहुत अफसोस है। ठीक इसी तरह से और भी. शायद कोई वाक्यात हुए हों। लेकिन हमें देखना चाहिए कि ये वाकयात क्यों हुए हैं। इनके रोनमा (प्रकट) होने के क्या कारण हैं? उनकी जरूरत क्यों पड़ गई? यदि हम इसकी जांच करेंगे तो इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि यह जो लैंगुएज का सीधा-सादा मसला है, इसको पेचीदा बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं एक जुबांदान (भाषयी) हूं। मुझे लिटरेचर (साहित्य) में बहुत दिलचस्पी है। जब से यह सवाल कंस्टिजुएंट असेम्बली में आया था और इस पार्लियामेंट में आया है कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या हो तो हम पूरे तौर पर अपनी यही राय देते रहे हैं और इसमें मददगार भी साबित हुए हैं कि हमारे देश की राष्ट्र-भाषा हिन्दी हो। मैं उन लोगों से इत्तिफाक नहीं करता जो आज भी इस तरह से सोचते हैं कि हिन्दी के सिवाय हमारी और कोई राष्ट्र भाषा हो सकती है फिर चाहे यह अंग्रेजी हो या कोई और भाषा हो। यह एक गुलामी की निशानी है और इसको मैं गुलामाना ज़हनियत (मनोवृत्ति) मानता हूं। हमको यह सोचना चाहिए कि जो छोटे-छोटे मुल्क हैं और जिन की आबादी ३५–३५ लाख ही है वे भी कभी यह नहीं चाहते कि उनके मुल्क की ज़बान (भाषा) के सिवाय कोई दूसरी भाषा राष्ट्र भाषा सरकारी तौर पर मानी जाए।

[ज्ञानी गु० सिं० मुसाफिर]

इसके बावजूद भी अगर पंजाब में कुछ लोग यह कहें कि हिन्दी हिन्दुओं की ज़बान है, तो मैं पूछता हूं कि क्या वे हिन्दी की खिदमत कर रहे हैं या हिन्दी का विरोध कर रह हैं ? उनके इस तरह से गलत-बयानी करने से साउथ (दक्षिण) में जो रिएकशन (प्रतिक्रिया) हुआ है और जिस ढंग से हुआ है वह आपके सामने है। मैं इस हाउस को एक बात बता देना चाहता हूं कि साउथ में भी बेशक अच्छे-अच्छे काबिल लोग हैं लेकिन उस कनवैनशन ने जिसमें यह फैसला किया गया था कि हमारे देश की सरकारी ज़बान अंग्रेज़ी होनी चाहिये, एक बुनियादी बात की तरफ ध्यान दिलाया है कि चाहे ज़बान का सवाल हो या कोई और सवाल हो, ये सब पीछे हैं और देश की यकजहती, देश की एकता, देश की यूनिटी का जो सवाल है, यह सबसे पहला है और यूनिटी कायम रहनी चाहिये। यूनिटी के सवाल पर कोई दो राय नहीं हैं। मैं भी समझता हूं कि देश की यूनिटी का जो सवाल है वह अफज़ल सवाल है, सब से पहला सवाल है।

आज लैंगुएज की बिना (आधार) पर जो कम्युनल झगड़े पंजाब में लोग खड़े करते हैं और ज़बान को धर्म के साथ मिलाते हैं और कहते हैं कि यह हामारी धार्मिक ज़बान है, तो उन लोगों का क्या बनेगा जो हिन्दू नहीं हैं, मगर हिन्दी हैं, हिन्दुस्तानी हैं। उन लोगों को ये लोग बाहर निकाल देते हैं और खुद यह मान लेते हैं कि उनकी ज़बान हिन्दी नहीं हैं। ऐसी सूरत में वे लोग जो हिन्दू नहीं हैं, वे कहां चले जायें। यह भी सोचने की बात है कि मद्रास में, साउथ में, जो लोग हिन्दी की मुख़ालिफत करते हैं, वे कौन हैं, क्या वे हिन्दू नहीं हैं ? अगर यह कहा जाए कि वे हिन्दू नहीं हैं, तो यह सरासर गलत होगा।

मैं मानता हूं कि पंजाब में कुछ बातें होती रही हैं। लेकिन उनमें से कुछ तो वायलेंट (हिंसात्मक) तरीके से हुई हैं। जहां पर नान-वायलेंट तरीके से काम हुआ है, वहां कोई झगड़ा नहीं हुआ। नान-वायलेंट तरीके पर जलूस निकले, लेकिन झगड़ा नहीं हुआ। हमारे अकाली भाइयों ने भी जहां नान-वायलेंट तरीके से कुछ काम किये हैं, वहां कभी झगड़ा नहीं हुआ। जहां-जहां वायलेंट तरीके से काम हुआ है वहां झगड़ा पैदा हुआ है। इन लोगों ने झगड़ा खुद पैदा किया और बदनाम सरकार को तथा पुलिस को किया। मैं नहीं कहता कि पुलिस की हर एक बात सही होती है, ठीक होती है। मगर आज कोई यहां यह बात कहे कि औरतों की वहां बेइज्जती हुई है, तो उसको सोच-समझ कर ही ऐसी बात कहनी चाहिए। मैं हर एक औरत को अपनी बच्ची या अपनी बहन समझता हूं चाहे वह किसी भी मज़हब से सम्बन्ध रखती हो, किसी भी ज़बान को वह बोलती हो, किसी भी देश की हो। मगर जहां हमारी बच्चियों को, जहां हमारी बहनों को इस किस्म की ट्रेनिंग दी जाये कि वे एबयूज़ (गाली बकें) करें, गन्दे नारे लगायें, तो यह हमारे और आपके लिये सोचने की बात हो जाती है। मैं सच कहता हूं कि नारे नहीं गालियां दी गई हैं। गाली को दोहराना भी एक गाली है, इसलिये मैं गाली को यहां दोहराना नहीं चाहता। मगर पंजाब गवर्नमेंट को, या पंजाब के चीफ मिनिस्टर को (मुख्य मंत्री) को, या पंडित जवाहरलाल नेहरू को जब गालियां नारों में दी जाती हैं, और अमन (शान्ति) को कायम रखने के लिये कोई यत्न किया जाता है, तो उसे यह कहा जाए कि यह तो बड़ा जुल्म हो गया, पंजाब में उपद्रव हो गया, तो उस सूरत में यह बात सोचने और विचार करने की हो जाती है। औरतों को जलूस में आगे करना, नारों में गालियों का प्रयोग करवाना, मैं समझता हूं कि एक बुज़दिली है। ऐसे काम नहीं होने चाहियें। इस सब के नताइज (फल) भी अगर बुरे निकलते हों, तो यह और भी सोचने की बात हो जाती है।

मेरे भाई कम्युनल नुक्तेखयाल से सोचते हैं। उनको हमेशा देश के दृष्टिकोण को सामने रखना चाहिये, देश की एकता को सामने रखना चाहिये और किसी एक ज़ात से, किसी एक व्यक्ति से कोई

अगर उनको बैर है तो उस बैर का असर हमारे देश पर नहीं होना चाहिए। एक शेर सुना कर मैं अपनी बात खत्म करता हुं :—

क्यों बर्क मुजतरिब को है सारे चमन से लाग।
हर एक शाख पर तो मेरा आशयां नहीं ॥

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : अभी कुछ दिन पहल बम्बई में मैं एक देशभक्त के अंत्यष्टि-संस्कार में गया था। उसने गोआ में प्रवेश करने का दु:साहस किया था, और वह लड़ते-लड़ते घायल हो गया था। वह संघर्ष में ही काम आया था।

इस व्यक्ति की इस प्रकार मृत्यु होना, गोआ की समूची परिस्थिति का परिचायक है। यह कोई अलग-अलग घटना नहीं है। इसी प्रकार कई देशभक्त मृत्यु के शिकार बने हैं। अभी भी ३५० से अधिक देशभक्त गोआ की जेलों में सड़ रहे हैं। लेकिन, हमारी सरकार बड़े-बड़े सिद्धान्त बघारने के अलावा कुछ नहीं करती।

कल ही प्रतिरक्षा मंत्री ने कहा था कि आखिरकार गोआ को भारत में मिलना ही पड़ेगा। हमेशा से यही कहा जा रहा है। हमारी यह नीति तो शायद सही है कि सैनिक आधार पर गोआ की समस्या का हल नहीं किया जायेगा।

यदि हम गोआ को स्वतंत्र नहीं कर सकते, तो फिर बार-बार इन सिद्धान्तों और गोआ को मिलाने की बातें दोहराने से क्या फ़ायदा है। मैंने बार-बार कहा है कि हमें कम से कम गोआ की सीमा के इस पार रहने वाले भारतीयों की व्यथा और पीड़ा को दूर करने का प्रयास करना ही चाहिये।

गत मास मुझे गोआ की सीमा पर एक ग्राम में जाना पड़ा, वहां अस्पताल के सरकारी डाक्टर ने बताया कि एक आदमी भारतीय सीमा के साथ-साथ २०० रुपये लेकर एक बैलगाड़ी खरीदने एक ग्राम से दूसरे ग्राम में जा रहा था, तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया और खूब पीटा। एक अन्य व्यक्ति से भी इसी प्रकार का व्यवहार किया गया। इस आदमी पर आरोप यही है कि उसकी बैलगाड़ी सीमा की दिशा की ओर निकट जाती देखी गयी। यह बात स्थानीय कांग्रेसी अखबारों में भी प्रकाशत हुई। मामला अदालत में है, मैं इस पर कुछ अधिक कहना नहीं चाहता। परन्तु मेरा उद्देश्य यह प्रकट करना है कि इस प्रकार की परेशानियों का सामना उन लोगों को करना पड़ता है जो कि सीमा पर रहते हैं। क्या हम सरकार से पूछ सकते हैं कि इससे क्या और किसको लाभ पहुंचता है। इन पाबन्दियों का प्रभाव सीमा के इस ओर ही है, उस ओर नहीं। पुर्तगाल सरकार को इन पाबन्दियों की कोई चिन्ता नहीं। मेरा मत है कि सरकार को यह झूठी प्रतिष्ठा की भावना को छोड़ देना चाहिये। और कुछ नहीं तो कम से कम सीमा पर रहने वालों की कठिनाइयां तो कुछ कम होंगी। क्या विदेश मंत्रालय के किसी व्यक्ति ने वहां की शोचनीय अवस्था को वहां जाकर देखने का कष्ट किया है।

गृहकार्य मंत्री ने दूसरे सदन में काश्मीर सम्बन्धी जो वक्तव्य दिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। काश्मीर निवासियों को वे सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो कि अन्य भारतवासियों को हैं। भारत का महालेखापाल काश्मीर का भी महालेखापाल होगा। इसके साथ ही हमें शेख अब्दुल्ला समेत सभी को इस बात से भी सचेत कर देना चाहिये कि 'विचार व्यक्त करने की स्वतन्त्रता' तो होगी, सरकार की आलोचना का अधिकार भी होगा परन्तु देश द्रोह का कोई कार्य सहन नहीं किया जायेगा। नागरिक स्वतन्त्रता का विस्तार का तो सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है परन्तु सरकार से यह भी आशा की जा सकती है कि वह किसी को संविधान की परिधि से बाहर नहीं जाने देगी।

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री नाथ पाई]

अभी हाल ही में इंग्लैंड के एक उप चुनाव में सरकारी दल का प्रतिनिधि हार गया तो सारे देश में यह विचार था कि सरकार त्याग पत्र देकर पुनः मतदाताओं के समक्ष आयेगी। यहां अवस्था यह है कि बम्बई नें कई बार पदासीन दल के उम्मीदवार चुनाओं में हारे हैं परन्तु सरकार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गत छः मास में तीन उपचुनाओं में सरकार को हार हुई है, परन्तु इस संसद में बहुमत होने के कारण यह चले जा रहे हैं। क्या यह लोकतंत्र है। महाराष्ट्र और गुजरात वालों की यही मांग है कि विभाषी राज्य नहीं चलेंगे, सरकार को उनकी मांग का सम्मान करना चाहिये और उनसे इस मामले में देश के अन्य राज्यों के नागरिकों की भांति ही व्यवहार होना चाहिये।

सेठ अचल सिंह (आगरा) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो इस सदन में धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया गया है मैं उसका समर्थन करने के हेतु खड़ा हुआ हूं।

हमारे राष्ट्रपति ने जो भाषण दिया है उसमें हमारी जो द्वित्तीय पंचवर्षीय योजना है, उसपर काफी प्रकाश डाला है। उस दिशा में जो देश ने प्रगति की है वह भी हमारे सामने है। लेकिन एक खास बात जो मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं वह यह है कि स्वराज्य मिलने के बाद जो हमारा चरित्र रहा है जब तक वह चरित्र और मारेल हमारा ऊंचा नहीं होगा उस वक्त तक हम देश की पूरी उन्नति नहीं कर सकेंगे। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सी मैल प्रैक्टिसेज़ आर करप्ट प्रैक्टिसेज़ जनता में और आफिशिएल्स् में चलती हैं जिसकी कि वजह से हमारा जो प्लान है वह पूरा नहीं हो पाता है जब तक हमारे राष्ट्र और हमारी जनता का नैतिक स्तर ऊंचा नहीं होगा उस वक्त तक हम कोई खास उन्नति नहीं कर सकेंगे। इसलिये मैं चाहूंगा कि हमारे राष्ट्र हमारी जनता और सरकारों को चाहियें कि वे अपने आचरण से और विचारों से वह साबित करें कि देश की जो मांग है उसको वे पूरा करेंगे।

हमारे देश में जो २ योजनाएं हैं वे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और उनसे काफी देश को फ़ायदा पहुंचा है। अभी हाल में मुझे कच्छ की खाड़ी में जो कांडला का पोर्ट बना है उसे देखने का अवसर मिला। यह बड़े हर्ष का विषय है कि करांची का बन्दरगाह जो कि पाकिस्तान में चला गया है, उस कमी की पूर्ति करने के वास्ते यह कांडला पोर्ट बनाया गया है। वह बन्दरगाह बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। खाड़ी में कोई जगह नहीं थी, लेकिन उन्होंने वहां पर ८०, ८० फुट के आयरन और सीमेंट के पिलर्स ज़मीन में गाड़ कर ८० फुट समुद्र तट से ऊंचा एक प्लेटफार्म बनाया है और उसमें चार बड़े बड़े जहाज़ सामान उतार व चढ़ा सकते हैं। इस योजना में करीब साढ़े ७ करोड़ रुपया लगा है और उससे राजस्थान, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को काफ़ी राहत मिलेगी और उससे काफ़ी माल आ जा सकेगा।

इसके अतिरिक्त हमारे देश में जो तीन लोहे के कारखाने बनाये गये हैं जिनके कि बनने के बाद हमारे देश की आर्थिक अवस्था बहुत सुधरेगी और जो आज करोड़ों रुपया बाहर जाता है वह बाहर नहीं जायेगा।

इसी प्रकार जो हमारी डैम्स् बनाने की योजनायें चल रही हैं उनसे हमारे देश की लाखों एकड़ ज़मीन की सिंचाई हो सकेगी और हम देश में अधिक खाद्य का उत्पादन कर सकेंगे और देश की खाद्य समस्या को हल कर सकेंगे।

[श्री पट्टाभिरमन पीठासीन हुये]

इस प्रकार हम आने वाले पांच वर्षों में अपने देश की हालत बहुत कुछ सुधार सकेंगे। आज हम लाखों और करोड़ों रुपये अनाज की कीमत के रूप में बाहर भेजते हैं उसे, जब हमारी यह डैमों की योजना कामयाब हो जायेगी, बाहर भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।

†मूल अंग्रेजी में।

मैं यह कहूंगा कि पिछले ५, ७ वर्षों में जो हमारी कांग्रेस सरकारों ने काम किये हैं वे वाकई बहुत हैरतअंगेज़ और संतोषजनक हैं ।

जहां तक हमारे प्रधान मंत्री महोदय द्वारा इस देश की वैदेशिक नीति को चलाने का सम्बन्ध है, वह इतनी योग्यता और अच्छी प्रकार से चलाई गई है कि हमारी वैदेशिक नीति ने संसार भर का ध्यान भारतवर्ष की ओर आकृष्ट किया है और उसकी विदेशों में बहुत सराहना हुई है और देखने में यह आया है कि वे लोग भी जो कि पहले इसके खिलाफ़ थे और इसके विरुद्ध बोलते थे, वे भी आज कह रहे हैं कि भारतवर्ष की पालिसी बहुत ठीक है और समस्त राष्ट्रों को उसका अनुकरण करना चाहिये और उसका पालन करके आज विश्व में जो एक कोल्ड वार चल रही है, वह बंद हो जाएगी । मैं अधिक और न कह करके जो धन्यवाद का प्रस्ताव आया है उसका समर्थन करता हूं ।

†**सभापति महोदय** : प्रधान मंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुए वाद-विवाद का उत्तर साढ़े तीन बजे देंगे ।

भारतीय रक्षित बल (संशोधन) विधेयक

†**सभापति महोदय** : अब सभा निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेगी :

"कि भारतीय रक्षित बल अधिनियम, १८८८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाये ।"

श्री वारियर अपना भाषण जारी रखें ।

†**श्री वारियर** (त्रिचूर) : गत बार रक्षित लोगों की कठिनाइयों को मैंने प्रस्तुत किया था, उन्हें नौकरी प्राप्त करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । और रक्षित होने के नाते उन्हें जो फीस दी जाती है वह १० रुपये की तुच्छ राशि है । मेरा विचार है कि यह बहुत थोड़ी है, इसे बढ़ाया जाना चाहिये । साथ ही यदि इनके मुआवजे के क्रम में कोई विशेष अन्तर न हो तो इनका पद कुछ ऊंचा रखा जाना चाहिये ।

इसके अतिरिक्त मैं संशोधनों द्वारा यह व्यवस्था चाहता हूं कि प्रशिक्षण काल के बाद जब उन्हें आपात अवस्था में बुला कर नियुक्त किया जाता है तो उनकी नौकरी चालू रहनी चाहिये । यदि उनका सेवाक्रम बीच में टूट जाता है तो उन्हें वेतन अदायगी अच्छी नियम अथवा व्यापार विवाद अधिनियम के उपबन्धों का लाभ प्राप्त नहीं होता । यदि यह बात गलत हो तो मैं संशोधन वापिस लेने को तैयार हूं, परन्तु यदि बात सचमुच ठीक है, तो यह सबसे मुख्य बात है जिस पर मैं आग्रह करना चाहता हूं ।

अन्य बात यह है कि ३०, ४० वर्ष की आयु तक सेवा करने के पश्चात इन्हें हटा दिया जाता है और समुचित मुआवजा भी नहीं दिया जाता और इनके लिये और कहीं नौकरी प्राप्त करना भी बहुत कठिन होता है । १० रुपये के शुल्क से तो जीवन की आवश्यकतायें पूरी नहीं होतीं, जोकि लगभग यही २५ से ४० वर्ष के जीवन में ही उभरती हैं । और आपात के काल में ही इन लोगों की याद आती है । इसलिये यह लोग आते भी हैं तो प्रायः असन्तुष्ट रहते हैं । इस अवस्था में तो १० रुपये का शुल्क भी सरकारी धन का नाश करने वाली बात है ।

इस सम्बन्ध में कुछ किया जाना चाहिये ताकि जब भी उन्हें प्रशिक्षण के लिये पुनः बुलाया जाये वे लोग प्रसन्नता से आयें, यह समझ के आयें कि वे देश सेवा के कार्य में जा रहे हैं । इसके लिये एक ही साधन है कि उनके संविदा काल की अवधि बढ़ा दी जाये । इस उद्देश्य के लिये मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

श्री भक्त दर्शन (गढ़वाल) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत और समर्थन करते हुए प्रतिरक्षा मंत्री महोदय की सेवा में कुछ थोड़े से सुझाव रखना चाहता हूं ।

सबसे पहली बात तो यह है कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पहले इंडियन आर्मी के रिज़र्विस्ट्स को जो ३ रुपये प्रति मास का रिटेनिंग एलाउंस दिया जाता था वह बढ़ा करके ५ रुपये किया गया और पिछले २, ३ वर्षों से वह १० रुपये कर दिया गया है लेकिन जैसा कि मेरे अन्य साथियों ने भी कहा यह अब भी यथेष्ट नहीं है और अगर हो सके तो रक्षा मंत्रालय को इसकी जांच करनी चाहिये कि आया इसको और बढ़ाया जा सकता है अथवा नहीं ।

दूसरी बात मैं प्रतिरक्षा मंत्रालय के सामने यह रखना चाहता हूं कि अक्सर इस तरह की शिकायतें सुननें में आई हैं कि जिन सिपाहियों से अगर कोई थोड़ी सी गलती हो जाये या अफ़सर ज़रा नाराज हो जायें तो उनको रिज़र्व में भेजने की कोशिश की जाती है । मुझे पता नहीं कि कोई इस तरीक़े का नियम है या नहीं । अभी दो, तीन दिन पहले माननीय उप मंत्री जी ने इस विधेयक को यहां पर पेश किया था और उन्होंने बतलाया था कि ७ साल से लेकर १० साल तक नौकरी करने के बाद उनको रिज़र्व में भेज दिया जाता है और इस बीच उन्हें रिटेनिंग एलाउंस दिया जाता है । मैं मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि इस तरह की शिकायतें मिली हैं कि इस सम्बन्ध में कोई निश्चित नियम नहीं मालूम होता कि आया ७ वर्ष से लेकर १० वर्ष तक जो नौकरी कर लेते हैं, उन सब को रिज़र्व में भेज दिया जाता है या उनके बीच में कांट छांट की जाती है या यह होता है कि जिस सिपाही ने जाकर समय पर सलाम नहीं किया या अफ़सर के घर में जाकर सेवा नहीं की या उसका कोई काम नहीं किया तो उसको दंड देने के लिये रिज़र्व में भेज दिया जाता है, और जिनसे खुश हुए उनको फ़ौज में रहने दिया जाता है ताकि उनको तरक्की मिल जाय । इस बारे में जांच होनी चाहिये और इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट नियमों का निर्धारण कर देना चाहिये ।

तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि इस विधेयक में यह व्यवस्था की जा रही है कि मालिकों को अगर इस बात का कोई फैसला हो जायगा तो ६ महीने तक की तनख्वाह देनी पड़ेगी और १ हज़ार रुपये का दंड दिया जा सकेगा । मैं इस चीज़ का स्वागत करता हूं लेकिन जैसा कि श्री वारियर ने कहा कि जितने दिनों बाद वह ट्रेनिंग से आकर के फिर नौकरी करते हैं उतने दिनों के लिये वह लीव विद्आउट पे (बिना वेतन के छुट्टी) करके पुराने मालिक की ड्यूटी पर माने जायें लेकिन उस बीच में उनको वेतन प्रतिरक्षा मंत्रालय की ओर से मिल रहा है तो इस बीच में उनकी पूरी सर्विस मानी जाय और इस बात का सवाल न उठाया जाय कि वे दुबारा नौकरी कर रहे हैं ।

इस सम्बन्ध में मैं एक निवेदन मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात की शिकायत मिली है कि हमारा प्रतिरक्षा मंत्रालय ऐसे नौजवानों का ध्यान नहीं रखता जोकि १७, १८ या २० साल की उम्र में नौकरी में आते हैं और जब २५, ३० वर्ष की उनकी उम्र होती है तो उनको रिज़र्व में भेज दिया जाता है । क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय यह अपनी नैतिक और क़ानूनी ज़िम्मेदारी नहीं समझता है कि ऐसे लोगों को भी कोई रोज़गार दिलाने की व्यवस्था की जाए ? इसके लिये मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि प्रतिरक्षा मंत्रालय में एक ख़ास सैक्शन इस बात के लिये होना चाहिये कि जिन लोगों को रिज़र्व में भेजा जाता है उन लोगों के लिये नौकरियां भी दिलवाने की व्यवस्था करे । आप रिज़र्व में उनको भेज देते हैं और १० रुपये रिटेनिंग एलाउंस दे देते हैं और यह आशा करते हैं कि देश के अन्दर कोई आफ़त आ जाये तो वह अपने प्राणों की भी बाज़ी लगा कर देश की रक्षा के लिये आगे आयें और इस बीच में वह ट्रेनिंग भी पाते रहेंगे यह बहुत अच्छी चीज़ है । यह व्यवस्था जो कि की जा रही है उसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन मैंने देखा है कि नौजवानों के ऊपर रोज़गार की उचित व्यवस्था न होने से मुसीबत का एक पहाड़ सा टूट पड़ता है और उनको समझ में नहीं आता

कि वे किधर जायें और कहां जाकर नौकरी खोजें। इसलिये मैं प्रतिरक्षा मंत्रालय को यह सुझाव देना चाहता हूं कि उनके वहां एक विशष विभाग होना चाहिये जो कि उन्हें नौकरी दिलवाये और इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। हमारे यहां प्रतिरक्षा मंत्रालय के अनेक उप विभाग हैं जैसे एम० डी० एस० सी०, आई० ओ० एस० सी० और सेंट्रल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है और प्रान्तीय सरकारों में पुलिस का महकमा है, पी० ए० सी० है, होमगार्ड है और जेल के वार्डस् हैं, इन जगहों में इन लोगों को नौकरियां दी जायें और यह नौकरियां इस तरह की हों जिसमें फौज की पाई हुई ट्रेनिंग का उपयोग हो सके और जब ज़रूरत पड़े उनको वापिस बुलाया जा सके, और तब उसमें सवाल ही नहीं होगा कि उनको दंड दिया जाये।

मैं इस विधेयक का स्वागत और समर्थन करते हुए प्रतिरक्षा मंत्रालय को यह चन्द एक सुझाव देना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि उन पर विचार करके उनको स्वीकार किया जायेगा। प्रतिरक्षा मंत्रालय को अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिये कि जब उनको रिज़र्व में भेजा जाता है तो उनकी योग्यता के मुआफिक़ और जैसी उनको ट्रेनिंग मिली है उसके अनुसार उनको नौकरी दी जाये। भला हमारे नौजवानों के पास इधर उधर भटकने के लिये कहां पैसा है कि वह मुक़दमेबाज़ी करें और अदालत के सामने जाकर पेश हों। इस मुसीबत से उनको बचाने का एक ही तरीक़ा है कि उनकी नौकरी के प्रबन्ध की ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट अपने ऊपर ले और प्रान्तीय सरकारों से मिल करके और केन्द्रीय सरकार की जितनी मिनिस्ट्रीज़ हैं और जितने सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें ऐसी जगहों पर जो उनके अनुकूल हों वहां पर उनको रखा जाये। मैं आशा करता हूं कि मेरे इन चन्द एक सुझावों पर विचार किया जायेगा और इनको स्वीकार करने की कृपा की जायेगी। धन्यवाद।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : यह संशोधन आज के युग के अनुकूल नहीं है। १८८८ और १९५८ में काफी अन्तर हो गया है। प्रतिरक्षा सेवाओं, उनके कर्मचारियों और हमारे देश, किसी को भी इससे लाभ नहीं पहुंच सकता। इन रक्षितों के साथ तो प्रतिरक्षा मंत्रालय के उपेक्षित पुत्रों जैसा व्यवहार हो रहा है। आम सेवा और रक्षित सेवा के कर्मचारियों के साथ उनकी सेवा शर्तों में भेदभाव का व्यवहार नहीं होना चाहिये, आज के युग में इसका कोई औचित्य नहीं है।

१० रुपये मासिक वेतन तो उनके साथ मज़ाक है, किसी देश में इस प्रकार का उदाहरण नहीं मिलता। इनके कल्याण, अथवा बालबच्चों की शिक्षा-दीक्षा का कुछ तो प्रबन्ध होना ही चाहिये। किसी प्रकार की कुछ सुविधायें तो उन्हें मिलनी ही चाहिये। इस विधेयक के अन्तर्गत हम उन्हें प्रतिरक्षा कर्मचारियों में सम्मिलित कर रहे हैं, परन्तु उन्हें किसी भी प्रकार का लाभ नहीं दिया जा रहा है। प्रतिरक्षा मंत्रालय उन्हें निपुण असैनिक कर्मचारी के समान भी नहीं मानता है। यदि आपने इनके साथ ऐसा असह्य-भावनापूर्ण व्यवहार किया तो आपात काल में आपके देश की रक्षा कैसे करेंगे ? इस प्रकार का मनो-वैज्ञानिक और आर्थिक सदमा असह्य होता है। इनकी स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिये तथा सेवा शर्तें और सेवा काल निर्धारित हो जाना चाहिये।

मुझे बताया गया है कि ये लोग जब प्रशिक्षण के लिये आते हैं तो घोर निराशा की स्थिति में होते हैं। इस तरह उनसे कोई लाभ नहीं उठाया जा सकता। कहा गया है कि सैनिक रक्षित सेवा में जाने से संकोच करते हैं। ठीक ही बात है, जब वहां उनके कल्याण की ओर ध्यान ही नहीं दिया जाता तो उन्हें संकोच होना ही चाहिये। मैं श्री भक्त दर्शन की इस बात का समर्थक हूं कि इनके रोजगार के मामले में व्यवस्था करने के लिये स्वयं प्रतिरक्षा मंत्रालय का अपना अभिकरण होना चाहिये। और यह इसलिये भी आवश्यक है कि ऐसे लोग अधिकतर देहातों से आते हैं।

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री दी० चं० शर्मा]

हम अपने देश की प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ाने और रक्षित सेवा को सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं, हमें इस सम्बन्ध में एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करना चाहिये। इन लोगों के आर्थिक और मनोवैज्ञानिक अस्तित्व का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिये ताकि ये लोग अच्छे सैनिक बन सकें। इससे ही वे अपनी नागरिक जिम्मेदारियां भी सम्भाल सकेंगे। इस विधान से यह प्रकट नहीं होता कि क्या इसे प्रस्तुत करने वाले रक्षित सैनिकों का पूर्ण रूप से कल्याण चाहते हैं, जिससे कि वह रक्षित बलों के अच्छे सदस्य बन सकें। मैं इस सम्बन्ध में एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करने की आवश्यकता पर जोर देता हूं।

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : इस विधेयक के समर्थन के लिये मैं सदन के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। तीन वक्ताओं ने विभिन्न प्रकार के सुझाव दिये हैं। परन्तु मेरा निवेदन कि वास्तविक रूप में रक्षित का अर्थ उनके समक्ष स्पष्ट रूप से नहीं है। मैंने अपने प्रारम्भिक भाषण में बताया था कि भारतीय सेना में निश्चित नियम हैं। और उनके अन्तर्गत यदि कोई कुछ वर्षों के लिये लगातार सेवा करता है तो उसके बाद उसे रक्षित बल में कर दिया जाता है। मेरे एक मित्र ने मुझसे पूछा है कि रक्षित बल में भेजने के लिये जो निर्वाचन किया जाता है क्या उसके कोई नियम हैं? क्या उसमें कोई भेदभाव तो नहीं होता? मैं यह कह सकता हूं कि कोई भेदभाव नहीं होता। प्रशिक्षण के समय, जिन लोगों के बारे में यह देखा जाता है कि वे इस योग्य हैं कि उन्हें नायक, हवलदार और हवलदार मेजर बना दिया जाये, और वे उन्नति करके सूबेदार मेजर के स्तर पर भी पहुंच सकते हैं, उन्हें इसमें लिया जाता है। इसके लिये ७, ८ वर्ष की ही सेवा की बात नहीं, यह अवधि तो १५ वर्ष तक चलती है। अपने परिश्रम से वह न कवल अतिरिक्त उपलब्धियां ही कमा सकते हैं प्रत्युत अतिरिक्त सेवा काल का भी लाभ उठा सकते हैं। इससे यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि उन्हें दूसरा अवसर भी मिलना चाहिये। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एक अवधि समाप्त करने के बाद यदि कोई सैनिक फिर सेवा में आना चाहे, तो उसे, यदि वह सभी प्रकार से सेवा में लेने योग्य हो, पुनः ले लिया जाता है। हमें कोई आपत्ति नहीं होती परन्तु उसे नये सिरे से सैनिक जीवन का आरंभ करना होता है।

प्रश्न हो सकता है कि आप उसकी नौकरी को चालू ही क्यों नहीं रखते। इसका स्पष्ट कारण यह है कि गैर-कमीशन प्राप्त अधिकारी के रूप में उन्हें और आगे बढ़ाने के अयोग्य समझा जाता है। उसे उसी स्तर पर रहना होता है और यदि वह पुनः भर्ती होता है तो हमें उसपर कुछ आपत्ति नहीं होती। फिर यह बात आती है कि 'रक्षित' हो जाने पर उनकी उपेक्षा की जाती है। यह बात मेरे पुराने सहयोगी श्री दी० चं० शर्मा ने कही है। उन्हें "व्यापक रक्षित विधेयक" शब्द से बहुत लगाव है। मैं नहीं जानता कि व्यापक विधेयक से उनका अभिप्राय क्या है। वह यदि ध्यान से इस विधेयक का अध्ययन करते तो उन्हें यह पता चल जाता कि विधेयक बहुत व्यापक है, और यह समय के अनुकूल रहा है। इस सम्बन्ध में कोई शिकायतें सुनने में नहीं आयी हैं। और इसका कार्य अच्छा ही रहा है इसलिये मेरा कहना है कि विधेयक 'व्यापक है'।

यह बात सभी वक्ताओं ने कही है कि १० रुपये प्रति मास का भत्ता या वेतन समुचित नहीं। उस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इस भत्ते का अभिप्राय सनिक का पालन पोषण करना नहीं है। जैसा कि मेरे मित्र ने कहा है कि ये लोग अधिकतर देहातों से आते हैं, और यहां से जाकर अपने खेतों में काम करने लगते हैं। यह दस रुपये की राशि उनके पालनपोषण के लिये नहीं होती, यह तो उनको इनाम के तौर पर दी जाती है। इसके बढ़ाने से तो प्रभाव आयव्ययक पर पड़ेगा। परन्तु साथ ही हमारे मित्रों का यह भी विचार है कि हमारा प्रतिरक्षा आयव्ययक बढ़ना नहीं चाहिये क्योंकि हम किसी युद्ध की तैयारी नहीं कर रहे हैं। संसार के सभी देशों से हमारे मित्रतापूर्ण सम्बन्ध है, इसलिये प्रतिरक्षा आयव्ययक का बढ़ाया जाना इसके विपरीत है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

शांतिप्रिय विचार धारा तथा प्रतिरक्षा आयव्ययक में वृद्धि परस्पर विरोधी बातें हैं। इसलिये घर बैठे हुये सैनिकों को १० रुपये प्रतिमास से अधिक नहीं दिया जा सकता, जब कि वह सरकार का किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर रहे। यह छोटी सी राशि तो उन्हें इस विचार से दी जाती है कि आपात काल में वे सरकार के काम आ सकेंगे। माननीय सदस्य श्री वारियर का सुझाव था कि कनिष्ठ कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिये यह राशि अधिक कर देनी चाहिये। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि माननीय सदस्यों की धारणा इन रक्षित सैनिकों के सम्बन्ध में कुछ गलतफहमी पर आधारित हैं। इन कनिष्ठ कमीशन प्राप्त अधिकारियों की अवधि लम्बी होती है। इनकी सेवा की अवधि ३० वर्ष की आयु तक ही नहीं होती, ज्यादा होती है और ये तो इस योग्य भी नहीं होते कि उन्हें किसी प्रकार रक्षित बल में रखा जाये। इसलिये यह प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

एक अन्य बात जो श्री भक्त दर्शन ने कही है कि 'पुनर्स्थापन' शब्द के स्थान पर 'जारी' शब्द रखा जाये। इसका उत्तर बड़ा सरल है कि उन्हें प्रशिक्षण के लिये बड़े थोड़े ही काल के लिये बुलाया जाता है। यहां से जाने के बाद वे अपना सामान्य काम जारी रखते हैं, इसलिये यह प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है। जब कोई नियोजक किसी को नौकरी पर न ले तो सरकार कहती है कि नहीं, इसे पुनः ले लिया जाये क्योंकि सेवा बीच में टूट चुकी है। इस सम्बन्ध में विधेयक बिल्कुल स्पष्ट है कि वह अपनी पुरानी नौकरी पर चला जायेगा, दूसरी बार सेवा में आने पर उसकी सेवा की शर्तें पहले से खराब नहीं होंगी। इसलिये विधेयक के शब्दों से वह लक्ष्य पूरा हो जाता है। इसलिये मैं इस संशोधन को स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं समझता।

मेरे माननीय मित्र श्री दी० चं० शर्मा ने जो कि इस समय यहां नहीं हैं, यह बात कही कि हम इन लोगों के बच्चों की उपेक्षा करते हैं। पता नहीं उनको यह विचार कैसे आया। जब कोई इस सेवा में आता है तो उसकी आयु लगभग २० वर्ष की होती है और वह अविवाहित होता है और बाद में ८ वर्ष के लगभग वह सेवा में रहता है। इस काल में यदि वह विवाहित भी हो जाये तो उसके इतने बच्चे नहीं हो जाते कि उनकी उपेक्षा का प्रश्न उत्पन्न हो। पता नहीं उन्हें यह विचार कैसे आया? इन रक्षितों के बच्चों की देखरेख का तो प्रश्न है ही नहीं। परन्तु जो कर्मचारी सक्रिय सेवा में हैं, उनके बच्चों की देख भाल हम करते ही हैं। इन बच्चों के लिये स्कूल हैं और इनकी शिक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है। इसके अतिरिक्त किंग जार्ज स्कूल हैं, जहां ऐसे अन्य पदाधिकारियों के बच्चों के लिये ५० प्रतिशत स्थान रक्षित रखे जाते हैं, जो कि सेवा कर रहे हैं। यह शिक्षा सरकारी स्कूलों की भांति ही होती है, और फीस बहुत ही थोड़ी ली जाती है। केवल वेतन का दसवां भाग लिया जाता है और बाकी खर्चा सरकार सहन करती है। इसलिये यह विचार आपको हटा देना चाहिये कि सरकार सैनिक के बच्चों का ध्यान नहीं रखती।

एक अन्य बात उनके रोजगार के सम्बन्ध में कही गयी कि इसके लिये सरकार को अभिकरण स्थापित करना चाहिये जो कि उन लोगों के लिये रोजगार की व्यवस्था करे जिन्हें कि हम रक्षित श्रेणी में रखते हैं। शायद मेरे माननीय मित्र यह बात भूल गये हैं कि हमारे काम दिलाऊ दफ्तर यही काम कर रहे हैं। जो लोग यहां नाम दर्ज करवाते हैं वे वही हैं जिन्हें नौकरी की आवश्यकता होती है। जो लोग अपनी जमीनों पर चले जाते हैं, उनके लिये तो काम का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। काम दिलाऊ दफ्तर नौकरी चाहने वालों को विभिन्न प्रकार की नौकरियां दिला देते हैं। इसके अतिरिक्त गृह कार्य मंत्रालय का भी यह आदेश है कि ऐसी नौकरियों में जहां सैनिक प्रशिक्षण उपयोगी हो अर्थात, पुलिस प्रतिरक्षा सेवा तथा होमगार्ड इत्यादि विभागों में भर्ती के समय भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाती है। यह नहीं हो सकता कि उन्हें कोई नौकरी मिले ही न।

श्री भक्त दर्शन : मेरा मतलब यह था कि काम दिलाऊ दफ्तरों (एम्पलायमेंट एक्सचेंजों) के पास इतना लम्बा चौड़ा जनरल रजिस्टर होता है कि ऐसे लोगों की ओर वे पूरा ध्यान नहीं दे सकते। इसलिये ऐसे लोगों के लिये अगर प्रतिरक्षा मंत्रालय (डिफैंस मिनिस्ट्री) की कोई अपनी अभिकरण (एजेन्सी) हो तो ज्यादा अच्छा हो।

†**सरदार मजीठिया** : इस मामले में बेरोजगारी इतनी अधिक नहीं है। जब देश का औद्योगिक विकास होगा तो लोगों को अपने आप ही रोजगार मिलेगा, और भूतपूर्व सैनिकों को उनके अनुशासन और प्रशिक्षण के कारण निश्चित रूप में प्राथमिकता प्राप्त होती रहेगी।

मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि ज्यादातर नियोजक उन्हें वापस जरूर ले लेते हैं। मेरे ध्यान में अभी तक ऐसा कोई नियोजक नहीं आया जिसने ऐसे किसी व्यक्ति को पुनः काम पर न लगाया हो जो कुछ समय के लिये प्रशिक्षण के कारण या किसी आपात काल में कुछ अधिक समय के लिये बहां न रहा हो। यह संशोधन एक सुरक्षात्मक संशोधन हैं। यदि कभी कोई मालिक पुनः नियुक्त करने में कोई गड़बड़ी करता है तो हम उसको बाध्य कर सकते हैं कि वह प्रशिक्षण आदि के लिये गये व्यक्ति को प्रशिक्षण के पश्चात् पुनः नियुक्त करे।

मैं इस समय एक और संशोधन के बारे में कुछ बता देना चाहता हूं जिसमें बताया गया है कि हमें किसी भी नियोजक को पुनः नियुक्ति के बारे में छूट नहीं देनी चाहिये चाहे वह कोई भी कारण बताये। मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिये किसी व्यक्ति को आपात काल में नौकरी के लिये बुलाया जाता है और वह इस प्रकार छः माह अथवा इससे अधिक के लिये सेवा से अलग रहता है। इस छः माह की अवधि में उस संस्था का दिवाला निकल जाता है। अब एक ऐसी संस्था को जिसका अस्तित्व ही नहीं है हम किसी व्यक्ति को नियुक्त करने के लिये किस प्रकार बाध्य कर सकते हैं। इसलिये कुछ अपवाद रखने आवश्यक हैं।

मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूं। ऐसा भी संभव हो सकता है कि प्रशिक्षण प्राप्ति के पश्चात् रिजर्विस्ट को कहीं और नौकरी मिल जाये जिसमें उसको अधिक पैसा मिले। दो, तीन माह के पश्चात् उसको नया नियोजक अच्छा न लगे अथवा स्वयं नियोजक ही उसे न रखना चाहे तो मेरे विचार से यह उचित नहीं होगा कि हम केवल इसी कारण कि नया नियोजक उसको नहीं रखना चाहता पुराने नियोजक को उसे रखने पर बाध्य करें। हमें इसीलिये कुछ अपवाद रखने पड़े। इसीलिये मैं इन संशोधनों का विरोध करता हूं।

इस प्रकार मेरे द्वारा प्रस्तुत दो संशोधन ही रह जाते हैं जो आवश्यक हैं। इस विधेयक को राज्य सभा में १९५७ में प्रस्तुत किया गया था इसीलिये अधिनियमन सूत्र में 'भारत गणतंत्र के 'आठवें वर्ष' शब्द इसमें निहित हैं। यह नवां वर्ष है इसीलिये मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है। संक्षिप्त नाम में भी इसी प्रकार का संशोधन है कि १९५७ के स्थान पर १९५८ किया जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय रक्षित बल अधिनियम, १८८८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड २—(१८८८ के अधिनियम ४ में नई धारा ७ तथा ८ का जोड़ा जाना)

†**श्री जाधव** (मालेगांव) : मैं अपने संशोधन संख्या १, २, ३, ४, तथा ५ प्रस्तुत करता हूं।

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : मैं अपना संशोधन संख्या ८ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री वारियर** : मैं अपने संशोधन संख्या ९ तथा १० प्रस्तुत करता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संशोधन प्रस्तुत हुए ।

†**श्री नौशीर भरूचा** : मेरा संशोधन संख्या ८ है और मैं उसके द्वारा 'नियोजक' शब्द की व्याख्या करना चाहता हूं । मैं यह इसलिये चाहता हूं क्योंकि कभी-कभी एक रिज़र्विस्ट किसी ऐसी संस्था में नियुक्त होता है जो भागीदारी संस्था है । ऐसी संस्था का कोई भागीदार मर जाता है और अन्य भागीदार संस्था चलाते रहते हैं । ऐसे भागीदार नियोजक रिज़र्विस्ट को नौकरी देने से मना कर सकते हैं । इसलिये यह आवश्यक है कि 'नियोजक' की व्याख्या की जाये ।

इसी प्रकार किसी निगम का दिवाला निकल जाने पर यह प्रश्न भी उठ सकता है कि विधि अनुसार संभव है वही नियोजक न हो । हमें सभी प्रकार की कमियों को दूर करने के लिये नियोजक की परिभाषा करनी चाहिये और इसीलिये मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है ।

†**श्री जाधव** : संशोधन संख्या १ के द्वारा, मैंने सुझाव दिया है कि खण्ड २ के परन्तुक को हटा देना चाहिये यदि हम चाहते हैं कि रिज़र्विस्ट की नौकरी सुरक्षित रहे तो परन्तुक की यहां कोई आवश्यकता नहीं है । इस परन्तुक के कारण नियोजक इस विधेयक के उपबन्धों का अपवंचन कर सकते हैं ।

संशोधन संख्या २ के द्वारा मैं उपधारा (१) के परन्तुक का निर्देश करने वाले कुछ शब्दों को हटाना चाहता हूं । इसके अलावा इस संशोधन में यह व्यवस्था की गई है कि पुनःनियुक्त न किये जाने के कारण नियुक्तक के विरुद्ध कार्यवाही की जाये । संशोधन संख्या ३ के द्वारा मैं चाहता हूं कि जुर्माना बढ़ा कर दो हज़ार रुपया कर देना चाहिये । संशोधन संख्या ४ के द्वारा मैं चाहता हूं कि पारिश्रमिक बारह महीनों का कर देना चाहिये । संशोधन संख्या ५ के द्वारा प्रस्तावित धारा ७ की उपधारा (३) में दो माह की अवधि के स्थान पर मैं छः माह करना चाहता हूं ।

†**सरदार मजीठिया** : मेरे विचार से यह संशोधन अनावश्यक है । परन्तुक हटाने के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं इसलिये उसको दो बारा दोहराना व्यर्थ है । केवल नियोजक की परिभाषा रह जाती है । मेरा विचार है कि इसकी परिभाषा करके हम नियोजकों के वर्ग को सीमित कर देंगे । हम इसको सीमित करना नहीं चाहते और इसमें सभी प्रकार के नियोजक शामिल करना चाहते हैं हम इसकी व्यापकता कम करना नहीं चाहते । इसलिये मैं इन संशोधनों का विरोध करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १, २, ३, ३, ५, ८, ९ तथा १० मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया

संशोधन किए गए

(१) पृष्ट १, पंक्ति १ में 'eighth' (आठवां) के स्थान पर 'ninth' (नवां) शब्द रखा जाये ।

(२) पृष्ठ १, पंक्ति ४ में '1957' (१९५७) के स्थान पर '1958' (१९५८) शब्द रखा जाये । **[सरदार मजीठिया]**

†मूल अंग्रेजी में ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १, संशोधित रूप में, अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड १, संशोधित रूप में, अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**सरदार मजीठिया** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें*--१९५७-५८

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा में अब वर्ष १९५७-५८ के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार (रेलवे के अतिरिक्त) के व्यय की अनुपूरक अनुदानों की मांगो पर चर्चा होगी । इनके लिये ४ घंटे रखे गये हैं । ११ मंत्रालयों की कुल ४५ मांगे हैं जिनमें से ३५ मांगें मतदेय हैं । इनमें से २१ मांगों पर ५३ कटौती प्रस्तावों की सूचना दी गई है । मुख्यत: मांग संख्या २, ४६, ११७, ८३ तथा १२६ पर कटौती प्रस्ताव ज्यादा दिये गये हैं और मेरा विचार है कि सदस्य गण इन्हीं पर अधिक ध्यान दे रहे हैं । जो माननीय सदस्य अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहें वे १५ मिनट के अन्दर अपने प्रस्ताव की संख्या सभा पटल पर भेज दें । मैं उन कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत समझूंगा ।

१९५८ के लिए अनुपूरक अनुदानों की ये मांगें प्रस्तुत की गईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि (रुपये)
१	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय	४,२५,०००
२	उद्योग	१,१६,०६,०००
३	नमक	४,२९,०००
५	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	१३,३८,०००
८	प्रतिरक्षा मंत्रालय	१,६१,०००
९	प्रतिरक्षा सेवायें-क्रियाकारी सेना	७,७२,५६,०००
११	प्रतिरक्षा सेवायें--क्रियाकारी विमान बल	३,३४,८९,०००
१२	प्रतिरक्षा सेवायें--अक्रियाकारी व्यय	४८,६४,०००
२४	वैदेशिक-कार्य	७,४०,०००
२६	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	७१,०००
३२	स्टाम्प	४०,६४,०००
३४	चलमुद्रा	१६,३९,०००
३५	टकसाल	७६,०३,०००
३७	वार्धक्य भत्ते तथा निवृत्ति वेतन	२५,००,०००
४१	विभाजन-पूर्व के भुगतान	१९,४२,०००

†मूल अंग्रेजी में ।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत ।

मांग संख्या	शीर्षक	राशि (रुपये)
४६	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय	३,५२,१७,०००
५५	जनगणना	२,७०,०००
६३	गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय	१,०००
६७	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय	२,४८,०००
७९	खानें	१०,४४,०००
८१	इस्पात, खान, और ईंधन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय	१२,८२,७४,०००
८३	भारतीय डाक तथा तार विभाग (कार्यसंचालन व्यय समेत)	१,२०,००,०००
९०	संचार (राष्ट्रीय राजपथ समेत)	९,४१,०००
९३	संभरण	९,६६,०००
९४	अन्य असैनिक निर्माण कार्य	३,३८,७०,०००
९५	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	५३,००,०००
१०६	प्रतिरक्षा पूंजीगत व्यय	२,९१,९४,०००
१०८	वैदेशिक कार्य मंत्रालय का पूंजीगत व्यय	१६,६४,०००
११२	निवृत्तिवेतनों का राशिकृत मूल्य	३,१६,०००
११७	खाद्यान्नों का क्रय	३८,४८,००,०००
१२३	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का अन्य पूंजीगत व्यय	१,०६,००,०००
१२५	पुनर्वास मंत्रालय का पूंजीगत व्यय	१,०००
१२६	इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय का पूंजीगत व्यय	१,०००
१२७	भारतीय डाक तथा तार का पूंजीगत व्यय (राजस्व से नहीं दिया गया)	१,००,००,०००
१३०	सड़कों पर पूंजीगत व्यय	१,५०,००,०००

†**उपाध्यक्ष महोदय:** मैं बता चुका हूं कि माननीय सदस्यों ने किन-किन मांगों पर कटौती प्रस्ताव भेजे हैं। माननीय सदस्य सारी मांगों पर और सभी कटौती प्रस्तावों पर, जिन्हें प्रस्तुत किया गया हो, विचार व्यक्त कर सकते हैं।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : मेरे कटौती प्रस्ताव मांग संख्या २, ८३ तथा १,१७ पर हैं। मांग संख्या २ पर मेरे कटौती प्रस्ताव संख्या १४, १५, १६ और १७ हैं कटौती प्रस्ताव संख्या १४ में मैंने बताया है कि हथकरघे के कपड़े पर छूट को ९ नये पैसे से कम करके ६ नये पैसे करने से हथकरघा उद्योग को बड़ी हानि हुई है। सरकार की नीति यह रही है कि इस उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाये और इसीलिये सहकारी हथकरघा योजना बनाई गई थी। मद्रास तथा आन्ध्र राज्य में लाखों व्यक्ति इसी से अपना जीवन यापन करते हैं परन्तु फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि इसका इतना प्रचलन जनता में हो गया है यह मिल के कपड़े का मुकाबला कर सके। गत सत्र में भी हमने प्रश्न उठाया था और हमें उत्तर दिया गया था कि १–१२–५७ से छूट में कटौती की जायेगी जिसके आधार पर मद्रास राज्य ने केन्द्रीय सरकार को इसे १ मार्च ५८ तक लम्बित करने के लिये कहा था। सहकारी समितियों का सम्मेलन भी हाल में हुआ था और उन्होंने भी एक संकल्प पारित किया कि छूट उतनी ही कर दी जाये जितनी पहले थी।

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री तंगामणि]

खादी तथा हथकरघा उद्योगों का विकास मिल के कपड़े पर ३ नये पैसे प्रति गज़ के हिसाब से लिये गये उपकर के द्वारा किया जाता है। खादी के विकास के लिये ऋण की राशि बढ़ा दी गई है जबकि हथकरघे की राशि में बहुत कम बढ़ोत्तरी की गई है। सहकारी समितियों द्वारा अधिक ऋण मांगने पर भी और ऋण नहीं दिया गया जबकि खादी को बिना मांगे ही और अधिक ऋण देने की व्यवस्था कर दी गई। मैं खादी के विकास का विरोधी नहीं हूं परन्तु हमें हथकरघे को नष्ट करके खादी को नहीं बढ़ाना है।

मेरे कटौती प्रस्ताव संख्या ४१ तथा ४२ मांग संख्या ११७ पर हैं जो खाद्यान्नों के खरीदने के सम्बन्ध में है। अक्तूबर, १९५७ में मद्रास राज्य को ८,००० टन प्रति माह खाद्यान्न केन्द्र से कम मूल्यों पर मिलते थे। परन्तु अक्तूबर, १९५७ के पश्चात् से उनको केवल ४,००० टन खाद्यान्न ही दिये जा रहे हैं। ऐसा दक्षिण खण्ड बनाने के कारण किया गया। परन्तु मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि दक्षिण खण्ड में चावल के इधर-उधर लेजाने के कारण भी मद्रास राज्य में केवल ५,००० टन चावल ही पहुंच सका है जैसा कि उपमंत्री जी ने कल मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया।

इसके पश्चात् मैं मांग संख्या ८३ के सम्बन्ध में कुछ बताता हूं। इस पर मेरे कटौती प्रस्ताव संख्या ३७ तथा ३८ हैं। इनके द्वारा मैंने डाक तथा तार कर्मचारियों को दी गई अन्तरिम सहायता की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया है। यह सहायता बहुत कम है। वेतन आयोग ने ५ रुपये अन्तरिम सहायता केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दी परन्तु जैसा सब जानते हैं कुछ विभागातिरिक्त कर्मचारी डाक तथा तार के अधीन नहीं आते हैं, उनको केवल २ रुपये प्रति मास की अन्तरिम सहायता दी जा रही है। मेरा निवेदन है कि इस थोड़ी सी अन्तरिम सहायता से लोग संतुष्ट नहीं हो सकते और वेतन आयोग को इस सम्बन्ध में स्पष्ट निदेश देने चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस विषय पर अब बाद में चर्चा होगी।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव—(जारी)

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब प्रधान मंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुये वाद-विवाद का उत्तर देंगे।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य और वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : श्रीमान्, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर गत दिनों में जो वाद-विवाद हुआ है उसमें कितने ही विषयों का उल्लेख हो चुका है और अब उन सब पर कुछ कहना मेरे लिये तनिक कठिन है। श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं कुछ थोड़े से महत्वपूर्ण मामलों पर ही कहूंगा और सामान्य रीति से ही उन सब पर अपने विचार प्रकट करूंगा।

जहां तक देश की सामान्य आर्थिक स्थिति का सम्बन्ध है मैं उसके सम्बन्ध में कुछ बताऊंगा। जैसा सभा को पता है आयव्ययक पर चर्चा के समय इस सत्र में बहस के और बहुत से अवसर मिलेंगे। संभवतया मैं पहले ही बता चुका हूं कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना के बारे में एक ज्ञापन सभा पटल पर रखा जायेगा जिसमें बताया गया है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। इस मामले पर आंशिक रूप से कुछ कहना ठीक नहीं है। अतः हम समझते हैं कि इस विषय पर पूरा ज्ञापन ही ठीक रहेगा। इन सब मामलों पर चर्चा की ही जायेगी अतः अब आंशिक रूप से कुछ बातें कहना ठीक नहीं होगा। फिर भी इस विषय पर मैं थोड़ी बातें कहूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

विरोधी दल वालों ने आलोचना की है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण दूरदर्शिता पर आधारित नहीं है और उसमें यथार्थता का ध्यान नहीं रखा गया है तथा सरकार आत्मतुष्ट प्रतीत हो रही है। मैं तो नहीं समझता कि माननीय सदस्य इस सरकार के सदस्यों के बारे में, जो कि वास्तव में राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं ऐसा कोई विचार रखते हैं या आत्मतुष्ट हैं। कोई भी सरकार, जिसे इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो, भला किस तरह से संतुष्ट हो कर बैठ सकती है। हो सकता है सरकार कभी-कभी गलती करे जैसा कि साधारणतया हो जाता है।

किन्तु यदि कोई व्यक्ति अपने को पूर्ण रूप से संतुष्ट समझता है तो इससे प्रकट होता है कि उसमें कोई बड़ी खराबी है चाहे वह कोई भी हो।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

भला आत्म संतोष का क्या प्रश्न उठ सकता है जब कि हमने इतनी कठिनाइयों का सामना किया है और जब गत वर्षों में इतनी समस्यायें हमारे सामने आई हैं। बहुत सी कठिनाइयां तो ऐसी थीं जिनके लिये हम ज़िम्मेदार नहीं थे। किन्तु सरकार उन कठिनाइयों का सामना करने का प्रयास करती रही है—चाहे वह कठिनाइयां घरेलू हों या अन्तर्राष्ट्रीय। अतः मैं सभा को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि आत्म संतोष की भावना कहीं भी नहीं है। किन्तु आत्म संतोष न होना एक बात है तथा अनावश्यक रूप में घबराना, और देश के हरएक काम की निंदा करना दूसरी ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें लोग पसंद नहीं करते और जिनका हम मुकाबला करते हैं। मैं यह भी समझता हूं कि विरोधी दल का काम सामान्यतया त्रुटियों की ओर संकेत करना और निन्दा करना है। मैं इसकी शिकायत नहीं करता। किन्तु मैं सभा से यह प्रार्थना करता हूं कि इन मामलों पर किसी आत्म संतोष की भावना से विचार न किया जाये बल्कि सीधे तरीके और उचित दृष्टिकोण से विचार होना चाहिये। इसमें दलबंदी का भी कोई प्रश्न नहीं आना चाहिये। हमें संसद सदस्यों के नाते जो इस महान् भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं इस बात को देखना चाहिये कि किस प्रकार वर्तमान युग के इतिहास का निर्माण हो रहा है। हम लोग देश के इतिहास का निर्माण कर रहे हैं—चाहे वह अच्छा है या बुरा—इसका निर्णय तो आने वाली पीढ़ियां करेंगी। आज विश्व भी पहले से अधिक ज़ोर-शोर से इतिहास का निर्माण कर रहा है। अतः इसी दृष्टिकोण से हम लोगों को इन बड़ी बातों पर विचार करना चाहिये।

मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में आत्म संतोष की भावना को प्रकट नहीं किया गया है बल्कि वास्तविकता दिखाई गई है। जो कुछ आशा के पहलू हैं उन्हें भी दिखाया गया है। मैं यह कह सकता हूं कि हाल ही में आशा की किरणों का उजाला हमारे देश में होने लगा है और हो रहा है—कोई भी व्यक्ति इस बात से इन्कार नहीं कर सकता। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि हम लोग प्रसन्नता से बैठ जायें। किन्तु यह तो ठीक है कि हम जैसे निराशाजनक स्थिति का वर्णन करते हैं वैसे ही आशा के इन पहलुओं का उल्लेख भी करें।

सामान्यता देश की आर्थिक व्यवस्था पहले वर्ष की अपेक्षा कहीं अच्छी है और पिछले वर्ष की अपेक्षा सरकार का स्थिति पर अच्छा काबू है। मुद्रा सफीति का दबाव कम हो गया है तथा हमारी रक्षित विदेशी मुद्रा का घटना भी कम हो गया है। गत वर्ष ऋण तथा आयात नीति के बारे में हमें यही समस्यायें तंग कर रहीं थीं। अब हमने इन चीजों की बागडोर कस कर पकड़ ली है और उधर वैदेशिक सहायता मिलने की आशा भी अधिक प्रतीत हो रही है। ये बातें महत्वपूर्ण हैं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में थोक मूल्यों के देशनांक का ज़िक्र किया गया है। कुछ माननीय सदस्यों ने इन आंकड़ों को ठीक नहीं माना है। मेरी यह बात समझ में नहीं आती; यह हो सकता है कि वे किसी

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

और अवधि की कीमतों का निर्देश कर रहे हों। गत पांच महीनों में थोक चीजों के मूल्य देशनांक में ५ प्रतिशत की कमी हुई है। अनाज की कीमतें ८ प्रतिशत कम हुई हैं। चावल का देशनांक १११ से १०१ रह गया है। गेहूं का ९४ से ८६, ज्वार का १२६ से १०४ तथा बाजरे का १३७ से ११४। मैं यह नहीं कहता कि यह सब आश्चर्यजनक है किन्तु इन चीजों से पता चलता है कि सही कदम उठ रहे हैं और यह बात विशेषतः उस समय कितनी लाभदायक है जब कि हमें यह पता था कि गत वर्ष स्थिति ठीक इसके उलट थी। तात्पर्य यह हुआ कि न केवल गलत कदम रुके बल्कि ठीक कदम पड़ने आरंभ हो गये हैं। इसका कारण यही है कि सरकार ने तब से अब तक ठीक नीतियों का अनुसरण किया है ।

यह बात मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि इस प्रकार अनुकूल परिस्थिति में हमें आशा तो अवश्य करनी चाहिये किन्तु हमें कभी भी असावधान का या लापरवा होकर नहीं बैठना चाहिये ताकि कहीं ऐसा न हो कि ग़लत दिशा में कदम पड़ने कभी फिर आरंभ हो जायें।

आन्तरिक तथा बाह्य संसाधनों की समस्या तो बनी ही रहती है। बाह्य संसाधन हमें निर्यात से, ऋण से या विदेशों से सहायता के रूप में प्राप्त होते हैं। मैं समझता हूं कि हमारी निर्यात नीति भी अवश्य ही फल लायेगी। कितना फल लायेगी यह पहले से ही नहीं कहा जा सकता किन्तु यह बात गलत है जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि हम इधर कोई ध्यान नहीं दे रहे। हम अपनी पूरी शक्ति से निर्यात के मामले पर ध्यान दे रहे हैं।

श्री नौशीर भरूचा ने कहा कि मैं यह आरोप लगाता हूं कि यह सरकार महत्वपूर्ण जानकारी नहीं दे रही है जो राष्ट्र के लिये अत्यावश्यक है। वह धन के बारे में कह रहे थे और बता रहे थे कि जो शेष रकम योजना के लिये चाहिये उसे कैसे पूरा किया जायेगा। मुझे तो यह पता नहीं कि हमने कौन-सी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी सभा को नहीं दी। मैं नहीं जानता कि सरकार को इससे क्या लाभ पहुंच सकता है। लोगों को तो यह जानना ही चाहिये कि उन्हें क्या करना है और स्थिति क्या है।

इसमें कठिनाई यह है—आप बाह्य सहायता का मामला लें। हम इसके सम्बन्ध में बातचीत के दौरान कोई निश्चित बात नहीं कह सकते। अतः हमें उस समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है जब तक निश्चित बात तय न हो जाये। वास्तव में अनेकों तत्सम्बन्धी बातें सभा में बताई जाती रही हैं और वैसे भी बहुत सी बातें अखबारों में निकली हैं। इसे लोग जानते हैं।

इस बात को सभी मानेंगे कि इस प्रकार आंशिक जानकारी से पूरी तसवीर का पता नहीं चलता है। उस पूर्ण चित्र को सभा के समक्ष रखे जाने के लिये तैयार किया जा रहा है। हम सभा में इस बारे में एक ब्योरात्मक विवरण रखेंगे जिसमें भोजन के बारे में सम्पूर्ण सूचना और संसाधनों की पूर्ति आदि का सारा उल्लेख होगा। जैसा कि मैं कह चुका हूं वर्तमान स्थिति गत वर्ष की अपेक्षा कहीं ज्यादा आशाजनक है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि मैं भविष्य के बारे में दृढ़तापूर्वक विश्वास दिला रहा हूं। अभिप्राय केवल यह है कि इस समय स्थिति काफ़ी आशाजनक है। हमें दिखाई दे रहा है कि इस वर्ष हम योजना के मुख्य-मुख्य काम इच्छानुसार पूरे कर सकने में सफल हो जायेंगे। हम इन कार्यों की गति को मंद नहीं करेंगे। हमें आशा है कि अगले वर्ष भी स्थिति ठीक ही चलेगी। हम आगामी पांच सात वर्षों की भविष्य वाणी कर नहीं सकते। वे सब बातें हमारी नीति पर आन्तरिक संसाधनों तथा विदेशों से मिल सकने वाली सहायता पर आधारित हैं। इस मास में या मार्च में हम सभा के समक्ष इस विषय पर पूरा विवरण रखेंगे।

हमेशा की तरह सरकारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार के बारे में भी काफ़ी कहा गया है। मैं सभा का अधिक समय लेना ही नहीं चाहता किन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि जो व्यवस्था इस प्रश्न को हल

करने के लिये हमने पिछले वर्ष से की है उससे हमें पर्याप्त सहायता मिली है। उसमें बराबर सुधार हो रहा है। यह तो कोई भी नहीं कह सकता कि दुनिया में कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं होता। भ्रष्टाचार तो है किन्तु मेरे ख्याल में अन्य देशों की तुलना में यहां कहीं अधिक कम हो। मैं यहां इसकी सफ़ाई पेश नहीं करता। मैंने यह बात इस कारण कही है कि लोग कह देते हैं कि इस मामले में हम सबसे बढ़े हुए हैं। मैं तो ऐसा नहीं समझता। मैं समझता हूं कि दूसरे देशों की तुलना में हमारी स्थिति कहीं अच्छी है। मैं मानता हूं कि हमारे देश में भी भ्रष्टाचार है किन्तु हम उसे दूर करने का प्रत्येक संभव प्रयास कर रहे हैं। संगठन तथा प्रक्रिया विभाग तथा विशेष पुलिस संस्थापन आदि इस काम को सफलता से कर रहे हैं। जो कुछ उन्होंने किया है उसे मैंने देखा है। जो मामले उन्होंने हाथ में लिये और जो सफलता उन्हें मिली है उससे मैं प्रभावित हुआ हूं। रास्ते में कठिनाइयां अवश्य हैं। वास्तव में ठोस प्रमाण मिलने बड़े कठिन हो जाते हैं और उनके बिना न्यायालयों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में संदेह किया जा सकता या यह समझा जा सकता है कि नैतिकता की दृष्टि से अनुचित बात हुई है किन्तु वर्तमान विधि तथा नियमों की दृष्टि से ठोस प्रमाणों के बिना कार्यवाही करना सरल नहीं होता। फिर भी हमने पर्याप्त सफलता प्राप्त की है और हम प्रत्येक मंत्रालय पर यही ज़ोर डाल रहे हैं कि वह संगठन तथा प्रक्रिया विभाग से सम्पर्क रखे जिसका काम यह है कि विभागों में कार्याकुशलता और ईमानदारी बढ़े और भ्रष्टाचार बन्द हो।

एक बात का और जिक्र कर दूं हालांकि इस समय मैं इस विषय पर अधिक नहीं कहूंगा क्योंकि कल इस पर यहां चर्चा हो रही है। जीवन बीमा निगम के मामले को भ्रष्टाचार का उदाहरण बताया जाता है। मैंने इस प्रतिवेदन को बड़े ध्यान से पढ़ा है। मैंने इसमें ऐसा कोई आरोप नहीं देखा। कुछ अस्पष्ट से सन्देह इधर उधर जाहिर किये गये हैं किन्तु कोई स्पष्ट आरोप नहीं लगाया गया है।

संभवतया श्री ही० ना० मुकर्जी ने कहा कि इसमें पुनर्वास का कोई उल्लेख नहीं है और दंडकारण्य योजना का वर्णन नहीं है। यह ठीक है किन्तु उल्लेख तो अन्य कई महत्वपूर्ण बातों का भी इसमें नहीं है। जब तक इसके बारे में कोई नयी बात न कहनी हो तब तक इसके उल्लेख का कोई लाभ ही न था। इसका यह अर्थ नहीं कि पुनर्वास का प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है। यह बड़े महत्व का प्रश्न है। जो मामला लाखों लोगों के जीवन से सम्बन्ध रखता हो वह कैसे महत्वपूर्ण न हो। जहां तक योजना का सम्बन्ध है यह सब को पता है यह बड़ी भारी योजना है और इसके पूरा होने में समय लगेगा। पहले हम थोड़ा-थोड़ा काम करना चाहते हैं फिर ज्यादा तेजी से काम करेंगे।

जहां तक खाद्य स्थिति का सम्बन्ध है, हम यह नहीं कहते कि यह बिल्कुल ठीक है पर इतना जरूर है कि स्थिति संतोषजनक है क्योंकि हमने अनाज का कुछ स्टाक एकत्रित कर लिया है। वैसे स्थिति कठिन ही है। इसका वास्तविक हल तभी हो सकता है जब कि हमारे अत्यधिक उत्पादन के लक्ष्य पूरे हों। हम आशा करते हैं कि इस मामले में हम आत्म निर्भर हो जायेंगे। जैसे अभिभाषण में कहा गया है हम चाहते हैं कि देश आत्मनिर्भता के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो। एकदम तो ऐसा नहीं हो सकता लेकिन यह सोचना गलत होगा कि हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत अधिक समय लगेगा। किसी दृष्टि से भी देखते हुए मैं तो यही समझता हूं कि हम यह लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। 'हम' से मेरा अभिप्राय भारतीय जनता तथा किसानों से है। हम इसे पूरा कर सकेंगे या नहीं यह बात वास्तव में कई चीजों पर आधारित है। प्रकृति का भी इसमें बड़ा हाथ है। किन्तु हमें निराश होकर काम नहीं करना चाहिये। हम इसे कर सकते हैं और करेंगे भी।

एक दूसरी बात यह कही गई थी कि सरकारी क्षेत्र ठीक तरह से नहीं चल रहा। मैं नहीं समझा कि इस आलोचना का भाव क्या है किन्तु यह सच है कि सरकारी क्षेत्र का ही व्यापक क्रम से विकास किया जा रहा है। इस्पात के बड़े बड़े कारखाने तथा मशीनें बनाने के कारखाने जो लग रहे हैं वह इसी क्षेत्र में लग रहे हैं। उसका ही बोझ तो हमें आज उठाना पड़ रहा है। भारी मशीनें इसी क्षेत्र के लिये मंगाई जा रही हैं। इसके समक्ष गैर-सरकारी क्षेत्र का हिस्सा तो बहुत कम हो जाता है।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

कई माननीय सदस्यों ने आणविक शक्ति की चर्चा की और कहा कि हमें तुरन्त ही आणविक शक्ति स्टेशन स्थापित करने चाहियें। इतनी प्रगति एकदम से कभी नहीं की जा सकती। इसमें केवल रुपये का ही प्रश्न नहीं है बल्कि इस कार्य से पहले पर्याप्त तैयारी करने की भी आवश्यकता है। यह सच है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बात का उल्लेख किया गया है। किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि हम उन्हें तुरन्त ही लगा सकते हैं। आणविक शक्ति आयोग के सभापति इस सम्बन्ध में बताते रहते हैं तथा इसके आर्थिक पहलू पर भी चर्चा करते रहे हैं क्योंकि वास्तव में आर्थिक पहलू ही अधिक महत्वपूर्ण है। कारखाना तो बन सकता है किन्तु यदि उस पर अत्यधिक व्यय हो तो क्या लाभ। यदि सामान्य तरीकों से उत्पन्न की जाने वाली शक्ति से आणविक शक्ति महंगी पड़ी तो हम उस पर धन व्यय नहीं करेंगे। यह एक ज़रूरी बात है।

हो सकता है भविष्य में विकास के कारण शक्ति का उत्पादन और सस्ता हो जाये किन्तु अब भी यह निश्चित है कि ऐसे स्थानों पर जो कोयला क्षेत्रों से दूर हैं वहां आणविक शक्ति से काम ठीक ढंग से चलाया जा सकता है। भारत में ऐसे कई क्षेत्र हैं। इस मामले पर विचार हुआ है। यह स्वाभाविक है कि हम पहल इसे एक स्थान पर ही आरंभ करेंगे। अनेक स्थानों पर तो काम एक साथ शुरू नहीं हो सकता। यह कहां होगा यह मैं नहीं कह सकता किन्तु पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिण भारत, राजस्थान, तथा बम्बई के बारे में विचार किया गया है। आप किसी भी क्षेत्र को नहीं चुन सकते। इस क्षेत्र में कई एक आवश्यकतायें पूरी होनी चाहियें, तब लाभ और हानि का अनुमान आप लगा सकते हैं। खैर इस मामले पर विचार हो रहा है।

श्री मुकर्जी ने कहा कि सहकारी खेती की ओर कोई प्रगति नहीं हो रही है। अंशतः यह ठीक है। मैं स्वयं इसी विचार का हूं कि हमें सहकारी खेती को बढ़ावा देना चाहिये। किन्तु यह तो स्पष्ट है कि इसे लोगों की इच्छा से किसानों की इच्छा से ही किया जा सकता है। आप एकदम से जाकर लोगों से नहीं कह सकते कि सहकारी खेती आरंभ की जाये। लोग इस तरह से कुछ भी नहीं समझेंगे और सफलता नहीं मिल सकती। आप लोगों को बाध्य नहीं कर सकते। उन्हें कोई भी बाध्य नहीं कर सकता। हमारी सरकार की बात तो छोड़िये तानाशाही सरकारें भी इसके लिये बाध्य नहीं कर सकतीं। ऐसा करने से अन्ततः उत्पादन में कमी हो जायेगी।

हम चाहते हैं कि सहकारिता विभिन्न सेवाओं में प्रसारित हो और फिर सहकारी खेती में उसे आरंभ किया जाये, जहां कहीं भी ऐसा करना संभव हो। अन्यथा आप इसे नहीं कर सकते। जहां स्थिति ठीक हो वहां आप सहकारी खेती आरम्भ कर सकते हैं, जैसे सरकार की कोई नई ज़मीन हो या ग्रामदान की ज़मीन हो। वहां स्थिति ठीक होती है और कोई झगड़े की बात नहीं होती। किन्तु मैं अधिक महत्व सेवा सम्बन्धी सहकारी संस्थाओं को देता हूं केवल ऋण सम्बन्धी सहकारी संस्थाओं को ही महत्वपूर्ण नहीं समझता।

जो कुछ मैं पहले कहता रहा हूं उसे मैं फिर दोहराता हूं कि सहकारिता का प्रश्न वास्तव में लोगों से सम्बद्ध है। मैं यह बताना चाहता हूं कि सरकार किसी पर इस चीज़ को लाद नहीं सकती। जिस सहकारी संस्था में सरकारी हाथ बहुत हो वह कोई सहकारी संस्था नहीं है। यह संस्था लोगों पर ही निर्भर करती है और उन्हीं के सहयोग से यह चल सकती है और इसी कारण मेरी राय में सहकारी संस्थायें कुछ छोटी होनी चाहियें।

अभी कल या परसों मैंने एक प्रसिद्ध विदेशी के विचार पढ़े थे जिसमें उसने बड़ी सहकारी संस्थाओं का पक्ष लेने वाले किसी संगठन के बारे में आलोचना की थी। वह सज्जन यहां की असैनिक सेवा में भी रहे थे। सम्भवतया उन्होंने ठीक कहा हो किन्तु वह बात मुझे ठीक नहीं लगी क्योंकि मैं तो चाहता हूं कि लोगों का समर्थन और सहयोग प्राप्त करके उनका विकास किया जाये, केवल सरकारी परिवर्तन करके अस्थायी परिणाम प्राप्त करने से कुछ नहीं होता।

लोगों के सहयोग और आत्म विश्वास द्वारा ही उनका विकास करना वास्तविक लक्ष्य है। इसीलिये मैं यह समझता हूं कि हमें छोटी सहकारी संस्थायें बनानी चाहिएं अर्थात् ग्राम सहकारी संस्था हो या दो ग्रामों की एक संस्था हो ताकि लोग एक दूसरे से परिचित हों और इकट्ठे मिलकर ठीक ढंग से काम कर सकें जैसे एक बड़ा परिवार करता है। फिर इन संस्थाओं को आपस में मिलाया जा सकता है। बीस, तीस, चालीस या पच्चास को मिलाकर बड़ी परिषदें बनाई जा सकती हैं। हमें तो सेवा सहकारी संस्थाओं पर जोर देना चाहिए। सहकारी संस्थायें उर्वरक, खाद, बीज या अनाज को बाज़ार में बेचने का काम कर सकती हैं। और भी कई चीज़ें हैं जो वे कर सकती हैं। सहकारी खेती की बात सदैव ध्यान में रखनी चाहिए और जहां भी लोग तैयार हों वह काम आरम्भ-कर देना चाहिए।

अब मैं सहकारी खेती की बात क्यों करता हूं ? मैं यह नहीं कहता कि यह एक आदर्श है और इसलिये इसका अनुसरण किया जाये। यह तो है ही। मैं यह बिल्कुल नहीं कह सकता कि इस प्रकार की खेती देश के प्रत्येक भाग के लिये ठीक ही रहेगी। मैं नहीं जानता कि यह गेहूं वाले क्षेत्र या चावल वाले क्षेत्र में ठीक रहेगी या नहीं। लेकिन, इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि हमारे देश में छोटी-छोटी जोतें हैं। इनमें से कई जोतें तो इतनी छोटी-छोटी हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ़ एक या दो एकड़ ज़मीन ही है। ज़ाहिर है कि इन दो एकड़ की जोतों में वे कोई बहुत अधिक प्रगति नहीं कर सकते। उनका सारा काम एक बहुत ही छोटे पैमाने पर चलता है। ऐसी हालत में यह जरूरी हो जाता है कि या तो एक ही किसी आदमी के पास बहुत बड़ा फार्म हो, या फिर एक बड़े खित्ते की देखभाल एक मिलेजुले तौर पर, सहकारी ढंग से की जाये, जिससे कि उनके पास संसाधन कुछ अधिक हों और वे बड़े पैमाने पर काम चला सकें। लेकिन आप यह भी नहीं चाहते कि एक ही आदमी के पास बहुत बड़े-बड़े फार्म हों।

इसीलिये, दो कारणों से मैं यह सोचता हूं कि मिलेजुले तौर पर, संयुक्त ढंग से खेती की जाये। पहला कारण तो मैं अभी बता चुका हूं। दूसरा यह है कि संयुक्त खेती का तरीक़ा सामाजिक संगठन का एक उच्चतर रूप है। उसमें सिर्फ़ खेती का ही सवाल नहीं है। उसकी तमाम कार्यवाहियों में सहकारिता की भावना पैदा होती जाती है, मिलेजुले ढंग से काम करने की भावना भी पैदा होती जाती है।

हमारे अपने देश की समस्यायें कुछ अपने ही ढंग की हैं। वे समस्यायें ऐसी हैं कि उनके बारे में हमें कभी आत्म-तुष्टि तो हो ही नहीं सकती। अभी कुछ दिन पहले ही राजभाषा की समस्या उठ खड़ी हुई थी। मैं उसकी चर्चा नहीं करता क्योंकि सभा उस पर चर्चा करेगी ही। सभा ने इसके लिये एक समिति नियुक्त कर दी है और वह, आपस में किसी समझौते पर पहुंचने के बाद, सभा के सामने अपने उपयुक्त प्रस्ताव रखेगी। मुझे इसमें किंचित भी सन्देह नहीं है कि सभा उन प्रस्तावों को सहर्ष स्वीकार कर लेगी।

इसका उल्लेख मैंने इसलिये किया है कि अन्य बातों के अलावा एक बात यह भी है कि दक्षिण भारत में, खास तौर पर मद्रास राज्य में, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एक स्वतन्त्र राज्य बनाने की बातें करने लगे हैं। वे अपने राज्य को भारत से पृथक कर लेने की बातें करने लगे हैं। इसे हास्यास्पद भी कहा जा सकता है, लेकिन मुट्ठीभर लोगों द्वारा ऐसी बातें करना एक बड़ी गम्भीर चीज़ है। ऐसी बातों से जाहिर होता है कि हमारे देश की एकता की जड़ें ज़रा भी गहरी नहीं हैं। ऐसी बातों की और भी प्रतिक्रियायें होती हैं। उनमें से एक तो यही है कि कुछ लोग एक स्वतन्त्र तामिल राज्य बनाने और उस स्वतन्त्र राज्य में श्रीलंका तक को शामिल करने की बातें चलाने लगे हैं। अख़बारों से पता चलता है कि इसके लिए एक नया दल भी बनाया गया है।

ऐसी चीज़ के असर बड़े बुरे होते हैं। इस दल के बनने का समाचार प्रकाशित होते ही, श्रीलंका के समाचरपत्रों ने बड़े गुस्से से बहुत सी बातें लिखीं थीं, उन्होंने लिखा था : "यह तो ठीक है कि वर्तमान भारत सरकार ऐसा नहीं करेगी। लेकिन, कौन कह सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता ? और, अब इन

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

लोगों की आंखें हमारे देश पर गड़ रही हैं।" इस प्रकार की गैर-जिम्मेदाराना बातों से, हमारे लिये और भी जटिल समस्यायें पैदा हो जाती हैं।

मैं अभी श्रीलंका गया था। मैंने वहां के लोगों से कहा था कि उनको ऐसा कोई भी भय नहीं रहना चाहिये कि भारत उनके महान् विशाल देश को हड़प करने की सोच रहा है। मैंने उन्हें बताया था कि भारत में कोई भी आदमी ऐसी बातें नहीं करता और यदि कोई करता भी है तो वह बकवास है। मैंने उन्हें बताया था कि उनका ऐसा कोई भी डर बिलकुल निराधार है। भारत कभी भी वैसा नहीं करेगा। यह इसलिये कि यह भारत देश के अपने हित में भी है कि हमारा पड़ौसी देश श्रीलंका स्वतन्त्र और मैत्रीपूर्ण देश बना रहे। यह सिर्फ भारत के अपने आदर्श की बात नहीं है, बल्कि यह उसके अपने हित में, और दोनों ही देशों के हितों में है। हम दुनियां में अपनी हंसी नहीं उड़वाना चाहते। इस प्रकार की बातें सामंती ज़माने की हैं, जब अपनी जमींदारी बढ़ाने या अपना क्षेत्र बढ़ाने की बातें हुआ करती थीं। आधुनिक युग में इस प्रकार की विचारधारा एक मखौल है। हम किसी दूसरे देश की एक इंच भूमि भी नहीं लेना चाहते। हां यह ज़रूर है कि जो चीज़ हमारी है वह हमारी होनी चाहिए, जैसे गोआ। श्रीलंका हो, या पाकिस्तान, हम उनकी एक इंच भूमि भी नहीं लेना चाहते। हमें पाकिस्तान से कोई वैर नहीं है और न हम उसका खात्मा ही करना चाहते हैं। ऐसी बातें करने वाले लोग देश की समस्याओं को और भी जटिल बनाते हैं। वे हमारा काम और भी मुश्किल बना देते हैं और हमारी सारी प्रगति रोक देते हैं।

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची–पश्चिम–रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां) : क्या इसका अर्थ यह है कि हम चटगांव के पर्वतीय प्रदेश की मांग नहीं कर सकते ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इसका उत्तर मैं यही दूंगा कि यदि चटगांव पर्वतीय प्रदेश की स्थिति में कभी कोई परिवर्तन होगा भी तो वह समझौते द्वारा ही किया जायेगा। विभाजन के समय ही, विभाजन कर्त्ताओं ने भी इस बात को माना था कि चटगांव पर्वतीय प्रदेश पाकिस्तान को नहीं दिया जाना चाहिए। हम भी मानते हैं कि वह एक गलत निर्णय था परन्तु अब यह एक तथ्य है। और अब यदि समझौते द्वारा ही वह प्रदेश हमें मिल जायें तो सबसे उत्तम रहेगा क्योंकि उस प्रदेश की जनता मुख्यत: बौद्ध ही है और वह पाकिस्तान में नहीं फबती। मैं किसी देश के किसी भाग को भारत में नहीं मिलाना चाहता।

अब वैदेशिक-कार्य को संक्षेप में लेता हूं। गत सैंकड़ों वर्षों से वैदेशिक कार्य का अर्थ संसार की घटनाओं के प्रति यूरोपीय दृष्टिकोण ही समझा जाता रहा है। यह इसीलिये कि उस समय यूरोप ही संसार पर हावी था और वही संसार के अधिकांश भागों का नियंत्रण करता था। यूरोप सैनिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से अधिक शक्तिशाली था। इसी के फलस्वरूप उस यूरोपीय विचार धारा का जन्म हुआ था जो यूरोप को ही संसार का केन्द्र मान कर चलती थी; ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि १९ शताब्दी में इंगलैण्ड के रहने वाले लन्दन को ही सारे संसार का केन्द्र मानते थे। यह कुछ हद तक सही भी था।

वैदेशिक-कार्य के क्षेत्र में यूरोप को केन्द्र मानकर चलने वाली विचारधारा भी इसी प्रकार जन्मी थी। उस समय तक अमरीका अखाड़े में नहीं उतरा था। बाद में क्रमश: अमरीका भी विश्व की राजनीति में महत्वपूर्ण रूप से हाथ बटाने लगा। और दूसरे विश्व-युद्ध के बाद हम दुनिया का केन्द्र अमरीका को मानने लगे। हमारी विचारधारा भी वैसी ही बन गई। यूरोप का महत्व गौण हो गया। लेकिन, इधर सोवियत संघ का विकास हुआ। और यह इन दोनों विचारधाराओं से मेल नहीं खाता था। एक नई चीज़ आ खड़ी हुई कि विश्व का केन्द्र मास्को है।

लेकिन, पिछले दस-बारह वर्षों की कुछ घटनाओं के फलस्वरूप एशिया के कई देश स्वतन्त्र हो गये हैं। इससे एशिया में भी एक नया दृष्टिकोण पैदा हो गया है। लेकिन यूरोपीय विचार धारा का अभी भी

†मूल अंग्रेजी में।

हमारे ऊपर काफी प्रभाव है। काफ़ी हद तक हमारे सोचने का ढंग वही है। इसलिये कि हम उन्हीं, यूरोपीय, अमरीकी या कहिये रूसी राजनीतिक विचारधाराओं, के वातावरण में पले हैं। मैं राजनीतिक विचार धारा की बात कर रहा हूं, साम्यवाद की नहीं।

अब एशियाई राष्ट्रों के स्वतन्त्र होने पर, उनका विकास होने से संसार के एक एशियाई दृष्टिकोण का भी जन्म हो गया है। एक मोटे तौर पर उसे एशियाई दृष्टिकोण ही कहा जा सकता है। मैं यह नहीं कहता कि समूचे एशिया का एक ही दृष्टिकोण है। एशिया एक महाद्वीप है और उस महाद्वीप में कई प्रकार के दृष्टिकोण होना स्वाभाविक है। लेकिन यह अवश्य है कि ये एशियाई दृष्टिकोण यूरोप को केन्द्र मानकर चलने वाले या अन्य किसी दृष्टिकोण से भिन्न हैं। वास्तव में, मैं तो यह मानता हूं कि अन्त में सब से अधिक सही दृष्टिकोण वही होगा जो यूरोप, या अमरीका, या मास्को या एशिया को भी केन्द्र मानकर न चले, बल्कि सारे संसार को ही उचित रूप में देखे। ऐसा दृष्टिकोण विकसित किया जा सकता है।

लेकिन अपने मन में, इन सभी दृष्टिकोणों का सामंजस्य पैदा करना, इनको देखते हुए एक दृष्टिकोण बनाना काफ़ी कठिन है। उस सामंजस्यीकरण की प्रक्रिया काफ़ी कष्टसाध्य है। इस उचित विचारधारा को ठीक से न अपना पाने के कारण ही संसार में कई जगह कई प्रकार की कठिनाइयां पैदा हो रही हैं। कुछ लोग नये एशियाई दृष्टिकोण को उचित स्थान नहीं दे पा रहे हैं, वे एशिया की परिस्थितियों को अपने ही दृष्टिकोण से देखते हैं और एशियाई दृष्टिकोण के सम्बन्ध में अपनी नाराजी ज़ाहिर करते हैं।

उदाहरण के लिये, भारत को ही लीजिये। भारत किसी भी एक गुट में शामिल नहीं हुआ है, उसने किसी की नीति को नहीं अपनाया है। वे लोग तो यह मानकर चलते हैं कि अन्य देश अपना कोई दृष्टिकोण रख ही नहीं सकते। वे इस तथ्य को मानते ही नहीं कि कोई भी देश इतिहास और परम्पराओं के अलावा, भौगोलिक कारणों से भी अपना राजनीतिक या अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण बनाता है।

भारत को तो दिल्ली से ही सारे संसार को देखना पड़ता है। और, स्वाभाविक ही है कि इसके लिये भारत सब से पहले अपने पड़ोसी देशों को ही और उसके बाद उससे आगे के देशों की ओर देखेगा। उत्तरी ध्रुव के पास स्थित देश का दृष्टिकोण विषुवत्रेखा के समीप स्थित देश के दृष्टिकोण से भिन्न होगा ही। इसीलिये ये एक नया दृष्टिकोण भी पैदा हो गया है, जिसे हम एक प्रकार से एशियाई दृष्टिकोण कह सकते हैं। यह दृष्टिकोण यूरोपीय दृष्टिकोण से या अमरीकी या रूसी दृष्टिकोण से भिन्न है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह दृष्टिकोण किसी के विरुद्ध हैं।

यह दृष्टिकोण किसी के प्रति वैर की भावना से प्रेरित नहीं है। हम यूरोपीय या अमरीकी दृष्टिकोण को नहीं मानते, इसका अर्थ यह नहीं होता कि हम यूरोप या अमरीका या मास्को के विरुद्ध हैं। इसका अर्थ केवल यही है कि हमारा दृष्टिकोण उनसे कुछ भिन्न है। यूरोप या अमरीका या अन्य किसी देश को केन्द्र मान कर चलने वाले दृष्टिकोण के बारे में एक बुनियादी तथ्य है जिसे मैं फिर दोराहना चाहता हूं। वह यह है कि उस दृष्टिकोण के तहत चीन के प्रति जो रुख अख्तियार किया गया है वह तर्क-संगत नहीं है। मैं सिद्धान्तों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो यह कहता हूं कि चीन जैसा विशाल देश मौजूद है, पर उसको मान्यता न देना, उसे अनदेखा करना अयथार्थवादी, अवास्तविक लगता है। एशिया में घटित होने वाली कुछ अन्य घटनाओं के प्रति भी ऐसा ही अवास्तविक, अयथार्थवादी रुख अपनाया जा रहा है। इन घटनाओं को वे एशियाई दृष्टिकोण से देखने का प्रयास नहीं करते। वे इनको अपने-अपने विभिन्न दृष्टिकोणों से ही देखते हैं।

गत युद्ध के बाद से, एशिया में कई नई शक्तियां क्रमशः विकसित हुई हैं। ये नई शक्तियां अन्य देशों के परम्परागत दृष्टिकोणों से मल नहीं खातीं। हम उपनिवेशवाद के विरुद्ध नारे लगाते हैं। हम यह भली-भांति जानते हैं कि एशिया के कई देशों में, और यहां तक कि अफ्रीका के कई देशों में भी, उपनिवेशवाद

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

में अब कोई बल, कोई सार नहीं रह गया है। यह एक अच्छी चीज़ है, और हमारा ख्याल है कि यह प्रवृत्ति और आगे बढ़ती जायेगी। हम यह भी अनुभव करते हैं परिवर्तन करने में कुछ समय लगना स्वाभाविक है और उसे एकाएक नहीं किया जा सकता।

लेकिन, फिर भी हमारे सामने यह एक सचाई ही है कि कुछ औपनिवेशिक शक्तियां अपने उपनिवेशों को छोड़ने के लिये तैयार नहीं होतीं। उसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है – अलजीरिया, और कई अन्य देश भी। हमारा अपना दृष्टिकोण तो सदा यही रहा है कि फ्रांस आदि अन्य देशों के साथ हमारे सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण रहें। हमने फ्रांस की संस्कृति और अन्य कई चीज़ों की भी बड़ी सराहना की है। और, पांडिचेरी के बारे में फ्रांस के साथ मैत्रीपूर्ण करार करके हमें प्रसन्नता हुई है। इस सम्बन्ध में खेद की बात यही है कि हमें अभी तक पांडिचेरी को विधि के अनुसार हस्तांतरित नहीं किया गया है। इसके लिये हम फ्रांस को बार-बार याद दिला रहे हैं। जब भी हम उन्हें याद दिलाते हैं तो उनकी ओर से यही कहा जाता है कि शीघ्र ही ऐसा किया जाने वाला है। फ्रांस की संस्कृति उच्च स्तर की है, उसके स्वाधीनता संग्रामों का एक बड़ा शानदार इतिहास है। इसलिये, जब हम यह सुनते हैं कि उसने अलजीरिया में क्या किया है तो हमें एक झटका सा लगता है।

अभी कुछ ही दिन पहले की एक विभीषिका-पूर्ण घटना है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। भारतीय इतिहास में उसका उदाहरण केवल जलियां वाले बाग़ में ही मिल सकता है। वह घटना है फ्रांस के विमानों द्वारा अलजीरियाई सीमा के समीप ट्यूनिस के एक गांव ट्यूनिसिया पर बमबारी करना। उस गांव का नाम शायद साकियेत है। उस घटना का पूरा वृत्तांत फ्रांसीसी, अमरीकी और अंग्रेज पत्रकारों ने दिया है। रेड क्रास के लोगों ने भी उसका विवरण दिया है। उसके तथ्य सभी को अच्छी तरह से मालूम हैं। वे तथ्य इतने निर्मम और भीषण हैं कि यकायक उन पर विश्वास नहीं होता। उस घटना की विभीषिका इस बात में नहीं है कि कुछ सौ व्यक्ति उस बमबारी के शिकार बने और उनमें से २० या ३० मृत्यु के गाल में समा गये, बल्कि उसकी विभीषिका तो इस बात में है कि निरीह नागरिकों पर इस प्रकार बम बरसाये गये हैं। एशिया और अफ्रीका की जनता पर इसका बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ना अनिवार्य है। वास्तव में यूरोप और अमरीका की जनता पर भी इसकी बड़ी गहरी प्रतिक्रिया हुई है। मैं इस सम्बन्ध में केवल यही कह सकता हूं कि यदि ऐसी ही नीति जारी रही और उसका अनुमोदन भी होता रहा, तो अफ्रीका को आगे चलकर और भी बड़ी-बड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा।

सभा जानती ही है कि हाल ही में पश्चिमी एशिया में––तथाकथित मध्यपूर्व क्षेत्र में– कुछ बड़ी उल्लेखनीय घटनाएं हुई हैं। मिस्र और सीरिया ने अपना एक संघ बना लिया है, और शायद उसी की यह प्रतिक्रिया हुई है कि ईराक़ और जोरडान ने भी अपना एक फ़ेडरेशन बना लिया है। जहां तक कि मिस्र और सीरिया के संघ का सम्बन्ध है, यह तो पहले से स्पष्ट था कि यह एक लोकप्रिय संघ होगा, क्योंकि इन दोनों राष्ट्रों की जनता एक संघ बनाने की बड़ी इच्छुक थी और उसने बड़े शानदार ढंग से इसका स्वागत भी किया है। स्वाभाविक ही है कि यदि वहां की जनता इसकी इच्छुक थी, तो हम उसका स्वागत करते हैं और उनको अपनी बधाइयां भेजते हैं। लेकिन इस संघ के निर्माण के फलस्वरूप, कुछ ऐसी शक्तियां भी सक्रिय हो गई हैं, जिनके भविष्य के बारे में कुछ भी कहना कठिन है। यदि ईराक़ और जोरडान की जनता भी एक संघ बनाना चाहती है, तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन यदि यह केवल एक राजनीतिक चाल की तरह किया जा रहा है, एक राजनीतिक मोहरा चलाया जा रहा है, तो उसके परिणाम पता नहीं क्या होंगे।

इसका एक तीसरा पहलू भी है। इज़रायेल से भी कुछ अशुभ नारे उठने लगे हैं। अशुभ इसलिये, कि यदि मिस्र और सीरिया का संघ बनने के परिणामस्वरूप ही वे नारे उठाये गये हैं, तो कुछ यह खतरा भी

पैदा हो जाता है कि इज़रायेल शायद शीघ्रता से कोई गम्भीर क़दम उठा लेगा और वह बहुत ही बुरा होगा क्योंकि कोई नहीं जानता कि उसके क्या परिणाम निकलेंगे ।

आज के संसार की सबसे महत्वपूर्ण समस्या, सबसे बुनियादी प्रश्न निःशस्त्रीकरण और शीतयुद्ध का ही है । सबसे महत्वपूर्ण समस्या यही है कि दो बड़े-बड़े सैनिक समूहों के बीच परस्पर सम्बन्ध किस प्रकार के हैं । सभी अन्य चीज़ें इसी एक प्रश्न के आश्रित हैं । अब 'स्पुटनिक' और 'एक्सप्लोरर' के युग में, इस नये युग में यह बुनियादी समस्या और भी अधिक अविलम्बनीय बन गई है । क्योंकि अब एक ही ग़लत क़दम या किसी एक ही घटना से एक ऐसी विपत्ति आ सकती है जिससे बच निकलने की कोई राह ही नहीं रह जायेगी । इसीलिये, अब यह अविलम्बनीय हो गया है कि इस दिशा में कुछ किया जाये ।

अभी कल ही इंगलैण्ड के प्रधान मंत्री ने कहा था कि यह भी एक बड़ी बात है कि हमने शान्ति बनाए रखी है, फिर चाहे वह तनातनी से भरी शान्ति ही क्यों न हो । मैं मानता हूं कि ऐसी शान्ति भी युद्ध से कहीं अच्छी है । लेकिन, इसे कोई बड़े संतोष का विषय तो नहीं माना जा सकता । इसे शान्ति नहीं कहा जा सकता, हां यह अवश्य है कि युद्ध की भांति इसमें नर-संहार नहीं हो रहा है । इसलिये, निःशस्त्रीकरण और इन बड़े-बड़े सैनिक समूहों से सम्बन्धित बड़ी बड़ी विभिन्न समस्याओं को किसी प्रकार निबटाने का प्रश्न अब अत्यधिक महत्वपूर्ण बन गया है ।

संयुक्त राष्ट्र संघ में इस पर काफ़ी चर्चा हो चुकी है । अब वहां निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी वार्ता भी समाप्त हो चुकी है । गत वर्ष इस वार्ता से बड़ी-बड़ी आशायें संजोई गई थीं, लेकिन अब उससे अधिक कोई प्रगति नहीं हो सकी है । २५ सदस्यों का एक निःशस्त्रीकरण आयोग स्थापित किया गया था । लेकिन निःशस्त्रीकरण आयोग से किसी भी फल की आशा करना ठीक नहीं होगा जब तक कि उसमें दो महान् शक्तियां भी सम्मिलित न हों । बुनियादी तौर पर अमरीका और सोवियत संघ का ही परस्पर कोई समझौता होना आवश्यक है । दूसरे देशों को छोड़ा तो नहीं जा सकता, लेकिन इन दो देशों के सहमत होने पर ही निःशस्त्रीकरण सम्भव हो सकता है । इसलिये, इन दो देशों के सहमत होने पर ही निःशस्त्रीकरण आयोग संतोषप्रद ढंग से कोई कार्य सम्पन्न कर सकेगा ।

आप जानते ही हैं कि शिखर सम्मेलन, उच्च स्तरीय बैठकों की भी कुछ बातें चल रही हैं । सोवियत संघ और अमरीका तथा अन्य देशों के प्रधानों के बीच काफ़ी पत्र-व्यवहार हुआ है । हम शिखर सम्मेलन का स्वागत करेंगे । उसे न करना या उसमें सम्मिलित होने से इन्कार करना हानिकारक होगा । लेकिन, यह बात भी स्पष्ट है कि आप बिना किसी आधार के, या बिना पहले से कुछ सोचे विचारे तो सम्मेलन नहीं कर सकते । इसलिये, शिखर सम्मेलन करने से पहले उसके लिये मानसिक तौर पर तैयारी भी करनी पड़ेगी । इसी के लिये यह सुझाव था कि शिखर सम्मेलन से पहले वैदेशिक-कार्य मंत्रियों की एक बैठक होनी चाहिए । हम उसके विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन आज की परिस्थितियों को देखते हुए, हो सकता है कि वैदेशिक-कार्य मंत्रियों की बैठक से भी कोई फल न निकले, या समस्या पहले से भी अधिक जटिल हो जाये । इससे अन्य उच्च-स्तरीय बैठकों का द्वार बन्द हो सकता है । इसलिये इस पर विचार किया जाना चाहिये । मैं समझता हूं कि अनौपचारिक रूप में सभी जगह इसके सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है और उच्चस्तरीय बैठक के लिये आधार बनाया जा रहा है । उच्चस्तरीय बैठक का संसार की जनता पर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ेगा । उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा । यह दूसरी बात है कि उस बैठक में वे एक-दूसरे से झगड़ बैठें, तब स्पष्ट है कि उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा । वैदेशिक-कार्य मंत्रियों की बैठक का इतना व्यापक प्रभाव नहीं पड़ सकता । और संसार की आज सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि ऐसे मनोवैज्ञानिक परिवर्तन हों, तनाव की स्थिति में कुछ ढिलाई पैदा हो, जनता को भय से मुक्ति मिले । उच्चस्तरीय सम्मेलन द्वारा यह किया जा सकता है । उस सम्मेलन से पहले अनौपचारिक ढंग से वार्ता या बैठकें, इत्यादि करके उसका आधार बनाया जा सकता है ।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

मेरा विश्वास है कि आज हर एक देश में, चाहे वह यूरोप का हो या अमरीका हो या सोवियत संघ, सभी देशों में जनता में एक चेतना सी पैदा हो गई है। सभी देशों की जनता ने, अब पुराने ढंग से सोचना छोड़ दिया है। अब सभी यह महसूस करने लगे हैं कि पुराने नारों को दोहराते रहने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, सक्रियता से कुछ किया जाना चाहिए। आपके सामने इसके उदाहरण भी मौजूद हैं। इंगलैण्ड के प्रधान मंत्री ने हमारे यहां आने पर अनाक्रमण संधि की बातें कही थीं, हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया था कि इससे उनका अर्थ क्या है, लेकिन इसकी बातें चलने से ही यह जाहिर है कि लोग पुरानी विचारधारा छोड़ते जा रहे हैं। और आप को यह भी मालूम है कि पोलैण्ड का एक प्रस्ताव है कि मध्य यूरोप के कई देशों को अणु-अस्त्रों से मुक्त रखा जाये, वहां अणु-अस्त्रों के अड्डे न बनाये जाएं। इससे समस्या बहुत अधिक तो हल नहीं होती। यदि पोलैण्ड, या चैकोस्लोवाकिया, या पूर्वी या पश्चिमी जर्मनी को अणु-अस्त्रों से मुक्त भी कर दिया जाये, तो सैनिक दृष्टिकोण से उसका कोई बड़ा महत्व नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़े महत्व की बात यह है कि ऐसे कार्य से एक नया वातावरण पैदा होगा और आगे की कार्यवाही के लिये आधार बनेगा।

इंगलैण्ड में एक अमरीकी सज्जन, श्री कैन्नन ने भी कुछ क्षेत्रों को युद्ध से मुक्त रखने का प्रस्ताव रखा है। यह भी लगभग पोलैण्ड के प्रस्ताव की भांति ही है। पोलैण्ड के प्रस्ताव से वह इस बात में अवश्य कुछ आगे है कि उसमें उन क्षेत्रों से सभी प्रकार की सेनाओं को हटाने की बात भी कही गई है। इससे संसार की सभी समस्यायें सुलझ नहीं जायेंगी। यह तो ठीक है, लेकिन इससे यह तो पता चलता ही है कि अब लोगों को सोचने के तरीके में परिवर्तन हो रहा है।

यह सभी बड़ी आशाप्रद चीज़ें हैं। और, हम तो यथा सम्भव हर प्रकार से प्रत्येक उस कार्य में सहायता करने को तैयार रहते हैं जिससे कि किसी प्रकार का कोई निबटारा हो सके, या उसके लिये कोई सम्मेलन किया जा सके। हम हर एक बात में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। हम यह नहीं चाहते कि हमें भी इन सम्मेलनों में शरीक किया जाये। हमने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि जब तक सम्मेलन बुलाने वाले पक्ष सहमत न हों, हम किसी भी सम्मेलन में सम्मिलित होने नहीं जायेंगे। हां, यदि हमसे बन पड़ेगा तो हम उसमें पूरी-पूरी सहायता अवश्य करेंगे। इस प्रकार, एक ओर तो संसार के सामने खतरे बढ़ गये हैं, लेकिन दूसरी ओर संसार की जनता इन खतरों के प्रति अब अधिक जागरूक भी हो गई है। उसमें यह भावना भी पैदा हो गई है पुराने तरीक़ों को छोड़कर अब एक नये आधार पर इन खतरों को दूर करने का कोई प्रयास किया जाये। ये लक्षण बड़े शुभ हैं। और भविष्य की बात तो कोई कह ही नहीं सकता, लेकिन हां हम अपनी योग्यता के अनुसार भरसक प्रयत्न ही कर सकते हैं।

हम अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपना कार्य बराबर करते हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि हम सभी प्रभावशाली ढंग से कार्य करते रह सकते हैं जबकि भारतीय जनता की शक्ति हमारे पीछे हो; हमें भारतीय जनता का समर्थन प्राप्त हो। वास्तव में, भारत में इन सभी विषयों पर दलगत भावनाओं के आधार पर विचार नहीं होता। लोगों में मतभेद तो हैं, लेकिन इन्हें दलगत प्रश्न नहीं बनाया जाता।

और फिर, बहुत अधिक सीमा तक हमारी सफलता इस बात पर निर्भर रहेगी कि हम स्वयं देश का शासन किस प्रकार चलाते हैं। यदि हम अपने देश में आपसी झगड़ों और लड़ाइयों में पड़ जाते हैं तो यह ज़रूरी है कि बाहर हमारी आवाज का बहुत कम महत्व हो जायेगा।

हमारी पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में लोगों ने वित्तीय अंग पर चर्चा की है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसकी उपेक्षा नहीं हो सकती। परन्तु अन्तिम विश्लेषण में केवल धन ही महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। देश के कार्य में जो मानवीय विश्वास और शक्ति लगाई जा सकती है वह अधिक महत्वपूर्ण है। इससे बड़े से बड़े कार्य सरल हो सकते हैं और वर्तमान कठिनाइयों पर काबू पाया जा सकता है। हम अपनी

पिछली कठिनाइयों में, चाहे वह स्वतन्त्रता संघर्ष हो या कुछ और, मानवीय विश्वास और शक्ति को ही हमेशा सामने रखते आये हैं। इस चीज़ को किसी पैमाने से तो मापा नहीं जा सकता यह तो अनुभव किया जा सकता है, और हम स्वयं इससे प्रभावित हो सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे देश में इस प्रकार की मानवीय शक्ति और विश्वास मौजूद हैं जिससे हम अपनी समस्त कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : जैसा कि बहुत से सदस्यों का मत है, संशोधन संख्या १९६ को अलग मत-दान के लिए प्रस्तुत किया जायेगा। इसलिये मैं इसे मतदान के लिये रखूंगा।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मेरा एक औचित्य प्रश्न है। चूंकि इस संशोधन में बहुत से अलग-अलग मामलों का जिक्र है इसलिये इसके विभिन्न भागों को अलग-अलग मतदानों के लिए रखा जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : पहले माननीय सदस्य यह फ़ैसला कर लें कि वे किसी एक भाग को स्वीकार करते हैं तब मैं इन्हें अलग-अलग रखूंगा। सदन का एक भाग तो इस संशोधन के बिल्कुल विरोध में है। इसलिये मैं इकट्ठा ही इसे रखूंगा। परन्तु मैं देखता हूं कि इस संशोधन को प्रस्तुत ही नहीं किया गया है इसलिये इसे मतदान के लिये नहीं रखा जा सकता।

माननीय सदस्य कौन से संशोधन मतदान के लिये रखवाना चाहते हैं ?

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : (नासिक) : संख्या १२१

†**श्री पाणिग्रही** (पुरी) : संख्या २९ और ३०

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व ख़ानदेश) : संख्या १

†**श्री बि० दास गुप्त** (पुरुलिया) : संख्या ११० से ११२

†**एक माननीय सदस्य** : संख्या ६६, ६७ और ६८

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : संख्या ११५ और ११७

†**श्री जगदीश अवस्थी** (क्लिहौर) : संख्या ८०

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : मैं संशोधन संख्या १ पर मतदान के लिये आग्रह करता हूं।

निम्नलिखित संशोधन मतदान के लिये रखा गया :

संशोधन संख्या	प्रस्तावक का नाम	संक्षिप्त विषय
१	श्री नौशीर भरूचा	निम्न बातों के सम्बन्ध में भयंकर आत्मनिर्भरता की भावना का प्रकट किया जाना : (क) खाद्य स्थिति (ख) द्वितीय योजना के लिये अपर्याप्त संसाधन (ग) विदेशी सहायता की अपर्याप्तता (घ) विदेशी विनिमय की संकटपूर्ण स्थिति (ङ) मूल्य स्तर

सभा में मत विभाजन हुआ। पक्ष में ६२ तथा विपक्ष में २००।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २९, ३०, १२१, १ से ४, ११ से १५, १७, १८, २०, २५ से २८, ३१ से ३९, ४१ से ५७, ६० से ८६, ८८ से ९६, ११० से ११७, १२०, १२४ से १२७, १३२, १३३, १३५, १३७, १४४ से १६८, १७५ से १८७, १९० से १९४, १९९ से २०२ और २०५ मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृप हुए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं मूल प्रस्ताव मतदान के लिये रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि इस सत्र में समवेत लोक-सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस भाषण के लिये, जो कि उन्होंने १० फरवरी, १९५८ को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५७-५८—(जारी)

†**अध्यक्ष महोदय** : अब अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर आगे चर्चा होगी ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

†**श्री नारायणन कुट्टि मेनन** : (मुकन्दपुरम्) : मैं सरकारी कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता देने सम्बन्धी मांग की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं । कहा गया है कि आयोग ने इसकी सिफारिश की है । इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करते हुए सरकार कुछ वर्गों के कर्मचारियों को छोड़ गई है । १२ लाख ऐसे कर्मचारी हैं जो सामुदायिक परियोजनाओं के निर्माण कार्यों में लगे हुए हैं इसके अतिरिक्त कर्मचारियों की एक ऐसी भी श्रेणी है जो पत्तनों पर सीधे भारत सरकार के अधीन कार्य कर रही है । कोचीन पत्तन पर ही लगभग दो तीन हजार व्यक्ति काम कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त और भी अनेक कर्मचारियों को पांच रुपये मासिक की अन्तरिम सहायता प्राप्त नहीं हुई ।

पांच रुपये की सिफारिश के सम्बन्ध में आयोग ने अपनी युक्तियां दी हैं यद्यपि हम उन सब से सहमत नहीं हैं परन्तु उपरोक्त छोड़े गये कर्मचारियों को भी ५रु० मासिक की अन्तरिम सहायता मिलनी चाहिए ।

अन्य बात जो मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि अन्तरिम सहायता का निश्चय करने के लिए दो अलग अलग आयोग नियुक्त हुए थे एक के अध्यक्ष तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे, परन्तु दूसरे आयोग के अध्यक्ष न्यायपालिका अधिकारी नहीं थे । एक का निर्णय तो यह है कि सहायता ५ रुपये मासिक दी जाये और दूसरा इस निर्णय पर पहुंचता है कि यह सहायता २ रुपये मासिक होनी चाहिए । सरकार ने बिना कुछ बात किये दोनों को स्वीकार कर लिया है । हालांकि ऐसा कई बार हुआ है कि यदि आयोग की बात सरकार को स्वीकार न हो तो वह सदन के समक्ष यह बात स्वीकार कर लेती रही है । इस ५ और २ की सिफारिशों का प्रमापीकरण भी सरकार को ही करना चाहिए था ताकि विभागातिरिक्त कर्मचारियों को भी ५ रुपये प्राप्त हो जाते । मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस अन्तरिम सहायता देने के मामले में सरकारी कर्मचारियों में भेद-भाव का व्यवहार न किया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

कोचीन पत्तन के ३,५०० कर्मचारियों का मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं जो कि सम्बद्ध मंत्रालय के अधीन सीधे कार्य कर रहे हैं। जब पत्तन के दूसरे २,५०० लोगों को प्रथम जुलाई १९५७ से यह पांच रुपये प्राप्त होंगे तो इन लोगों से यह अन्याय क्यों? उन्हें भी यह, अन्तरिम सहायता मिलनी चाहिए।

अन्य बात मैं मांग संख्या ११७ के बारे में करना चाहता हूं जिसका चावलों के सम्भरण से सम्बन्ध है। दक्षिण क्षेत्र की चावल स्थिति पर इस सदन में विवाद हो चुका है। कहा गया था कि आंध्र प्रदेश में ८ लाख टन चावल फालतू है, परन्तु केरल राज्य की ओर से जब चावल की मांग की गई तो कह दिया गया कि स्टाक ही नहीं है। इस चावल का क्या गोलमाल हुआ, यह एक बात है दूसरी बात यह है : फालतू चावल की बात कागज़ी ही थी, वास्तव में चावल फालतू नहीं था। सरकारी आंकड़ों से यही पता चलता है क्योंकि चावल की कोई मात्रा अवैध रूप में बिकी नहीं है।

केरल सरकार ने जब चावल खरीदना चाहा तो आन्ध्र वालों ने बाजार दर पर चावल बेचने से इन्कार कर दिया। सरकार आगे आई तो दाम बढ़ गये। और केरल सरकार को ऊंचे दरों पर ही चावल खरीदने पड़े। मेरा कहना है कि सरकार का यह कह देना कि दक्षिणी क्षेत्र में चावल फालतू है काफ़ी नहीं है। सरकार को इसे हासिल करके देना चाहिए और इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि दाम न बढ़े। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को मई १९५७ के अधिनियम के अन्तर्गत व्यापक अधिकार प्राप्त है। इसे यह मामला राज्य सरकार पर छोड़ कर व्यापारियों में इसके लिए मुकाबला नहीं पैदा करना चाहिए। राज्य सरकार के लिए चावल उपलब्ध करना कठिन काम है।

साथ ही, कीमतें निर्धारित करने के अधिकार का समुचित ढंग से प्रयोग किया जाना चाहिए और कीमतें भी शीघ्र निर्धारित हो जानी चाहिएं। आंध्र में सरकार द्वारा निर्धारित कीमत पर चावल प्राप्त करना कठिन है। राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अधिकार प्राप्त नहीं। यह तो केन्द्रीय सरकार ही प्राप्त कर राज्यों को दे सकती है। नई फसल के समय सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दक्षिण क्षेत्र के चारों राज्य निर्धारित दरों पर समुचित मात्रा में चावल प्राप्त कर लें।

†**श्री दशरथ देव** (त्रिपुरा) : मैं मांग संख्या ५५ पर बोलना चाहता हूं जिसके अन्तर्गत जनगणना के कार्य के लिये कुछ राशि स्वीकृत की गई हैं। मेरा कहना है कि स्वतन्त्रता से पूर्व त्रिपुरा में जनगणना के आंकड़ों के अनुसार आदिम जातियों की संख्या तीन लाख से अधिक थी। परन्तु नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यह जनसंख्या १,९२,००० है। इसका मतलब यह कि इसमें एक लाख से अधिक की कमी हो गई है। ऐसा दिखाई पड़ता है कि संचार सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण पिछले आंकड़े ठीक ढंग से तैयार नहीं किये गये थे। इस कठिनाई को ग्रामीण लोगों के सहयोग से हल किया जा सकता है। हम सरकार को पूरा सहयोग देने को तैयार हैं। सरकार को विशेष कर्मचारियों को लगा कर समुचित ढंग से जन-गणना का कार्य करवाना चाहिए। क्योंकि पता नहीं चल रहा है कि यह एक लाख की आबादी कहां चली गई। दूसरा सरकार ने तीन मास पूर्व यह कहा था कि इस बार त्रिपुरा में खाद्य उत्पादन गत वर्ष के मुकाबले में आधा होगा। इस समय त्रिपुरा में चावल का दाम २५ से ३० रुपया प्रतिमन है और से वह भी बड़ी कठिनाई से उपलब्ध होता है। अच्छा है कि वहां सरकार कुछ चावल दे रही है। परन्तु यदि इस वर्ष ४०,००० टन चावल न दिया गया तो हमें भूखों मरना पड़ेगा।

मेरा यह भी कहना है कि शहरी इलाकों में राशनिंग कर दिया जाए, और देहातों में चावल की सस्ती दूकानें खुलनी चाहिए। साथ ही संचार की कठिनाई के कारण सावधानी का प्रयोग कर राज्य

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री दशरथदेव]

के विभिन्न भागों में चावल इकट्ठा कर लेना चाहिए । वर्षा ऋतु में परिवहन की कठिनाई बढ़ जाती है और लोगों को बहुत ही अधिक कष्ट होता है । एक बार फिर मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि त्रिपुरा को इस वर्ष ४०,००० टन चावल दिये जाएं ।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व-खानदेश) : लगभग २१ करोड़ रुपयों की अनुपूरक मांगों को स्वीकार करने से पूर्व इसका पूरे तौर पर विश्लेशण किया जाना चाहिए । कई मामलों में मांग के सम्बन्ध में सरकार समुचित औचित्य प्रस्तुत नहीं कर सकी है । सब से प्रथम उस २३ लाख को ले लो जो कि विदेशी अतिथियों पर खर्च किया गया है वह आज की स्थिति को देखते हुए बहुत ही अधिक है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन जारी रखें ।

विभिन्न मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौटी प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्ताव का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
२	१४	श्री तंगामणि	हथकरघे से बने कपड़े पर छूट में कमी	रुपया १००
२	१५	श्री तंगामणि	हथकरघे से बने कपड़े का मद्रास राज्य में बिना बिके पड़े रहना	१००
२	१६	श्री तंगामणि	मिलों के कपड़े पर लगाये उपकर से हथकरघा कपड़े के लिए कम अनुदान और कम कर्जे	१००
२	१७	श्री तंगामणि	मिलों के कपड़ों पर लगे उपकर से खादी के लिये अधिक अनुदान और कर्जे तथा हथकरघा की उपेक्षा	१००
२	१८	श्री मोहम्मद इमाम	अम्बर चर्खा और खादी उद्योग का विकास	१००
११	१	श्री नौशीर भरूचा	प्रतिरक्षा सामग्री की खरीद के लिए संसद को जानकारी कराने के बारे में सरकार का लगातार इन्कार करना	१००
२४	२३	श्री पाणिग्रही	विदेशों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के आगमन पर खर्चा	१००
३२	२४	श्री जाधव	भारतीय सिक्योरिटी प्रेस तथा केन्द्रीय स्टामप डिपो के उचित प्रबन्ध में असफलता	१००

†मूल अंग्रेजी में ।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्ताव का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपया
३४	२५	श्री जाधव	मुद्रा नोट मुद्रणालय के समुचित प्रबन्ध में असफलता	१००
४६	२८	श्री बाला साहेब पाटिल	खाद्यान्नों की खरीद	१००
५५	३०	श्री तंगामणि	मद्रास राज्य के पिछड़े वर्गों की जनगणना में गलतियां	१००
६७	३१	श्री पाणिग्रही	हीरा कुड निर्माण परियोजना से निकाले गये बेकार कर्मचारियों को काम पर लगाने की व्यवस्था करना	१००
६७	३२	श्री पाणिग्रही	कृषकों की सुविधा के लिये हीराकुड जलाशय से पानी देना	१००
६७	३३	श्री बाला साहेब पाटिल	शिष्ट मण्डलों पर अधिक खर्चा	१००
७९	३५	श्री पाणिग्रही	उड़ीसा राज्य के बारे में खनिज सम्बन्धी आंकड़ों को एकत्रित करना	१००
८३	३७	श्री तंगामणि	तुच्छ अन्तरिम सहायता पर कर्मचारियों में असन्तोष	१००
८३	३८	श्री तंगामणि	२ रुपये प्रति मास की अन्तरिम सहायता पर डाक व तार के विभागातरिक्त कर्मचारियों में असन्तोष	१००
९४	८	श्री नौशीर भरूचा	वेतन आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार अतिरिक्त महंगाई भत्ते पर कर्मचारियों में असन्तोष	१००
११७	१०	श्री नौशीर भरूचा	रक्षित खाद्यान्नों के बारे में असन्तोषजनक स्थिति	१००
११७	४१	श्री तंगामणि	दक्षिण क्षेत्र में केरल और मद्रास राज्य को समुचित मात्रा में चावल देने में असफलता	१००
११७	४२	श्री तंगामणि	मद्रास राज्य को आयात किये गये चावल का सम्भरण बन्द करना	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्ताव का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपया
१२३	४४	श्री मोहम्मद इमाम	जल विद्युत परियोजनाओं में वृद्धि करना	१००
१२६	११	श्री नौशीर भरूचा	तीन इस्पात कारखानों के प्राक्कलनों में वृद्धि	१००
३२	३	श्री भा० कृ० गायकवाड़	नासिक रोड के सिक्योरिटी प्रेस में हड़ताल का प्रश्न	१००
५५	२९	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा में आदिम जातियों की व्यापक जनगणना के लिए अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता	१००

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह सभी कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष हैं ।

इसके पश्चात लोक-सभा बुधवार, १९ फरवरी, १९५८ के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

दैनिक संक्षेपिका

[मंगलवार, १८ फरवरी, १९५८]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		५६१–८७
तारांकित प्रश्न संख्या		
२४१	केन्द्रीय ईंधन गवेषणा संस्था, जियालगोड़ा	५६१–६३
२४२	जापान से ऋण	५६३–६५
२४४	संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासनों के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता	५६५–६७
२४५	पहाड़ी-क्षेत्र मंत्रालय	५६७
२४८	अन्तर्राष्ट्रीय भूभौतिकीय वर्ष	५६८
२४९	दिल्ली विश्वविद्यालय	५६८–६९
२५०	विश्वविद्यालय के अध्यापक ...	५६९–७१
२५१	आय-कर जांच आयोग	५७१
२५२	इंडोनेशियाई वायुसेना के कर्मचारी	५७१–७२
२५३	जीवन बीमा निगम जांच आयोग का प्रतिवेदन ...	५७३–७४
२५४	भारत की वैदेशिक ऋणिता	५७४–७५
२५५	मद्य-निषेध	५७५–७६
२५७	केरल में पोलीटेक्निक संस्थायें	५७६–७७
२५९	बबीना में किसानों को प्रतिकर	५७७–७९
२६०	केरल में वेट्टुवन समुदाय	५७९–८०
२६१	नागा एकक	५८०
२६५	जीवन बीमा निगम ...	५८१
२६६	पुनर्वित्त निगम	५८१–८२
२४०	निर्वाचन याचिकाएं	५८२–८४
२६६-क	गन्दी बस्तियों की सफाई	५८४
२६७	कुंजरू समिति का प्रतिवेदन	५८४–८५
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
२	सामुदायिक विकास आन्दोलन के लिए प्रबन्ध योजना ...	५८५–८७
प्रश्नों के लिखित उत्तर		५८७–६०८
तारांकित प्रश्न संख्या		
२४३	प्रतिरक्षा मंत्रालय का विशेष पुनरीक्षण बोर्ड	५८७
२४६	मुद्रण-कला विभाग, दिल्ली	५८७
२४७	उदयपुर और बांसवाड़ा में मैंगनीज के निक्षेप ...	५८७–८८

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
२५६	भारत का राज्य बैंक	५८८
२५८	निवेली उर्वरक कारखाना	५८८
२६२	सीमा शुल्क प्रक्रिया तथा संघटन सम्बन्धी समिति ...	५८८–८९
२६३	राजभाषा आयोग का प्रतिवेदन	५८९
२६८	एच० टी० २ हवाई जहाज	५८९
२६९	भारत को अमरीकी सहायता ...	५८९–९०
२७०	राष्ट्रीय रंगमंच	५९०
२७१	केन्द्रीय निर्देश पुस्तकालय	५९०
२७२	इस्पात के कारखानों के प्राक्कलन	५९०–९१
२७३	मूंदड़ा कांड ... — — ... —	५९१
२७४	निवेली का तापीय बिजली घर ...	५९१
२७५	माध्यमिक शिक्षा आयोग	५९२
२७६	जिला न्यायालय की इमारत	५९२
२७७	वैज्ञानिक असैनिक सेवा	५९२
२७८	निम्न तापमान प्रांगारण संयन्त्र, कोठागुडियम ...	५९३
२७९	समवायों द्वारा अनिवार्य निक्षेप ...	५९३
अतारांकित प्रश्न संख्या		
३१३	कानपुर के कारखाने — — — —	५९४
३१४	बकाया आय-कर	५९४
३१५	उड़ीसा में वसूल किया गया आय-कर ...	५९४
३१७	केरल में केन्द्रीय पुलिस	५९४–९५
३१८	प्रतिरक्षा मंत्रालय के लिये सामान	५९५
३१९	विमानों का निर्माण	५९५
३२०	द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये स्वैच्छिक अंशदान	५९६
३२१	उड़ीसा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये बस्तियां	५९६
३२२	सांस्कृतिक समझौते	५९६
३२३	अस्पृश्यता	५९७
३२४	बम्बई में प्राचीन स्मारकों का परिरक्षण ... —	५९७
३२५	रत्नगिर में खुदाई	५९७–९८
३२६	देहली पब्लिक लाइब्रेरी	५९८
३२७	भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के व्यक्तियों को रोजगार ...	५९८
३२८	लोक सेवा संघ आयोग के द्वारा भर्ती	५९८
३२९	राज्यों को सहायक अनुदान ...	५९९

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
३३०	दिल्ली में आनरेरी मजिस्ट्रेट ...	५९९
३३१	संगीत नाटक अकादमी	५९९–६००
३३२	चण्डीगढ़ में विकास योजनायें ...	६००
३३३	कला क्रय समिति ...	६००
३३४	अखिल भारतीय शोधन सम्मेलन ...	६००
३३५	मैंगनीज तथा अभ्रक का उत्पादन ...	६००–०१
३३६	नौसेना के नाविक	६०१
३३७	हिमाचल प्रदेश में सहकारी आन्दोलन ...	६०१
३३८	साइकलों की चोरियां	६०२
३३९	दैवी प्रकोपों में सहायता	६०२
३४०	प्राथमिक स्कूलों के अध्यापक ...	६०२–०३
३४१	पुलिस के इंसपैक्टर जनरलों का सम्मेलन	६०३
३४२	हिमाचल प्रदेश में स्कूल ...	६०३
३४३	अनुसूचित जातियों का कल्याण	६०३–०४
३४४	पंजाब का आय-कर विभाग	६०४
३४५	उज्जैन में मिली पुरातत्व वस्तुयें	६०४
३४६	मनीपुर में निकल के निक्षेप ...	६०४
३४७	त्रिपुरा में आग लगने की घटनाएं	६०५
३४८	भारतीय प्रशासन सेवा में आपात भर्ती	६०५
३४९	राजस्थान में अनुसूचित आदिम जातियां	६०५
३५०	पत्तनों का बन्द करना ...	६०६
३५१	राज्य गृह	६०६
३५२	विदेशी विनियोजन	६०६–०७
३५३	पंजाब को लोहे की चादरों का सम्भरण ...	६०७
३५४	ब्रिटेन में सामग्री का क्रय	६०७
३५५	पोस्त की काश्त	६०७
३५६	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण	६०७–०८
३५७	नेपाल को सहायता	६०८
३५८	चुनाव याचिकायें	६०८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र		६०९

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये :—

(१) लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचनों का प्रबन्ध करना तथा निर्वाचन याचिकाओं का निबटाया जाना) नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ३१ दिसम्बर, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ४१६३ की एक प्रति ।

विषय पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गए पत्र—(क्रमशः)

(२) लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचनों का प्रबन्ध करना तथा निर्वाचन याचिकाओं का निबटाया जाना) नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ९ नवम्बर, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३५९५ की एक प्रति।

(३) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, १९४४ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ८ फरवरी, १९५८ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ४५६ की एक प्रति।

अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ६०९–१०

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी ने रूरकेला में निर्माण कार्य में लगे ३,००० श्रमिकों की हड़ताल की ओर इस्पात, खान और ईंधन मंत्री का ध्यान दिलाया।

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) ने उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य ६१०–१५

(१) प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य और वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने मंगला बांध के बारे में १४ फरवरी, १९५८ को तारांकित प्रश्न संख्या १३५ पर श्री रंगा द्वारा पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर को शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य दिया।

(२) शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास) ने दिल्ली पालिटैक्नीक के एक छात्र द्वारा आत्महत्या तथा उसके परिणाम स्वरूप उस संस्था के विद्यार्थियों द्वारा हड़ताल के बारे में एक वक्तव्य दिया।

वित्त मंत्री के पद से त्याग-पत्र देने के सम्बन्ध में श्री ति० त० कृष्णामाचारी द्वारा वक्तव्य ६१५–२०

श्री ति० त० कृष्णमाचारी ने मंत्रीपद से त्याग-पत्र देने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करने के लिये एक वक्तव्य दिया।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ६२०–२१

अठारहवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव ६२१–३१, ६४०–५२

राष्ट्रपति के अभिभाषण सम्बन्धी प्रस्ताव पर और आगे चर्चा समाप्त हुई। प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य और वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया। सभी संशोधन अस्वीकृत हुए। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित किया गया ६३१–३८

भारतीय रक्षित बल (संशोधन) विधेयक, पर राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, और आगे चर्चा जारी रही। विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खण्डवार विचार के पश्चात् विधेयक, संशोधित रूप में पारित हुआ।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) ६३८–४०, ६५२–५६

१९५७-५८ के आय-व्ययक (सामान्य) की अनुपूरक मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

बुधवार, १९ फरवरी, १९५८ के लिए कार्यावलि––

जीवन बीमा निगम के मामलों की जांच करने वाले आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के प्रस्ताव पर चर्चा।

M105LS—160—5-6-58—GIPF.

विषय-सूची-(क्रमशः)

		पृष्ठ
	सरदार मजीठिया	६३४–३६
	खण्ड २ और १	६३६–३८
	संशोधित रूप में पारित करने के लिए प्रस्ताव ...	६३८
अनुपूरक	अनुदानों की मांगें १९५७-५८	६३८–४०, ६५२–५६
	श्री तंगामणि	६३९–४०
	श्री नारायणन कुट्टि मेनन	६५२–५३
	श्री दशरथ देव	६५३–५४
	श्री नौशीर भरूचा ...	६५४
दैनिक संक्षेपिका		६५७–६०

P.L.S. 41. XI. 7. 58
160

भारत सरकार मुद्रणालय, फ़रीदाबाद में मुद्रित तथा लोक-सभा सचिवालय द्वारा लोक-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ तथा ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित ।
१९५८